वार्षिकी-2018; अंकः 5

प्रवर्तन संदेश

निदेशक महोदय, प्रधान विशेष निदेशक महोदय को उर्ध्वाधर परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) पाठ्यक्रम के समापन समारोह के दौरान प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए।

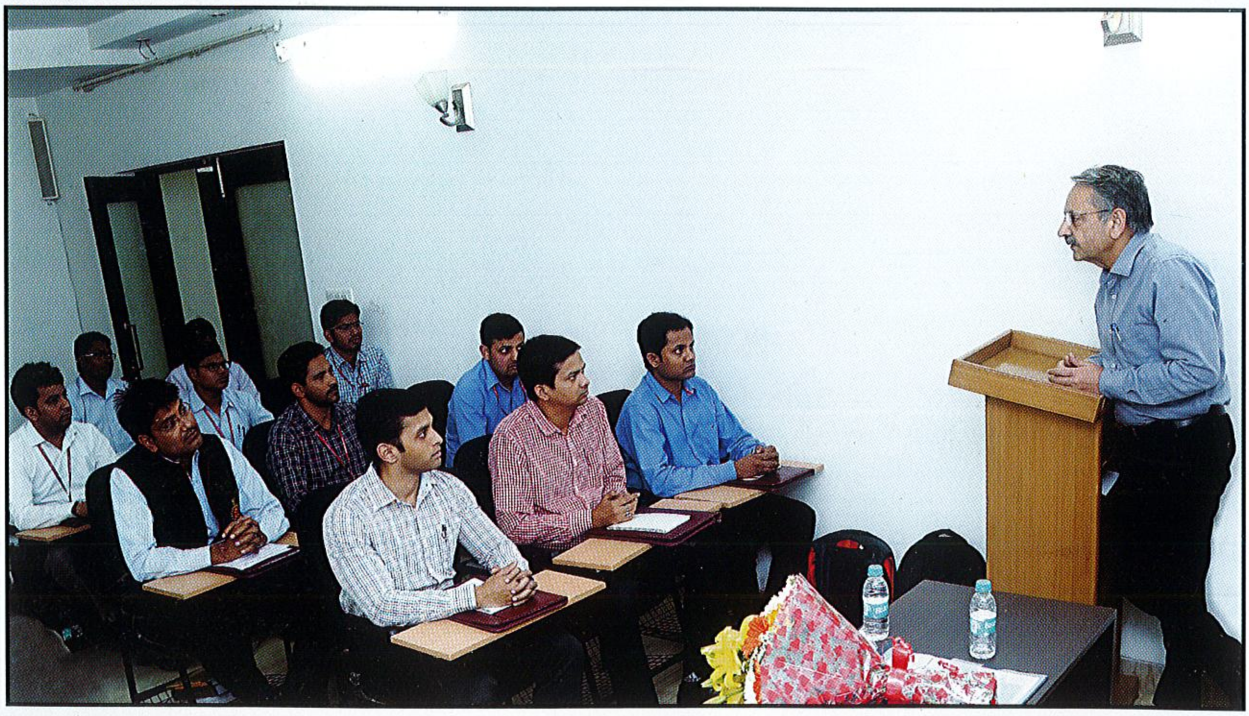

निदेशक महोदय, प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए।

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की
वार्षिक पत्रिका
भारत सरकार, नई दिल्ली।

वर्ष–2018

क्रम सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ
1.	पीएमएलए की धारा 45(1) के तहत उल्लिखित जमानत की दो सख्त शर्तों को समाप्त करना	ए.सी.सिंह	11
2.	प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर	संजय लवानियाँ	13
3.	एक कंपनी द्वारा फ्लोटिंग लुभावन (पाँजी) योजनाओं के तहत हजारों भोले–भाले लोगों को धोखे से लूटना	ए.के.कौशल	15
4.	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश	जगदीश प्रसाद मीना	17
5.	धन शोधन के विरूद्ध वैश्विक प्रयास	अनिल कुमार रावल	28
6.	फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक	के. डी. वर्मन	38
7.	प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष – (2017–18) संगठन और कार्य	नीरज वर्मा	44
8.	गोपाल दास 'नीरज' – हिंदी साहित्य जगत का अप्रतिम सितारा	उमेश वि. नाईक	48
9.	असम : एक परिचय	चन्द्रमनीषि कुमार	51
10.	इंसानियत की मौत	रवि मलिक	53
11.	जम्मू–कश्मीर : धरती का स्वर्ग	ललित कुमार	54
12.	आदि से अनंत तक	आदित्य कुमार	56
13.	भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए जांच एजेंसियों की भूमिका	हेमंत कुमार पाण्डेय	58
14.	कल्कि अवतार	विजय आचार्य	60
15.	मेक इन इंडिया	हनित जसवाल	62
16.	प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता प्रणाली	केशव कुमार	63
17.	विशाखापट्टनम – प्रकृति का नायाब तोहफा	अंकित आर्या	64
18.	दहेज प्रथा	सुमन	65
19.	सच्चा ज्ञान	प्राची सिंह	66
20.	कठिनाइयों में छिपा होता है आगे बढ़ने का अवसर	राजेश कुमार	67
21.	हमारी राष्ट्रभाषा	मो. असलम	68
22.	उत्तर प्रदेश – एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रदेश	सुजीत कुमार	69
23.	खुद के चौकीदार कैसे बनें	सारिक खान	71
24.	मेरी भाषा हिंदी	जे.पी.सिंह	72
25.	स्वप्न और यथार्थ	सुबोध कुमार	73
26.	गुरु	अनिल चन्द्र वर्मा	74
27.	पिता का अंश	ए.के.श्रीवास्तव	75
28.	चलों, चलों, एक दीप जलाएँ	राजेश गोयल	76
29.	कोई सदा कहां टिकता है	संतोष कुमारी	77
30.	इसकी मत पूछो यारों	समीर कुमार वर्मा	78
31.	सैनिक	विपिन	79
32.	वजूद	मनीष कुमार झा	80
33.	माता–पिता	अजय कुमार मीना	81
34.	क्षितिज के उस पार	दीपिका त्रिपाठी	82
35.	अपनी–अपनी पहचान एवं एक छोटा सा आशियाना	डॉली गर्ग	83
36.	जीवन की राहों में	सुशील छरंग	84
37.	एक पर्वत की कहानी उसी की जुबानी	विकास वशिष्ट	85
38.	भ्रष्टाचार	सुरज कुमार	86
39.	माँ	प्रतिमा कुमारी	87
40.	ऐसा ना बन जाना मानव, तुमको मानव कहते मानवता शर्माये	अमित कुमार सैनी	88
41.	कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजों के जवाब में	सचिन्द्रनाथ पांजा	89
42.	जीवन क्या है कैसे जाने	कौशल कुमार	90
43.	समय का बदलाव	ज्ञान सिंह	91
44.	जिंदगी की दौड़ में खो गया बचपन	संदीप कुमार छिकारा	94
45.	तुम बेटी हो	पुलकित गोदारा	95
46.	कहाँ से लाऊँ वो माँ	राहुल गुप्ता	96
47.	खुशियों का जहाँ	जुही कुमारी	97
48.	माँ की यादें	जितेंद्र सिंह	98
49.	गौरैया की पुकार	मोहित	99
50.	माँ – बाप और बहू की कहानी	राजेन्द्र कुमार राणा	100

प्रधान मुख्य संरक्षक
कर्नल सिंह
प्रवर्तन निदेशक

मुख्य संरक्षक
सिमान्चल दास
प्रधान विशेष निदेशक

मुख्य संपादक
डी॰ के॰ गुप्ता
विशेष निदेशक

संपादक
जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडल
ए.के. कौशल
उप निदेशक

एम.के. पटेल
सहायक निदेशक

अरूण कुमार
प्रवर्तन अधिकारी

समीर कुमार वर्मा
वरिष्ठ अनुवादक

ज्ञान सिंह
उच्च श्रेणी लिपिक

पत्र व्यवहार के लिए पता:
कमरा सं0 44, हिंदी अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

ड़िस्क्लेमर :– इस पत्रिका में तकनीकी लेखों के अलावा, कविता, कहानी, लेख तथा गज़ल आदि रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं हैं, यदि इनमें किसी तरह का प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन होता है तो रचनाकार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

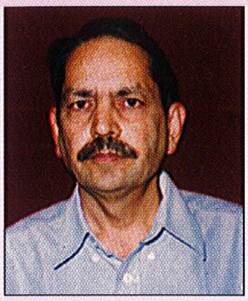

प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, वहीं इस विविधता के बावजूद आपसी एकता इसकी अनूठी पहचान भी है भारत में जितनी भाषायी विविधता है, वे शायद ही किसी दूसरे देश में हो। अपनी असंख्य भाषाओं और बोलियों के बीच जो एक भाषा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है, वह है हमारी राजभाषा हिंदी।

''प्रवर्तन संदेश'' के पाँच अंकों का सफल प्रकाशन अपने आप में ही राजभाषा के प्रति निदेशालय के समर्पण का परिचायक है। इसके पिछले अंकों के लिए पाठकों से प्राप्त हुई सकारात्मक प्रतिक्रिया इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए ''प्रवर्तन संदेश'' के पांचवें अंक को प्रकाशित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। आशा है कि इस अंक को भी विगत अंकों की भांति पाठकों का स्नेह प्राप्त होगा।

मैं यह कामना करता हूँ कि पत्रिका प्रवर्तन संदेश निरंतर सफलता के नए क्षितिजों को हासिल करती रहे और हिंदी का प्रचार–प्रसार कर पाठकों में हिंदी के प्रति जागरूकता की भावना को सृजित करती रहे।

कर्नल सिंह

(कर्नल सिंह)

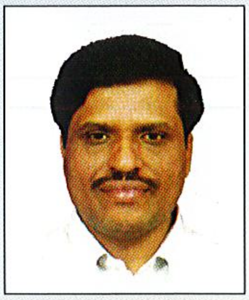

प्रधान विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

मेरे लिये यह गौरव एवं सौभाग्य का विषय है कि निदेशालय की हिंदी पत्रिका ''प्रवर्तन संदेश'' के पांचवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। वास्तव में यह पत्रिका साहित्य में रूचि रखने वाले सभी रचनाकारों को अपने विचारों का राजभाषा हिंदी में अभिव्यक्ति करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करती है। किसी भी पत्रिका की सफलता उसमें समाहित रचनाओं की विविधता, रोचकता एवं ज्ञानवर्धक सामग्री पर निर्भर करती है। हमने उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पत्रिका के इस अंक को एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं उन सभी रचनाकारों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पत्रिका के लिए रचनाएँ भेजी तथा साथ ही प्रकाशन समिति से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस अंक के प्रकाशन को मूर्त रूप दिया। मैं आशा करता हूँ कि पत्रिका का यह अंक आप सभी पाठकों को पसंद आएगा तथा हमें आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

सिमान्चल दास

(सिमान्चल दास)

विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, कि प्रवर्तन निदेशालय (मुख्या0) हिंदी दिवस, 2018 के अवसर पर अपनी गृह पत्रिका ''प्रवर्तन संदेश'' के पांचवें अंक का प्रकाशन कर रहा है।

निदेशालय द्वारा ''प्रवर्तन संदेश'' के प्रकाशन से सभी सरकारी कार्मिकों को अपनी लेखनी के माध्यम से सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सुअवसर मिलता है। मुझे विश्वास है कि हमारी गृह पत्रिका, नई प्रतिभाओं में हिंदी लेखन के प्रति अभिरूचि और उत्साह उत्पन्न करने के लिए एक सार्थक मंच सिद्ध होगी। साथ ही, यह पत्रिका राजभाषा विभाग के पथ पर एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। भाषायी और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राजभाषा हिंदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की धारणा को मजबूत किया है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का अभिन्न अंग है और यह देश की जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम शक्तिशाली तथा प्रभावशाली माध्यम है। हिंदी के इसी गुण और महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संघ सरकार की राजभाषा के रूप में इसे रखा गया है। हिंदी में सरकारी कामकाज करने से सरकार और आम जनता के बीच परस्पर बेहतर संवाद कायम होता है। इस लिए हम सभी भारतवासियों का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिक से अधिक हिंदी के प्रति संवेदनशील और सक्रिय बनाएं।

मैं ''प्रवर्तन संदेश'' के नवीन अंक के प्रकाशन के लिए संपादक मंडल एवं रचनाकारों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका की सफलता और लोकप्रियता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपनी रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय–वस्तु, कलेवर, सार्थकता और समग्र गुणवत्ता के कारण सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी।

देवेन्द्र गुप्ता

डी. के. गुप्ता

सहायक निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संपादक की कलम से......

निदेशालय मुख्यालय की गृह पत्रिका ''प्रवर्तन संदेश'' का पाँचवा अंक आपके हाथों में सौंपते हुए मुझे बड़े ही गौरव की अनुभूति हो रही है। निदेशालय की यह पत्रिका पिछले पाँच वर्षों से अधिकारियों और कर्मचारियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी हुई है। मुझे खुशी है कि पत्रिका के माध्यम से हम राजभाषा हिंदी के प्रति अपने उत्तरदायित्व और सम्मान को भी एक सुन्दर स्वरूप में व्यक्त कर पाते हैं।

भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। जब तक विज्ञान, अनुसंधान और साहित्य केवल अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध रहेगा, उसकी उपलब्धता एवं उपयोगिता कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगी। अगर हमने इसकी उपयोगिता को आम–जन तक पहुंचाना है तो उसे जनता की भाषा में ही जनता के सामने रखना होगा। हमारे देश में नित नवीन अनुसंधान हो रहे हैं, यह अनुसंधान अपनी भाषा में जन–जन के जीवन में उतरेंगे, तभी हम समर्थ हो पाएंगे। गत अंकों की भांति इस अंक में भी सबकी मौलिक रचनाएं यथा लेख, संस्मरण, यात्रावृत्तांत, लघु कहानियां, कविताएं तथा कार्यालयीन लेख इत्यादि सम्मिलित हैं।

मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आप इसी प्रकार सतत सहभागी बने रहेंगे और हम आपके सहयोग के अनुसार पत्रिका में उत्तरोत्तर सुधार करते रहेंगे। साथ ही, हम आगामी अंक के लिए पाठकों के अमूल्य सुझाव/मार्ग निर्देशन तथा रूचिकर रचनाओं की प्रतीक्षा में रहेंगे।

(जगदीश प्रसाद मीना)

पीएमएलए की धारा 45 (1) के तहत उल्लिखित जमानत की दो सख्त शर्तों को समाप्त करना

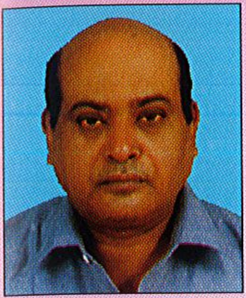

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निकेश तारा चंद शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य (वर्ष 2017 की याचिका आपराधिक संख्या 67/2017) के मामले में दिनांक 23.11.2017 के अपने आदेश के तहत पीएमएलए की धारा 45(1) के अंतर्गत उल्लिखित दो सख्त शर्तों को समाप्त कर दिया है:– यह कि अभियुक्त धन शोधन के अपराध का दोषी है और यदि उसे जमानत दी जाती है तो उसके द्वारा ऐसा अपराध किए जाने की आशंका नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों सख्त शर्तों के अधिकारातीत होने की वजह से उन्हें समाप्त कर दिया है । उपर्युक्त दोनों शर्तों को अधिकारातीत घोषित करने का मुख्य आधार धारा 45(1) के तहत दिए गए उन कथनों पर आधारित था जिनमें यह कहा गया था कि अभियुक्त ने अनुसूची के भाग "क" के तहत एक अनुसूचित अपराध किया है जिसमें तीन वर्ष से अधिक अवधि तक कारावास की सज़ा का प्रावधान है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त कथनों का उल्लेख अनुसूचित अपराध की सज़ा पर आधारित धन शोधन के अपराध को दर्शाता है, जहाँ तक विशेष न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की बात है। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे उपबंधों को घृणाजनक, भेदभावपूर्ण और संविधान के भाग III में उल्लिखित कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया ।

विधानमंडल ने उक्त निर्णय पर व्यापक रूप से विचार करते हुए तथा ऐसे निर्णय के अनुपात को निष्प्रभाव करते हुए दिनांक 19.04.2018 की प्रभावी तिथि से वित्त अधिनियम 2018 में प्रवृत्त किया । विधानमंडल ने पीएमएलए की धारा 45(1) में पहले से विद्यमान उक्त कथनों को निरस्त कर दिया/ हटा दिया, अर्थात

45. संज्ञेय तथा गैर – जमानती अपराध –

(1) {1(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2)} में समाहित किन्हीं बातों के होते हुए भी, अनुसूची के भाग "क" के तहत तीन वर्ष से अधिक कारावास की सज़ा वाले किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को जमानत पर अथवा उसके स्वयं के बाँड पर तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक :–

(i) लोक अभियोजक को जमानत पर ऐसी रिहाई के लिए दिए गए आवेदन का विरोध करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो, तथा

(ii) जहाँ लोक अभियोजक द्वारा ऐसे आवेदन का विरोध किया जाता है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि यह मानने के लिए तार्किक आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई भी अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार है या अशक्त है उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा आदेश देता है :–

जिन्हें निकेश तारा चंद शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017 की रिट याचिका आपराधिक संख्या 67/2017) के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भेदभावपूर्ण माना गया ।

विधानमंडल ने ऐसे निर्णय के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए गए संपूर्ण विवाद को विराम देते हुए "इस अधिनियम के तहत" के रूप में नए कथन प्रतिपादित किए जिसके परिणामस्वरूप उक्त दो शर्त समाप्त हो गई।

"इस अधिनियम के तहत" नए कथन के प्रतिपादित हो जाने के उपरांत उक्त दोनो शर्ते पूर्ण प्रभाव से पुनः प्रभावी हो गई हैं ।

यह विचारणीय है कि सख्त शर्तें, यदि कोई हो, के साथ जमानत प्रदान करना प्रमुखता प्रक्रियागत विधि का विषय है तथा इस कारण, इसे पश्च प्रभाव से प्रवृत्त किया जा सकता है क्योंकि इसका मूल कानून से कोई लेना–देना नहीं है। इस तरह इस निदेशालय के अधिकारी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित जमानत के मामले में विशेष लोक अभियोजक को हमेशा स्मरण दिला सकते हैं कि वे विशेष न्यायालय को धनशोधन के किसी अभियुक्त के संबंध में उपर्युक्त इन दो शर्तों के बारे में विशेष न्यायालय को अवगत कराएं ।

ए.सी.सिंह
उप विधि सलाहकार
मुख्यालय कार्यालय

प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर

कोई भी संगठन अपने मूल्यों एवं सदाचारों के बल पर खड़ा होता है, जो उसके कार्य बल से प्रकट होता है। एक संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय अपने कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय उन कुछ सरकारी संगठनों में से एक है, जिनका अपना प्रशिक्षण कैलेंडर है। प्रवर्तन निदेशालय ने "प्रवर्तन निदेशालय समेकित प्रशिक्षण केंद्र" नामक अपना प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है, जिसे संक्षिप्त में "इडिक्ट" कहते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रशिक्षण पर इसलिए इतना ध्यान केंद्रित किया है कि प्रशिक्षण से ही संगठन का कार्य–निष्पादन, क्षमता और कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। एक संगठन के रूप में हमारा यह मानना है कि इसे बनाने में प्रत्येक कार्मिक का योगदान होता है। हम अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करते हुए इस योगदान को बढ़ाते रहे हैं। पूरे वर्ष प्रशिक्षणों के माध्यम से हमने एक संगठन के रूप में इसे और अधिक सुदृढ़ किया है जिसकी वजह कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो गया है ताकि अन्वेषण कार्यवाहियों के दौरान आने वाली असंख्य चुनौतियों का सामना करने में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में आयोजित किए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:–

1. विधिक मामलों पर कार्यशाला (17 जनवरी–18 जनवरी, 2018): प्रवर्तन अधिकारी और इससे ऊपर के स्तर के 36 अधिकारियों को पीएमएलए से संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, जिससे उन्हें इस निदेशालय में अपने काम–काज को बेहतर बनाने में फायदा मिलेगा।

2. सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम (19 मार्च – 6 अप्रैल, 2018) : सहायक प्रवर्तन अधिकारी स्तर के 41 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित बुनियादी पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षित किया गया, जिससे उन्हें इस निदेशालय में अपने काम–काज को बेहतर बनाने में फायदा मिलेगा।

3. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (23 अप्रैल–04 मई, 2018):– प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 28 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

4. सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम (14 मई–01 जून 2018):– सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 43 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित बुनियादी पाठ्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, जिनका वे इस निदेशालय में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

5. नव पदोन्नत सहायक निदेशकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (18 जून– 22 जून, 2018) : सहायक निदेशक स्तर के 32 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित उनके ज्ञान को पुनः समृद्ध करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनका वे इस निदेशालय में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

6. नव नियुक्त / पदोन्नत अवर श्रेणी लिपिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (19 जून– 21 जून, 2018) : 11 कार्मिकों को लेखा तथा कार्यालय प्रक्रियाओं जैसे :– टिप्पण एवं प्रारूपण, सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से क्रय तथा निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया, वेतन निर्धारण, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता नियमावली इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया ताकि वे बेहतर कौशल के साथ अपना कार्य निष्पादित कर सकें।

7. नव पदोन्नत सहायक निदेशकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (25 जून– 29 जून, 2018) : सहायक निदेशक स्तर के 27 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओ, विधिक प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित उनके ज्ञान को पुनः समृद्ध करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनका वे इस निदेशालय में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

8. नव पदोन्नत प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (2 जुलाई – 6 जुलाई, 2018) : प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 21 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित उनके ज्ञान को पुनः समृद्ध करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनका वे इस निदेशालय में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

9. नव पदोन्नत सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (9 जुलाई – 13 जुलाई, 2018) : सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 24 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विधिक प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया जिनका वे इस निदेशालय में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे और उनका कौशल बेहतर होगा।

10. नव पदोन्नत उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (10 जुलाई – 12 जुलाई, 2018) : 8 कार्मिकों को लेखा तथा कार्यालय प्रक्रियाओं जैसे :– टिप्पण एवं प्रारूपण, सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से क्रय तथा निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं, वेतन निर्धारण, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता नियमावली इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया जिनका वे इस निदेशालय में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे और उनका कौशल बेहतर होगा।

11. नव पदोन्नत अधीक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (01 अगस्त – 03 अगस्त, 2018) : 11 अधिकारियों को लेखा तथा कार्यालय प्रक्रियाओं जैसे मैनुअल तथा कार्यालय प्रक्रियाओं (टिप्पण एवं प्रारूपण दिशा–निर्देश), सूचना का अधिकार, सीसीए (आचरण) नियमावली, सीसीए नियमावली, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति हितलाभ, डीएफपीआर, विभागाध्यक्ष / आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा परीक्षा, मूल नियमावली एवं अनुपूरक नियमावली, सेवापंजी, वेतन निर्धारण, यात्राभत्ता एवं छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली इत्यादि की पूरी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया जिनका वे इस निदेशालय में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे और उनका कौशल बेहतर होगा।

प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन प्रतिरोधन में अधिकारियों / अन्वेषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में गहन अनुभव हो गया है और यह धनशोधन प्रतिरोधन तथा आंतक वित्तपोषण प्रतिरोधी संचालनों के संबंध में अन्य एजेंसियों, जहां आवश्यकता हो, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

संजय लवानियाँ
संयुक्त निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

एक कंपनी द्वारा फ्लोटिंग लुभावन (पाँजी) योजनाओं के तहत हजारों भोले-भाले लोगों को धोखे से लूटना।

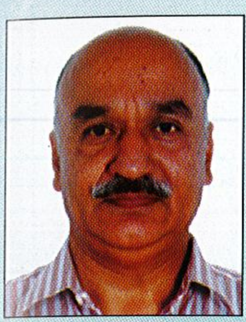

उत्तर भारत की एक कंपनी, जिसके कार्यालय पूरे देश में स्थित हैं, ने अपनी पाँजी योजनाओं के तहत भोले-भाले एवं सीधे-सादे लोगों को धोखे से लूटा। विज्ञापन में इस कंपनी को वाणिज्यिक और थोक एवं आवासीय सेग्मेंटों के बहु-आयामी पोर्टफोलियो वाली भारत की प्रमुख रीयल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी बताया गया था। यह कंपनी कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद का कार्य भी कर रही थी और इसके पास बृहत भूमि बैंक था।

निवेशकों को लुभाने के उद्देश्य से, इस कंपनी के पास ग्राहकानुकूल आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसर था। इसने निवेशकों से सख्त गुणवत्ता नीति एवं अंतरराष्ट्रीय मानक की अवसंरचना पद्धतियों का पालन करने का वादा किया था। इस कंपनी ने यह उल्लेख किया था कि यह अवसंरचनात्मक विकास और वहनीय दरों पर ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय एंव वाणिज्यिक संपत्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता कर रहा है। इसने निवेशकों के मन में यह अवधारणा भी विकसित की थी कि यह कंपनी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और समाज के कमजोर वर्ग की संवृद्धि करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करेगी। यह कंपनी पूरे भारत वर्ष की अनेक परियोजनाओं से जुड़ी हुई थी तथा इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निर्माण मानकों का अनुपालन करने हेतु परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के संबंध में अपने निवेशकों से प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

कंपनी ने अपने क्षैतिज विस्तार के क्रम में इस आश्वासन के साथ निवेशक बनाए कि वह बंजर भूमि को आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषियोग्य भूमि में परिवर्तित करेगी। इस अभियान के भाग के रूप में, कंपनी ने यह विज्ञापन निकाला कि उसे भूमि का विकास करने तथा अनुरक्षण संबंधी कार्यकलापों में वृहत एवं समृद्ध अनुभव है, विशेषकर पूरे देश में स्थित अनेक फार्मों में बीज के उत्पादन सहित कृषि के क्षेत्र में। इन फार्मों में, वे गेहूँ, धान, बेबी-कॉर्न एवं सब्जी तथा उच्च गुणवत्ता वाले आम, चीकू, आंवला, काजू-बादाम इत्यादि उपजाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) के साथ अपने रणनीतिक सह-संबद्धता को प्रदर्शित किया। इन सह-संबद्धताओं के माध्यम से आमों (बंगनापल्ली, अल्फांसा, नीलम, बंगलोरा इत्यादि) की गुणवत्ता-एवं मात्रा विभिन्न स्थानों के बगीचों में बेहतर होगी।

कंपनी की कार्य-प्रणाली दूर-दराज़ के राज्यों में स्थित बंजर को कृषि भूमि में विकसित करने की एक योजना के लिए गांवों में लघु निवेशकों से अग्रिम भुगतान प्राप्त करना था। विभिन्न विधि एजेंसियों के अन्वेषण से पता चला कि इस योजना में एक क्लासिक पाँजी प्रचालन के सभी हॉलमार्क थे। पहला, भूमि की प्रत्यक्ष रूप से खरीदी जा रही थी, निवेशकों के खरीदे गए प्लॉटों या प्लाटों के विकास में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में दो प्लॉट समान कीमत पर बेचे गए तथा इसके लिए काफी अधिक प्रतिफल प्राप्त होने का वादा किया गया। सबसे खराब यह था कि कंपनी ने जो भूमि बेची उसमें से 80 प्रतिशत भूमि भी उसकी नहीं थी। प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न विधि एजेंसियों द्वारा अन्वेषण के दौरान यह पाया गया है कि निवेशकों से प्राप्त हजारों करोड़ रूपये की निधि सहयोगी संस्थाओं को अनगिनत संपत्ति की खरीद के लिए प्रदान की गई। इसके अलावा, यद्यपि निवेश इस बहाने लिया गया कि 36 प्रतिशत धनराशि निवेशकों को बेची गई संपत्ति में तथा 64 प्रतिशत धनराशि निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से बेची गई संपत्ति में निवेश की जाएगी, तथापि निवेशकों के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख(सेल डीड) अधिकांशतः जाली और नकली थे।

कथित–विक्रय विलेख उन भूखंडों के संदर्भ में निष्पादित किए गए जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं थे, वस्तुतः वे सरकारी भूमि जैसे वक्फ बोर्ड, ग्राम सभा की जमीन तथा वन भूमि थी जिस पर कंपनी का स्वामित्व नहीं था।

संपत्तियों की प्रत्यक्ष बिक्री तथा निष्पादित किए गए विक्रय विलेख जारी तथा नकली पाए गए। साथ–ही अधिकांश मामलों में यह कहा गया था कि निवेशकों को भूमि आवंटित कर दी गई है, तथापि कोई विक्रय विलेख नहीं किया गया था। इस तरह स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ था, जबकि निवेशकों से 34 प्रतिशत राशि उनके नाम संपत्ति अंतरण करने के प्रयोजन से ली गई थी। यद्यपि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत कोई बिक्री नहीं हुई थी, तथापि लेखा बहियों में झूठी प्रविष्टियां की गई थीं। भले ही लेखा बहियों में राशि को भूमि के विकास के मद में दिखाया जा रहा था, लेकिन वास्तव में नकली बिलों (इनवॉयस) के आधार पर विभिन्न सहायक संस्थाओं को राशि अंतरित कर दी गई थी। तथा वास्तव में किसी भी भूमि का विकास नहीं किया गया था। मुख्य कंपनी को भूमि के हस्तांतरण हेतु अनेक मध्यस्थ कंपनियां भी बनाई गई थी। ग्राहकों से इस तरह संग्रहीत निधि का उपयोग ग्राहकों को कथित रूप से आवंटित भूमि की पुनः बिक्री करने के लिए किया गया जबकि वास्तव में ग्राहकों को किसी भूमि का वास्तविक अंतरण नहीं किया गया। मुख्य–कंपनी की उपर्युक्त मध्यस्थ कंपनियों से भूमि का लिखित अंतरण स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किए बिना अपंजीकृत–मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी), बिक्री करार इत्यादि के माध्यस्थ से मुख्य कंपनी द्वारा मध्यस्त कंपनियां अपने निवेशकों को धनराशि की चुकौती करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं।

इन कंपनियों को झूठे दस्तावेजों के आधार पर धनराशि अंतरित की गई। कमीशन एजेंट के रूप अनेक एजेंट बनाए गए तथा लाखों की संख्या में कमीशन एजेंट नामांकित किए गए और एक हजार से अधिक एजेंट उच्च स्तरों पर आसीन थे एवं इन एजेंटों को काफी अधिक कमीशन प्रदान किया जाता था। इस तरह बहुत अधिक संख्या में लोगों से निधि प्राप्त करने हेतु विपणन तकनीक, जिसमें संग्रहण एजेंटों को प्रोत्साहन सहित कमीशन एजेंट कहा जाता था, को व्यापक रूप से अपनाया गया और काफी अधिक संख्या में भोले–भाले ग्राहकों को रिझाने का लक्ष्य बनाया गया। प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य विधि एजेंसियों के अन्वेषण से यह भी पता चला कि कंपनी की निधि विदेश स्थित प्रतिष्ठानों को अंतरित कर दी गई और निवेशकों की धनराशि संयुक्त उद्यमों को बनाकर विदेश में रीयल एस्टेट में निवेश कर दी गई।

कंपनी ने भूमि विकास कार्य के नाम पर ग्राहकों को धोखा दिया और कोई भू–विकास कार्य नहीं कराया गया तथा हजारों करोड़ रूपये निधि शैल कंपनियों एवं अन्य कंपनियां, जो कथित रूप से भूमि विकास कार्य से जुड़ी दर्शायी गई थी, से जाली बिल (इनवॉयस) लेते हुए अन्यत्र अंतरित कर दिए। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि अन्य अभियुक्तों सहित इस षड्यंत्र में लिप्त अभियुक्त ने शैल कंपनियों एवं अन्य कंपनियों के माध्यम से नकली भूमि विकास के माध्यम से हजारों करोड़ रूपये अन्यत्र आवंटित किए गए।

एक जनहित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंपनी को अपनी परिसंपत्तियां हस्तांतरित करने पर रोक दी। अंततः कंपनी की विनियमितताओं की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति की गई।

कंपनी बहुत सारी निवेश योजनाओं को एक साथ चला रही थी तथा कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह निवेशकों से ली गई धनराशि उन्हें वापस करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की ताकि कंपनी की परिसंपत्तियां बेची जा सकें और भोले–भाले निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा सके।

ए.के. कौशल
उप निदेशक,
मुख्यालय कार्यालय

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। धारा 4 (2) के अधीन इस समिति में बीस सदस्य लोक सभा और दस सदस्य राज्य सभा से नियुक्त किए गए। समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम खंड राष्ट्रपति को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रशिक्षण, संदर्भ और संपूरक साहित्य के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन का प्रथम खंड अधिनियम की धारा 4 (3) के अनुसार तारीख 8 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा इसकी प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई। चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से था, अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई।

2. राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :-

(क) शेष अनुवाद कार्य को पूरा करना

(1) फार्मों का अनुवाद, मुद्रण और प्रयोग

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) (III) के अंतर्गत आने वाली संविदाओं, करारों, लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिंदी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें या भरे जा सकें।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

(2) कोडों और मैनुअलों आदि के अनुवाद के लिए समय-सीमा का निर्धारण

समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन कोडों, मैनुअलों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है उनके अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए जिससे यह कार्य 1987 के अंत तक पूरा हो जाए।

समिति द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शेष अनुवाद कार्य की मात्रा को देखते हुए रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद के लिए शेष अपने कोडों, मैनुअलों आदि का तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के अनूदित न हुए कोडों और मैनुअलों के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 के अंत तक पूरा किया जाए। रक्षा मंत्रालय में चूंकि अनुवाद के लिए शेष कोडों और मैनुअलों की संख्या बहुत अधिक है, अतः रक्षा मंत्रालय इस कार्य को वर्ष 1994-95 के अंत तक पूरा करे।

(3) विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनवुाद का कार्य

(I) समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/ निर्णय पुस्तकों, प्रिवी काउंसिल (1837-1950), फेडरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950-1968) द्वारा

किए गए निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीघ्र किया जाए तथा इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए ।

इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जो निर्णय अब प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। जिनका सार देने से काम चल सकता है, उनका सार मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाए। अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे ।

(II) संसदीय विधियों का हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा II के अनुसरण में संसदीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कार्य के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए।

संसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में पहले ही किया जा रहा है। जहां तक विधेयकों का संबंध है, सरकारी विधेयकों के अनुवाद का कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खंड करेगा। प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के हिंदी अनुवाद का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय करेगा। प्रारम्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का काम भी विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे। बाद में, इसे लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।

(III) राज्यों के अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अनुसरण में, राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने का काम राज्य सरकारों का है। इस सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।

(4) प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद

समिति ने प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण सामग्री का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अग्रता के आधार पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाएं।

(ख) अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

(5) प्रकिया साहित्य के अनुवाद के लिए व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडों/फार्मों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए। यह काम इस समय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर संचार विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि वहीं पर यह कार्य किया जाता रहे तथा उन्हें इसके लिए उपयुक्त स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। संबंधित मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।

(6) द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की द्विभाषिकता की नीति के सफल संचालन के लिए लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति संबंधी कार्यान्वयन का कार्य भी पिछड़ न पाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(7) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों आदि के देश–विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है, वहाँ भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो कार्य द्विभाषिक रूप में किए जाने हैं उन्हें द्विभाषिक रूप में ही किया जाए और इसके लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(8) उपक्रमों के विधि साहित्य का अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि विधायी विभाग के राजभाषा खंड को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाए कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली–भांति वहन कर सके।

इस सिफारिश पर विचार किया गया। विधायी विभाग का राजभाषा खंड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है। बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। विधायी विभाग का राजभाषा खंड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। छोटे उपक्रमों, जिनके लिए यह व्यवस्था स्वयं करना व्यावहारिक न हो, के लिए उचित व्यवस्था का प्रबन्ध उद्योग मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो, स्टेडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक इंटरप्राइजिज (स्कोप) के माध्यम से या किसी और प्रकार से करने का प्रयत्न करे।

(9) अनुवाद संबंधी पदों का सृजन

समिति ने सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों/विभागों आदि को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है, वहां इसके लिए अनुवादक आदि की नियुक्ति करें । इसके लिए किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें । जिन कार्यालयों में

25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हैं उनमें भी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदेय के आधार पर अनुवाद का प्रबन्ध करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(10) अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना

विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि के विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए । इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी तथा हिंदी में उच्च प्रवीणता होने पर, विभिन्न राजसेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किए जा सकें।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(11) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के अलग–अलग संवर्ग गठित करना

समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा उपक्रमों को अपने–अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का भी अलग–अलग संवर्ग गठित करना चाहिए ।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है जहां संवर्ग का गठन संभव हो वही संवर्ग बनाया जाए, जहां संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ग) कोडों, मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण, तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन और वितरण

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषिक निर्माण मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(12) द्विभाषिक रूप में निर्माण तथा संशोधन

(I) कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रकिया साहित्य के हिंदी और अंग्रेजी पाठ साथ–साथ तैयार कराए जाएं तथा समय–समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ–साथ हो।

(II) द्विभाषिक रूप में मुद्रण तथा प्रकाशन

अब तक अनुदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड, मैनुअल और फार्म, हिंदी अनुवाद उपलब्ध होने पर, द्विभाषी रूप में तुरन्त मुद्रित/ प्रकाशित किए जाएं । मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया जाए। यदि इनके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/ साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गंभीरता से लिया जाए।

(III) द्विभाषिक रूप में वितरण

कोड, मैनुअल, अन्य प्रकिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय–समय पर किए जाने वाले संशोधन मंत्रालयों/ विभागों आदि के संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों

आदि में जहां भी उनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध करवाए जाएं।

(iv) समन्वय अधिकारी की नियुक्ति

मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों/ मैनुअलों/ फार्मों और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालयों/ विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी मंत्रालय/ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए।

उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/ विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(घ) अनुवाद प्रशिक्षण

(13) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कर्मियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए। इसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी। जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र तदर्थ आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए।

जहां तक प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अनुवादकों को 1988 के अन्त तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं है । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाए ।

(14) विधिक सामग्री के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने विधिक अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में यह सिफारिश की है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनुवादकों का स्तर सुधारने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा स्वयं विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

(15) अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण

समिति ने अनुवादकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवादकों का ज्ञान तथा अनुवाद स्तर बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के पाँच साल बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाए।

(16) हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी मंत्रालयों/ विभागों/ उपक्रमों/ कार्यालयों आदि में सभी स्तरों पर एक अत्यंत कुशल, सुचारू एवं फुर्तीली अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

(17) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण

समिति के विचार में अनुवाद कर्मियों के एक विभाग के दूसरे विभाग में स्थानांतरित किए जाने पर नए विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थिति और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिए उस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/ विभागों आदि को यह प्रशिक्षण विभागीय रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ङ.) मानक शब्दावली का निर्माण

(18) समिति ने शब्दावली निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है:-

(I) नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना

शब्दावली आयोग 1970 के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में आए हजारों नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करने का काम तत्काल अपने हाथ में ले और अपने शब्द ग्रंथों को अद्यतन बनाने की दिशा में कदम उठाए।

(II) शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा

समय-समय पर इन शब्दावलियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन बनाने के लिए इनमें विज्ञान की नई खोजों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार नई अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त नए शब्द जोड़े जाने चाहिए।

(III) निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना

विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए

(iv) उच्चस्तरीय समिति का गठन

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान तत्काल भर लिए जाएं तथा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करे।

(च) मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण

(19) समिति ने मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की है:-

(i) मानक हिंदी पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित करना

मानक शब्दावलियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिए जो हिंदी पर्याय दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे, उनका ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे राजभाषा का मानक रूप उभर कर आए।

(ii) प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग में उनके ज्ञान का विस्तार हो और उनकी भाषायी क्षमता बढ़ सके।

(iii) अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान

अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाए और सभी आधारभूत शब्दों की सूचियां तैयार कर हिंदी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तक मंडलों को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग से शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

(iv) शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों का अनुकूलन

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में उपयुक्त एजेंसिया स्थापित की जाएं ताकि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य में शब्दावली की अभीष्ट एकरूपता स्थापित हो सके।

(v) अध्ययन–अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग

शब्दावली निर्माण में लगे अभिकरण विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा प्राध्यापकों को भेजें और राज्यों में जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें, जिससे वे नवनिर्मित शब्दों से परिचित हो सकें और अध्ययन–अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सकें। ग्रन्थ अकादमियों तथा सरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी इस और अधिकाधिक ध्यान देना होगा।

(vi) कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना

हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें।

(vii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन

सरकारी स्तर पर हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं। इस क्षेत्र में निजी प्रकाशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त यह हो कि इनमें प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

(viii) केंद्रीय सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा निर्मित विधि, विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों का केंद्रीय सरकार के कामकाज में, जिसमें कि आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण भी शामिल है, सुनिश्चित प्रयोग किया जाए।

(ix) शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित शब्दावलियां सभी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार

पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं।

(x) शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालय आदि को भी वर्तमान और भविष्य में निर्मित की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे विभिन्न विषयों के लिए हिंदी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री में उसका यथासम्भव व्यवहार सुनिश्चित करें। इसी प्रकार का अनुरोध ग्रन्थ अकादमियों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी प्रकाशकों से भी किया जा सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों में इन शब्दावलियों का ही यथासम्भव प्रयोग करें।

(xi) शब्दावली बैंक की स्थापना

विधि, विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरन्त किया जाए । यह कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा जा सकता है।

(xii) विधि शब्दावली का न्यायालयों में वितरण

विधायी विभाग द्वारा निर्मित विधि शब्दावली का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां देश भर में फैले ऐसे न्यायालयों में भी, जहां हिंदी का प्रयोग किए जाने की सम्भावना हो, निशुल्क अथवा कम मूल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए।

(xiii) विधि की पाठ्य पुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग

हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी, चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हो अथवा हिंदी में मूलतः लिखी जाएं, प्राधिकृत विधि शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है।

(xiv) विधि शब्दावली का वितरण

विधायी विभाग विधि शब्दावली की अनेकानेक प्रतियां छपवाकर इसके वितरण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसका प्रयोग तथा भाषा में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। मानक शब्दावली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं, जिसका अनुपालन मंत्रालयों/ विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त (vi) के बारे में भी निर्देश राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार–प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पुस्तक प्रकाशन में उसके प्रयोग, शब्दावली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों में उल्लिखित कार्रवाई शिक्षा विभाग करे।

इसी प्रकार विधि शब्दावली के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय का राजभाषा खण्ड करे।

(छ) मूल प्रसारण

(20) विधि प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग

(i) विधि क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी में बनी विधियों का निर्वाचन कर निर्णय हिंदी में लिखे जाएं।

(ii) कोड, मैनुअल इत्यादि के मूल प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग

भविष्य में नए कोड, मैनुअल आदि का सृजन मूल रूप से हिंदी में किया जाए।

ये सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। यद्यपि अभी इन पर पूरी तरह अमल करना सम्भव नहीं होगा, फिर भी इसके लिए यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए । विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण के बारे में विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे।

जहां तक कोडों, मैनुअलों का सृजन मूल रूप से हिंदी में किए जाने का सम्बन्ध है, राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/ विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ज) शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशें

(21) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान–विज्ञान के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकतानुसार बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अध्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान–विज्ञान का आवश्यकतानुसार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए।

सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर कराया जाए ।

तद्नुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विकास इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(22) ज्ञान–विज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए संदर्भ ग्रंथो और सम्पूरक साहित्य पर कार्रवाई करे।

समिति ने ज्ञान–विज्ञान के श्रेष्ठतम साहित्य को छात्र–वर्ग और आम आदमी तक पहुंचाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, पारिभाषिक कोश, विश्वविद्यालय–स्तरीय पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ और संपूरक का सृजन किया जाए तथा हिंदी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

(23) हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार

समिति ने हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे में यह सिफारिश की है कि हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ।

(24) उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम

समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए।

(25) संदर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण

समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। इसके लिए

आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण एवं कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग इस बारे में अपेक्षित अनुदेश जारी करे ।

(झ) विधि के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशें

(26) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा

समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(27) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में व्यवस्था नहीं की गई है और सिफारिश की है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

(ञ) अनुवाद की भाषा का स्वरूप (28) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के संबंध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उसी स्वरूप को अपनाया जाना भारत की अखण्डता तथा एकता के हित में है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मंत्रालयों / विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी किए जाए ।

(ट) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम का अनुपालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

(29) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे ।

(ठ) समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना

(30) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 11.1.2 में किया गया है, समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिस पर समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेजकर समिति की उपेक्षा की है । इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए । इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

(ड) राज्य सरकारों से संबंधित सिफारिशें

(31) न्यायिक अधिकारियों को राज्य की

समिति ने सिफारिश की है कि न्यायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में दे सकें। विधि शब्दावली का उन्हें ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा अपने जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना काम राज्य की राजभाषा में कर सकें।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है । यह सिफारिश आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(32) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम करना

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों और अधिवक्ताओं को ये निर्देश दें कि वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें ताकि बाद में चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके । यह भी अनिवार्य कर दिया जाए कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्ततोगत्वा यह कार्य पूरा–पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(33) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि राज्य की भाषा में पारित करना

समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय, डिक्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(34) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन है। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा :–

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.7 में उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था के बारे में सिफारिश।

जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

धन शोधन के विरूद्ध विश्वव्यापी प्रयास

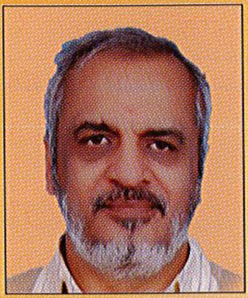

धन शोधन : मूल अवधारणा

धन शोधन की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा है। इसकी शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इसका प्रारंभ मादक पेय पदार्थों के व्यापार में अनुचित तरीके से प्राप्त संपत्ति को छिपाने के प्रयास से किया गया था । अमेरिका में अपराधिक समूह के एक सदस्य मेयर लैनस्की ने छोटे जुआखानों से विदेश में स्थित बैंकों के खातों, विशेषकर स्विस बैंकों, में निधि का अंतरण किया। ऐसे कार्यकलाप को 'पूंजी पलायन'की संज्ञा दी गई । 'धन शोधन'शब्द पहली बार स्वतः 'वाटरेगट कांड' के दौरान चर्चा में आया । इस संदर्भ में, ब्रिटेन के समाचार–पत्र ने नया शब्द 'शोधन' (लॉड्रिंग) बनाया।

इंटरपोल जेनरल सेक्रेटारियट असेम्बली ने वर्ष 1995 में 'धनशोधन' को परिभाषित करते हुए कहा, "अवैध रूप से प्राप्त आगम को छिपाने या गुप्त रखने के उद्देश्य से किया गया कोई कृत्य या प्रयतित कृत्य, जिससे कि यह प्रतीत हो कि आगम अवैध स्रोतों से प्राप्त हुआ है।" हालांकि इसकी परिभाषा पहली बार पलेर्मो अभिसमय में स्वीकार की गई । संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्विन टॉवर पर किए गए हमले के पश्चात धन शोधन की अवधारणा आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने वाले वित्त–पोषण के संदर्भ में भी विस्तारित हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आकलन के अनुसार, विश्व में धन शोधन की कुल प्रतिशतता विश्व के सकल घरेलू उत्पाद की दो से पाँच प्रतिशत के बीच है। यह प्रति वर्ष 800 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है । इस तरह, पूरे विश्व में इस अवैध गतिविधि को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों का दुरूपयोग किया जा रहा है । इसमें विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यो का निम्न रूप मे तीन भागों मे विस्तृत उल्लेख किया गया हैः–

(क) धन शोधन को रोकने के लिए किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रयास

धन शोधन पर रोक लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का संस्थाकरण कर दिया गया है और इसके लिए अनेक फोरम बनाए गए हैं जैसे :–

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) निम्नलिखित के माध्यम से वस्तुतः विश्व स्तर पर विभिन्न अभिसमयों के तहत धन शोधन गतिविधियों का निवारण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करने हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन था ।

धन शोधन के विरूद्ध वैश्विक कार्यक्रम (जीपीएमएल) यूनाइटेड नेशन्स, ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (ओडीसी)।

(1) वियना अभिसमय

नशीली दवा के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अवैध व्यापार तथा बैंकिंग प्रणाली में काफी अधिक मात्रा में जमा कराई जा रही राशि के बारे में बढ़ती चिंता की वजह से, संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन्स ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम (यूएनडीसीपी) के माध्यम से इस दिशा में प्रभावकारी कदम उठाए । वर्ष 1997 में यूएनडीसीपी का पुनः नामकरण "ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एण्ड क्राइम प्रिवेंशन" (ओडीसीसीपी) तथा अक्टूबर 2002" में ऑफिस ऑफ ड्रग्स एण्ड क्राइम (ओडीसी) किया गया।

वर्ष 1998 का स्वापक ड्रग तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमयः– वर्तमान में प्रवृत्त तीन प्रमुख ड्रग नियंत्रण संधियों में से एक है । यह स्वापक ड्रग के संबंध में एकल अभिसमय 1961 तथा मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में 1971 के अभिसमय का प्रवर्तन करने के लिए अतिरिक्त विधिक तंत्र की उपलब्धता कराता है । यह अभिसमय 11 नवम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ । फरवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार, इस अभिसमय के 190 सदस्य देश हैं । वियना अभिसमय मुख्यतः अवैध ड्रग व्यापार तथा इससे संबंधित विधि प्रवर्तन मुद्दों के निवारण संबंधी उपबंधों से संबद्ध है, यद्यपि इसमें 'धन शोधन' पद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथापि यह अभिसमय इस अवधारणा को परिभाषित करता है तथा राष्ट्रों से अपील करता है कि वे इस गतिविधि को अपराधिक घोषित करें। तथापि, वियना अभिसमय स्थापित अपराधों के रूप में अवैध ड्रग व्यापारों तक ही सीमित है, धन शोधन के निवारक पहलुओं का उल्लेख नहीं करता है।

अभिसमय के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिसमयों में एक पैरामीटर अनुच्छेद 3 है तथा इसमें शामिल मुख्य उल्लेख है :–

1. प्रत्येक भागीदार देश किसी भी स्वापक ड्रग या मन प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, निष्कर्षण, तैयारी, पेशकश, बिक्री की पेशकश, वितरण, बिक्री, शर्तों (चाहे जो भी हो) पर सुपुर्दगी, दलाली, प्रेषण, यात्रा में प्रेषण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में ऐसा उपाय करेगा जो उसके घरेलू कानून के तहत इन्हें दांडिक अपराध मानने के लिए आवश्यक हो, ये 1961 के अभिसमय के उपबंधों के प्रतिकूल होंगे :–

(V) किसी भी अपराध का संगठन, प्रबंधन या वित्त पोषण तथा संपत्ति का परिवर्तन या अंतरण संपत्ति के मूल स्रोत को गुप्त रखने या छिपाने या ऐसे किसी अपराध या अपराधों को करने में लिप्त किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों हेतु होने वाले विधिक परिणामों से बचाने के लिए सहायता करने के प्रयोजनार्थ, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उप–पैरा (क) के अनुसार स्थापित किसी अपराध या अपराधों या ऐसे अपराध या अपराधों से भागीदारी के कृत्य से प्राप्त हुई है,

(ग) इसके संवैधानिक सिद्धांतों तथा इसकी विधिक प्रणाली की मूल अधारणाओं के अध्यधीन

(i) संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व या उपयोग, प्राप्ति के समय यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उप–पैरा (क) के अनुसार स्थापित किसी अपराध या अपराधों या ऐसे अपराध या अपराधों से भागीदारी के कृत्य से प्राप्त हुई थी।

"एफएटीएफ यह समझता है कि हमारी परिभाषा इन उपबंधों के अनुरूप नहीं है, यह मुद्दा विश्व बैंक की एफएसए रिपोर्ट में हमारे मूल्यांकन में उठाया गया था तथा यह हमारे अगले मूल्यांकन में विशेष ध्यान का विषय होगा"!

2. पलेर्मो अभिसमय

अंतरराष्ट्रीय संघटित अपराध को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास को सघन बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय संघटित अपराध के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (2000) को स्वीकार किया, जो 29 सितंबर 2003 को प्रवृत्त हुआ (पलेर्मो अभिसमय) । पलेर्मो अभिसमय विशिष्ट रूप से अभिसमय की पुष्टि करने वाले प्रत्येक राष्ट्र को इस बात के लिए वचनबद्ध करता है कि वे –

- धन शोधन को अपराध माने तथा इसमें धन

शोधन के स्थापित अपराधों जैसे सभी गंभीर अपराधों को शामिल करे, चाहे देश के भीतर या देश के बाहर किया गया हो और वस्तुगत तथ्यों से निष्कर्षित अपेक्षित अपराधिक ज्ञान या आशय की अनुमति देता है,

- इसके भागीदार राज्य घरेलू दांडिक अपराधों के सृजन सहित अंतरराष्ट्रीय संघटित अपराध के विरूद्ध उपाय करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं (संघटित अपराधिक समूह, धन शोधन, भ्रष्टाचार तथा न्याय में अवरोध उत्पन्न करने में भागीदारी),
- प्रत्यर्पण, प्रत्येक परस्पर विधिक सहायता तथा विधि प्रवर्तन सहयोग के लिए नए तथा विस्तृत ढांचे को अंगीकार करें ।
- राष्ट्रीय प्राधिकरणों की आवश्यक क्षमता के निर्माण अथवा स्तरोन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता को बढ़ावा दें ।

इस अभिसमय को तीन प्रोटोकॉल अभिपूरित करते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों तथा संघटित अपराध के आविर्भाव को लक्ष्यित करता है :

- व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी का निवारण करने, उन्मूलन करने तथा दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल,
- भूमि, समुद्र तथा आकाश के माध्यम से प्रवासियों के तस्कर–व्यापार के विरूद्ध प्रोटोकॉल,
- आग्नेयास्त्रों, उनके पूर्जों तथा घटकों एवं गोली–बारूद के अवैध विनिर्माण एवं व्यापार के विरूद्ध प्रोटोकॉल।

3. आतंकवाद के लिए वित्त पोषण को समाप्त करने के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय

दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए हमले से पहले आतंकवाद के लिए वित्त पोषण करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय था । इस चिंता के प्रत्युत्तर में , संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के वित्त पोषण के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को अपनाया । यह अभिसमय दिनांक 10 अप्रैल, 2002 को प्रवृत्त हुआ। 132 राष्ट्रों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए तथा 112 राष्ट्रों ने इसकी पुष्टि की ।

इस अभिसमय के तहत पुष्टि करने वाले राज्यों से यह अपेक्षित था कि वे आतंकवाद, आतंकी संगठनों एवं आंतकी गतिविधियों को अपराधिक मानें। इस अभिसमय के तहत, किसी भी व्यक्ति के लिए यह अवैध है कि वह निधि उपलब्ध कराए या संग्रहीत करे कि (i) इस आशय के साथ निधि का उपयोग (ii) इस ज्ञान के साथ निधि का उपयोग इस अभिसमय में संलग्न अन्य विशिष्ट अभिसमयों में परिभाषित आतंकवाद के किसी भी कृत्य को निष्पादित करने के लिए किया जाए ।

4. सुरक्षा परिषद संकल्पना 1373

यह राष्ट्रों को इस बात के लिए वचनबद्ध करता है कि वे आतंकवाद का वित्त–पोषण करने वाले कार्य को अपराधिक मानें तथा आतंकवादी समूहों के लिए सभी प्रकार की सहायता को निषेध करें ।

- आतंकवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय या सहायता के प्रावधान को समाप्त किया जाए, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों, संगठनों या निकायों को निधि या परिसंपत्ति की निकासी पर रोक लगाना,

- आतंकवादियों के लिए सक्रिय या निष्क्रिय सहायता को निषेध करना, तथा
- अपराधिक अन्वेषणों में अन्य देशों का सहयोग और सुनियोजित आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सूचना साझा करना ।

5. सुरक्षा परिषद संकल्पना 1267 तथा परवर्ती संकल्पनाएं

इसके तहत सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा है कि वे तालिबान, ओसामा बिन लादेन तथा अल कायदा और इनके स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों, जो "संस्वीकृति समिति" नामित किए गए हैं, की परिसंपत्तियों के उपयोग पर रोक लगाएं । 1267 समिति उन व्यक्तियों एवं निकायों की सूची जारी करता है जिनकी परिसंपत्तियों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है तथा सदस्य राष्ट्रों के अभ्यावेदनों के आधार पर सूची में समावेशन या विलोपन की प्रक्रिया भी है ।

6. धन शोधन के विरूद्ध कार्यक्रम

धन शोधन के विरूद्ध संयुक्त राज्य वैश्विक कार्यक्रम (जीपीएमएल) यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (ओडीसी) के भीतर है । जीपीएमएल एक अनुसंधान एवं सहायता परियोजना है जिसका लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों के अनुरोध पर उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण तथा सलाह प्रदान करते हुए धन शोधन के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की प्रभावकारिता को बढ़ाना है ।

7. आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु समिति

संकल्प 1373 सभी सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए वचनबद्ध करता है कि वे आतंकवाद से डट कर मुकाबला करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करें । इसने आतंक का मुकाबला करने हेतु समिति (सीटीसी) बनाई है ताकि आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक क्षमता का निर्माण करने की दिशा में सदस्य राष्ट्रों के कार्य–निष्पादन की निगरानी की जा सके । सीटीसी में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं । यह समिति सुरक्षा परिषद तथा सदस्य राष्ट्रों के बीच यह विचार–विमर्श करती है कि कैसे संकल्प 1373 के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । संकल्प 1373 सभी राष्ट्रों से यह अपील करता है कि वे सीटीसी को संकल्प में उल्लिखित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और प्रगति से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें । इस संबंध में, सीटीसी ने प्रत्येक राष्ट्र से संकल्प 1373 की अपेक्षाओं के संबंध में आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने मौजूदा विधायन तथा तंत्र का स्व–आकलन करें ।

8. भ्रष्टाचार के विरोधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2003)

भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विधिक रूप से एक मात्र बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार–विरोधी लिखत है । अक्टूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 183 भागीदार राष्ट्र हैं जिनमें 187 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं । इस अभिसमय के अंतर्गत पाँच प्रमुख क्षेत्र आते हैं:

- आतंकवादी गतिविधियों को अपराध ठहराना तथा विधि प्रवर्तन,
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग,
- परिसंपत्ति वसूली,
- तकनीकी सहायता,
- सूचना का आदान–प्रदान।

इस अभिसमय में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप कवर होते हैं जैसे– घूसखोरी, रसूख व्यापार, प्रकार्यों का दुरूपयोग तथा प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार के विभिन्न कृत्य आते हैं । विशिष्ट कृत्यों, जिन्हें भागीदार राष्ट्रों को अपराधिक घोषित करना चाहिए, में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या विदेशी सार्वजनिक कार्मिकों की सक्रिय घूसखोरी,
- राष्ट्रीय सार्वजनिक कर्मचारी का अप्रत्यक्ष घूसखोरी,
- सार्वजनिक निधि का गठन।

परिसंपत्ति वसूली पर आधारित विशिष्ट अध्याय का लक्ष्य उनके उचित स्वामी तथा राष्ट्रों, जिन्हें अवैध रूप से लिया गया था, को परिसंपत्तियां वापस करना था। इसके अलावा, यूएनओडीसी समय–समय पर अधिकार क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करता है तथा अध्याय–वार अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करता है । आजकल भारत का आकलन जारी है ।

ख) अन्य विश्वव्यापी संस्थाएं

1. वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफ.ए.टी.एफ)

वित्तीय कार्रवाई कार्य दल धन शोधन से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करता है । वर्ष 1989 में विश्व भर के राष्ट्र–नेताओं तथा संगठनों के द्वारा जी–7 की बैठक के पश्चात इसकी स्थापना की गई । एफएटीएफ सरकारों का एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो धन शोधन को रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है तथा इन मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है । इसका कारण यह है कि धन शोधन एक तरीका है जिसके माध्यम से आतंकवादी अपने कार्यकलापों के लिए वित्त–पोषण करते हैं । धन शोधन तथा आतंकवाद साथ–साथ चलते हैं । अतः एफएटीएफ आतंकवादियों को किए जाने वाले वित्त–पोषण तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के विरूद्ध दी जाने वाली अन्य धमकियों से लड़ने के लिए मानकों की स्थापना करने तथा इनके कार्यान्वयन के प्रति भी समर्पित है ।

एफएटीएफ ने सिफारिशों की श्रंखला विकसित की तथा फरवरी 2012 में 40 सिफारिशें अंगीकार की गई ताकि धन शोधन, आतंकवाद वित्त–पोषण तथा व्यापक नरसंहार के प्रचार–प्रसार के वित्त–पोषण के विरूद्ध लड़ाई में कार्यान्वित करने हेतु 35 सदस्य राष्ट्रों तथा दो क्षेत्रीय संगठनों को उपायों के लिए एक व्यापक रेंज प्रदान की जा सके। एफएटीएफ उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के नेता राष्ट्रीय स्तर पर उपायों को निष्पादित करें। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उपायों को उपयुक्त बनाते हुए उन्हें अपनाना चाहिए। सदस्यों को धन शोधन के विरूद्ध संस्तुत उपायों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करने के लिए, एफएटीएफ उन्हें मार्ग–निर्देश तथा सर्वोत्तम पद्तियाँ उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2000 में, एफएटीएफ ने एक नाम–तथा–लज्जा प्रणाली का उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसने सार्वजनिक रूप से उन राष्ट्रों के नाम की घोषणा की जो व्यापक एएमएल कानून को बना नहीं सके तथा उन्हें प्रवर्तित नहीं कर सके और अवैध धन प्राप्त करने की गतिविधियों के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय धर्मयुद्ध में उनकी शून्य भागीदारी है । "हाल ही में विचार–विमर्श के माध्यम से पाकिस्तान का नाम ग्रे सूची में रखा गया है" । ये सभी एफएटीएफ सिफारिशें की शैली में क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) द्वारा परस्पर मूल्यांकनों के माध्यम से एवं आईएमएफ तथा विश्व बैंक के द्वारा किए गए आकलनों के माध्यम से आरंभ किए जाते हैं ।

- सिडनी, आस्ट्रेलिया में स्थित धन शोधन के बारे में एशिया / प्रशांत समूह (एपीजी),
- स्पेन, त्रिनिदाद तथा टोबेगो में स्थित कैरीबियन फाइनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्स (सीएफएटीएफ)
- मॉस्को, रूस में स्थित यूरेशिया ग्रूप (ईएजी),
- डरेस सलाम, तंजानिया में स्थित इस्टर्न एण्ड साउदर्न अफ्रीका एंटी–मनीलॉड्रिंग ग्रूप (ईएसएएएमएलजी),
- लिब्रेविल्ले, गैबॉन में अवस्थित सेंट्रल अफ्रीका एंटी मनीलाड्रिंग ग्रूप (जीएबीएसी)
- ब्यूनस आर्यस, अर्जेन्टिना में स्थित लैटिन अमेरिका एंटी मनी लाड्रिंग ग्रूप (जीएएफआईएलएटी),
- डाकार, सेनेगल में स्थित वेस्ट अफ्रीका मनीलाड्रिंग ग्रूप (जीआईएबीए),
- मनामा, बहरीन में स्थित मिडल ईस्ट तथा नॉर्थ अफ्रीका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एमईएनएएफएटीएफ),
- स्ट्रासबर्ग, फ्रांस (काउंसिल ऑफ यूरोप) में स्थित काउंसिल ऑफ यूरोप एंटी मनी लाड्रिंग ग्रूप (मनीवल)।

2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइ एम एफ)

आई एम एफ, 189 सदस्य राष्ट्रों के साथ, वर्ष 2000 से धन शोधन विरोधी प्रयासों को विस्तार दे रहे हैं। आई एम एफ धन शोधन तथा आतंकवाद वित्त पोषण के इसके सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों पर विशेष ध्यान देता है। यह धन–शोधन विरोधी उपायों के प्रति प्रत्येक देश के अनुपालन में तथा सुधार की अपेक्षा वाले क्षेत्रों की पहचान तक मूल्यांकन कराता है। आई एम एफ सदस्यों को उनकी विधिक तथा वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए और एफएटीएफ उपायों के अनुपालन के प्रति केंद्रित नीतियों को विकसित करने की प्रक्रिया में सदस्यों को सलाह ऑफर करते हुए, एफएटीएफ सिफारिशों के अनुपालन में प्रत्येक सदस्य के वित्तीय सेक्टर की सुदृढ़ताओं एवं कमजोरियों को आंकलन करने पर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है ।

नवम्बर 2008 में, जी–20 ने आईएमएफ तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) से अनुरोध किया कि वे नियमित पूर्व सचेतक कवायदों (ईडब्लूई) के बारे में सहयोग करे। ईडब्लूई अल्प संभाव्यताओं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति उच्च– प्रभावकारी खतरों का आकलन करता है और इन्हें प्रशमित करने की नीतियों की पहचान करता है । यह प्रणालीगत खतरों के बारे में बृहत अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय परिप्रेक्ष्यों को गुणवत्तापूर्ण साधनों तथा व्यापक परामर्शों के बृहत रेंज पर समाकलित करता है ।

3. बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बैसल समिति (बैसल समिति)

यह 10 राष्ट्रों के समूह के सेंट्रल बैंक गर्वनरों के द्वारा वर्ष 1974 में बनाई गई। 10 राष्ट्रों का समूह एक अयथार्थ नाम है, चूंकि वे वस्तुतः 13 सदस्यीय राष्ट्र हैं। बैसल समिति के सदस्य हैं : बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विटरजरलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा यूनाइटेड स्टेट्स हैं ।

राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व उनके केंद्रीय बैंक या जहाँ

प्राधिकरण केंद्रीय बैंक नहीं होता है। उनके संगत प्राधिकरण द्वारा बैंकिंग के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण हेतु औपचारिक जिम्मेवारी सहित किया जाता है। समिति की कोई औपचारिक पर्यवेक्षण प्राधिकरण या प्रवृत्तकारी कानून नहीं है। यह व्यापक पर्यवेक्षण मानकों तथा दिशा–निर्देशों को प्रतिपादित करता है तथा बैंक पर्यवेक्षण मुद्दों के व्यापक रेंज पर सर्वोत्तम पद्धतियों के विवरणों की सिफारिश करता है। बैसल समिति के तीन पर्यवेक्षण मानक तथा दिशा–निर्देश का संबंध धन शोधन मुद्दों से है, जो निम्नलिखित हैः–

● धन शोधन संबंधी सिद्धांतों का विवरण

वर्ष 1998 में, बैसल समिति ने धन शोधन के प्रयोजनार्थ बैंकिंग प्रणाली के अपराधिक उपयोग के निवारण संबंधी अपना विवरण (निवारण पर विवरण) जारी किया । निवारण पर विवरण में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है जिसे बैंक प्रबंधनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन शोधन का उन्मूलन करने में सहायता करने के लिए अपनी संस्थाओं में यथासंगत है ।

विवरण इस बात का उल्लेख करता है कि बैंकों को अपराधियों द्वारा अनजाने में मध्यस्थ संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है । इस तरह, समिति धन शोधन के विरूद्ध प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय "बैंकों के अपने प्रबंधनों की सत्यनिष्ठा अपराधियों से संबद्ध होने से अथवा धन शोधन के लिए एक चैनल के रूप में प्रयुक्त होने से उनकी संस्थाओं को रोकने के लिए उनकी सचेत दृढ़ता" मानता है ।

निवारण पर विवरण में चार आवश्यक सिद्धांत हैं :–

- ग्राहक का उपयुक्त सत्यापन,
- उच्च आचार संबंधी मानक तथा कानून का अनुपालन,
- विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग, तथा
- विवरण से संबद्ध नीतियां एवं प्रक्रियाएं ।

बैंकिंग के लिए मूलभूत सिद्धांत

वर्ष 1997 में, बैसल समिति ने प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए अपने मूलभूत सिद्धांत जारी किए, जिनमें प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण प्रणाली के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट दिया गया है तथा यह विभिन्न विषयों को कवर करता है । 25 मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत, मूल सिद्धांत 15, में धन शोधन का उल्लेख है। इसमें इस बात का प्रावधान है कि बैंकिंग पर्यवेक्षक को यह अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि बैंकों के पास पर्याप्त नीतियां, पद्धतियां तथा प्रक्रियाएं, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सख्त नियमावली सहित, संगत हैं जो वित्तीय सेक्टर में उच्च नीतिपरक एवं व्यावसायिक मानकों को बढ़ावा देते हैं तथा बैंकों का दुरूपयोग अपराधिक तत्वों द्वारा साभिप्राय या अनजाने में किए जाने से रोकते हैं । अतिरिक्त मानक में चालीस सिफारिशों के अनुसरण का विशिष्ट संदर्भ शामिल हैं ।

ग्राहक सम्यक तत्परता

अक्टूबर 2001 में, बैसल समिति ने ग्राहक सम्यक तत्परता विषय पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। यह उल्लेखनीय है कि ग्राहक सम्यक तत्परता में उल्लिखित इन केवाईसी मानकों से आशय बैंकों की सुरक्षा तथा सुदृढ़ता और बैंकिंग प्रणाली की

समेकिकता की संरक्षा करते हुए धन शोधन के विरूद्ध लड़ाई से परे बैंकों को लाभ पहुँचाना है । इसके अलावा, बैसल समिति ने इस दस्तावेज में 'एफएटीएफ की सिफारिशों, विशेषकर जो बैंकों से संबद्ध है', को अंगीकार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का पूरजोर समर्थन करता है तथा इसका उद्‌देश्य ग्राहक सम्यक तत्परता के मानकों को "एफएटीएफ की सिफारिशों के संगत" रखना है ।

4. वोल्फसवर्ग समूह

यह तेरह वैश्विक बैंकों का एसोसिएशन है जिसका उद्देश्य वित्तीय अपराध जोखिमों, विशेषकर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन के निवारण तथा आतंकवाद के लिए किए जाने वाले वित्त पोषण को रोकने की नीतियों के संबंध में, के प्रबंधन के लिए ढांचा एवं दिशा–निर्देश तैयार करना है ।

यह समूह उत्तरी–पूर्वी स्विटजरलैंड में शेताऊ वोल्फसवर्ग में, स्टानलि मॉरिस तथा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के समूह में, प्राइवेट बैंकिंग के लिए धन शोधन निवारण संबंधी दिशा–निर्देशों की रूप–रेखा तैयार करने के लिए कार्य करने हेतु अक्टूबर, 2002 में अस्तित्व में आया। प्राइवेट बैंकिंग के सिद्धांत बाद में अक्टूबर 2002 में प्रकाशित हुए, जिन्हें मई 2002 में एवं पुनः हाल में जून 2012 में संशोधित किया गया ।

5. बीमा पर्यवेक्षकों का अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन

बीमा पर्यवेक्षकों का अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन वर्ष 1994 में स्थापित हुआ । यह 100 से अधिक भिन्न भिन्न देशों तथा अधिकार–क्षेत्रों से बीमा पर्यवेक्षकों का संगठन है । इसके प्राथमिक उद्देश्य है :–

- बीमा नियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना,
- बीमा पर्यवेक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करना,
- सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा
- अन्य वित्तीय सेक्टरों तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में नियामकों के साथ कार्य का समन्वय करना ।

एएमएल दिशा–निर्देश टिप्पणी में बीमा निकायों के लिए चार सिद्धांत दिए गए है:–

- धन शोधन निवारण कानूनों का अनुपालन करना,
- "अपने ग्राहक को जानिए" प्रक्रियाओं का होना,
- सभी विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना, तथा
- कार्मिकों के लिए आंतरिक एएमएल नीतियां, प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का होना।

6. प्रतिभूति आयुक्तों का अंतरराष्ट्रीय संगठन

प्रतिभूति आयुक्तों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) प्रतिभूति आयुक्तों एवं प्रशासकों का एक संगठन है जिसके पास अपने संबंधित देशों में सुरक्षा के विनियमन और प्रतिभूति से संबंधित कानूनों के संचालन की रोजमर्रा की जवाबदेहियां हैं आईओएससीओ के मौजूदा सदस्यों में 105 राष्ट्रों के विनियामक निकाय शामिल हैं।

आईओएससीओ के पास प्रतिभूति विनियमन

हेतु 3 प्रमुख उद्देश्य है :–

- निवेशकों का संरक्षण ;
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार सही, उपयुक्त और पारदर्शी है ; तथा
- प्रणालीगत जोखिम में कमी ।

धनशोधन के बारे में आईओएससीओ ने वर्ष 1992 में "धन शोधन के संबंध में संकल्प"पारित किया । इस तरह के अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुसार आईओएससीओ में कोई विधि निर्माता प्राधिकरण नहीं है। बैसल समिति तथा आईएआईएस की तरह, यह अपने संबंधित राष्ट्रों के भीतर अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपने सदस्यों पर निर्भर करता है ।

7.वित्तीय आसूचना यूनिटों का एगमॉण्ट ग्रुप

धनशोधन निवारण करने के प्रयास के क्रम में, सरकारों ने धन शोधन रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसरण में कवर किए गए निकायों एवं व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत सूचना का विश्लेषण करने हेतु एजेंसियां बनाई हैं। ऐसी एजेंसियों को प्रायः वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू) कहा जाता है। ऐसी यूनिटें राष्ट्रीय एएमएल कार्यक्रमों के लिए मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि वे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और विधि प्रवर्तन के बीच सूचना का आदान–प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

(ग) राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय कानून

1. धन शोधन के बारे में यूरोपीय संघ के निदेश

यूरोपीय संघ ने धन शोधन के प्रयोजन से वित्तीय प्रणाली का दुरूपयोग किए जाने को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में पहला धन शोधन निवारण निदेश अपनाया। इसका यह मानना था कि वित्तीय सूचना का पता होना एक महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव के रूप में कार्य करता है। "अपराधिक" की परिभाषा में सिर्फ ड्रग तस्करी ही नहीं आती बल्कि यूरोपीय संघ के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं धोखाधडी सहित सभी गंभीर अपराध आते हैं। यह निदेश अपनी परिधि में वकीलों, लेखा परीक्षकों, लेखापालों कर सलाहकारों, रियल स्टेट के एजेंटों और नोटरियों को कवर करता है। वर्ष 2018 में यह पाँच निदेशों के साथ अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य धन शोधन के विरूद्ध उच्च मानकों को बढ़ावा देना और आतंकवाद के लिए किए जाने वाले वित्त पोषण का उन्मूलन करना था । इन संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित था :–

- कंपनियों, ट्रस्टों तथा अन्य विधिक व्यवस्थाओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रजिस्टरों की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पारदर्शिता में वृद्धि लाना ;
- यूरोपीय संघ आसूचना यूनिटों की शक्तियों में वृद्धि करना तथा उन्हें अपने कार्यों को निष्पादित करने हेतु व्यापक सूचना की सुविधा प्रदान करना ;
- वर्चुवल करेंसियों तथा वॉलिट प्रदानकर्ताओं, प्रीपेड कार्डों से संबंधित अज्ञानता को सीमित रखना;
- उच्च जोखिम वाले तीसरे राष्ट्रों के आकलन हेतु मानदंड को व्यापक बनाना और ऐसे राष्ट्रों से तथा द्वारा वित्तीय लेन–देनों के लिए सुरक्षा उपायों में सुधार करना ;
- सभी सदस्य राष्ट्रों में केंद्रीय बैंक अकाउंट रजिस्ट्रियों या पुनः प्राप्ति प्रणालियों की स्थापना करना ।

2. पेरिस घोषणा

विधि निर्माता फरवरी 2002 में पेरिस में धन शोधन के विरूद्ध यूरोपीय संघ संसद के सम्मेलन में उपस्थित हुए तथा एक 30– सूत्रीय पेरिस घोषणा जारी की जिसमें धन शोधन को "प्रजातांत्रिक देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा" और "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिपथों की विकृति" कहा गया। इससे आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता के साथ–साथ धन शोधन के विरूद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता भी महसूस की गई और इन दोनों को "समान रूप से अति आवश्यक कार्य" कहा गया। पेरिस घोषणा के तहत बड़े प्रभावकारी कदम उठाने की बात कही गई जैसे "गैर–सहकारी देशों और राज्य क्षेत्रों" (एनसीसीटी) की सूची वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएल) के संबंध में देशों के साथ व्यावसायिक संबंधों को प्रतिबंधित करना था। पेरिस घोषणा में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि धन शोधन तथा इससे संबंधित अपराध राष्ट्र विशेष की सीमाओं से बाहर निकल कर दूसरे राष्ट्रों को भी प्रभावित करते हैं । इसलिए इसमें यह सुझाव दिया गया कि कार्रवाई में संबंधित कमियों को दूर किया जाए और आतंकवादियों को धन मुहैया न हो। इस उद्देश्य से राज्यों के बीच विधिक, पुलिस प्रशासनिक सहयोग बढ़ाया जाए ।

3. ग्रेट ब्रिटेन में विधायन

ग्रेट ब्रिटेन में 'धन शोधन' विधायन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 (पीओसीए) है । इस विधायन की व्यापकता काफी अधिक है तथा इसमें न सिर्फ अपराधिक या आतंकवाद से अर्जित संपत्ति को ही कवर किया गया है बल्कि ऐसी संपत्ति के अर्जन, अंतरण, पृथक्करण, उपयोग, संपरिवर्तन, अप्रकटन, या स्वरूप परिवर्तन भी इसके दायरे में आते हैं।

4. संयुक्त राज्य विधायन

संयुक्त राज्य अमेरिका में 1986 के **मनी लॉड्रिंग कंट्रोल** एक्ट के तहत धन शोधन को परिसंघीय अपराध माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने सितम्बर 11 से 43 दिवस के भीतर दिनांक 26 अक्टूबर 2001 को यूएसए पेर्टिअॅट एक्ट ऑफ 2001 पारित किया । यूएसए पेर्टिअॅट एक्ट के तहत दो मौजूदा संविधियों में संशोधन किया गया – धन शोधन के निवारण हेतु धन शोधन नियंत्रण अधिनियम और 1970 का बैंक सीक्रेसी एक्ट (बीएसए) । इस अधिनियम के तहत 1970 के मौजूदा बैंक सीक्रेसी एक्ट में परिवर्तन किया गया और इसके तहत न सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक वित्तीय संस्था एवं व्यवसाय को बल्कि विश्व के अधिकांश देशों की वित्तीय संस्थाओं एवं व्यवसायों को शामिल किया गया । यह अधिनियम विधि परिवर्तन एजेंसियों को नई चौकसी कार्यवाईयों, नए अप्रवास कानूनों तथा नए एवं और अधिक कठोर धन शोधन विरोधी कानूनों सहित संवर्धित अन्वेषक साधन उपलब्ध कराता है ।

इस तरह पूरे विश्व में और विशेष भारत में धन शोधन के विरूद्ध कार्रवाई करने का सतत समग्र प्रयास जारी है । प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन कर्ताओं को कानून की बेड़ियों में जकड़ने के लिए सक्रिय एवं सुनिर्धारित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में पारित भगौड़ा अधिनियम एफएटीएफ सिफारिशों के अनुपालन की दिशा में एक अग्रिम कार्रवाई है और इसके परिणाम स्वरूप भारत वैश्विक एएमएल कार्रवाई करने वाला अग्रणी राष्ट्र होगा ।

अनिल कुमार रावल,
सहायक निदेशक,
मुख्यालय कार्यालय

फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना है। साथ ही साथ, औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कीम की घोषणा करना तथा उनके लिए दिशा– निर्देश तय करके उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है। तदनुसार, ए.पी. (DIR Series) परिपत्रों के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। विगत छः महीनों में कुछ प्रमुख स्कीमों को लागू करने के लिए निम्नलिखित ए.पी. (DIR Series) परिपत्र जारी किये गये हैं: –

1. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme):–

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–1 बैंक इस योजना के अन्तर्गत निवासी व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक पूंजी खाते (Capital A/c) या चालू खाते (Capital A/c) या दोनों में संयुक्त रूप से विप्रेषण की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(क) 12 अप्रैल, 2018 के ए.पी. (DIR Series) परिपत्र संख्या 23 के अनुसार, मॉनीटरिंग की व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत दी गई सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक व्यष्टियों द्वारा किए गए लेन–देनों की दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की प्रणाली लागू करें जिससे अन्य सभी प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा भी देखा जा सके।

(ख) 19 जून, 2018 के ए.पी. (DIR Series) परिपत्र संख्या 32 के अनुसार, LRS के तहत किए जाने वाले सभी विप्रेषणों के लिए PAN प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है जिससे पूर्व में 25000 USD तक के अनुमत चालू खाता लेन–देनों पर प्रस्तुत करने हेतु जोर नहीं दिया जाता था। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारों के निर्वाह के लिए LRS के तहत विप्रेषणों के संदर्भ में, रिश्तेदार की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 की बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गयी परिभाषा के साथ संरेखित किया गया है।

2. बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings)

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) भारतीय उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में गैर–निवासी उधारदाताओं द्वारा भारत में दिया गया ऋण है। इनका भारत में व्यापक उपयोग भारतीय निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा विदेशी मुद्रा की अभिगम्यता को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। ईसीबी का उपयोग स्टॉक बाजार या स्थावर संपदा में सट्टेबाजी में निवेश हेतु नहीं किया जा सकता है। ईसीबी में वाणिज्यिक बैंक ऋण, क्रेता का क्रेडिट, आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट, प्रतिभूत लिखत जैसे फ्लोटिंग रेट नोट तथा फिक्स्ट रेट बॉण्ड इत्यादि, औपचारिक निर्यात क्रेडिट एजेंसियों से उधार तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन), एडीबी, एफआईसी, सीडीसी, इत्यादि के प्राइवेट सेक्टर विंडो से वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।

(क) 27 अप्रैल, 2018 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 के अनुसार:

(i) सभी ट्रैकों तथा रूपया प्राधान्य बॉण्डों के

तहत ईसीबी के लिए समग्र लागत को सुसंगत बनाने के बेंचमार्क दर के ऊपर 450 बेसिस पॉइंट्स की एक समान समग्र लागत सीमा निर्धारित की गई है। ट्रैक–i तथा ट्रैक–ii के लिए बेंचमार्क दर 6 महीने की यूएसडी लाईबोर होगी और ट्रैक–iii तथा आरडीबी के लिए तदनुरूपी परिपक्वता की भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित प्रतिफल होगी।

(ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटि धारक से जुटाए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित ईसीबी देयता की तुलना में इक्विटि अनुपात को 7:1 तक बढ़ाया गया है। किसी संस्था द्वारा जुटाए गए सभी ईसीबी का जोड़ यदि 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समकक्ष है तो यह अनुपात लागू नहीं होगा।

(iii) ईसीबी के प्रयोजन से पात्र उधारकर्ताओं की सूची में इस प्रकार विस्तार हेतु निम्नलिखित को अनुमति प्रदान की गई है:

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियां सभी ट्रैकों के लिए पात्र उधारकर्ता हैं। ट्रैक–i के अंतर्गत ईसीबी एक्सपोजर हर समय 100 प्रतिशत हेज करके रखा जाएगा।

(ख) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अथवा इंडियन पॉट्‌र्स अधिनियम, 1908 के तहत गठित पोर्ट ट्रस्ट्स कंपनियां ट्रैक–i के तहत जुटाए गए 100 प्रतिशत ईसीबी एक्सपोजर सहित सभी ट्रैकों के तहत ईसीबी का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

(ग) रखरखाव, मरम्मत, जांच तथा माल भेजने का कारोबार करने वाली कंपनियाँ केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित ईसीबी जुटाएंगी।

(iv) ईसीबी के अंतिम–उपयोग से संबंधित प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी ट्रैकों के लिए केवल एक नकारात्मक सूची बनाई गई है। सभी ट्रैकों के लिए नकारात्मक सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

(क) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बुनियादी सुविधाएं उप–क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित किए गए अनुसार किफ़ायती दरों पर आवास, एसईज़ेड तथा औद्योगिक पार्क/ इंटिग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण एवं विकास के लिए किए गए उपयोग को छोड़कर रियल इस्टेट में निवेश अथवा भूमि की खरीद।

(ख) पूंजी बाज़ार में निवेश

(ग) इक्विटि निवेश

(घ) जब ईसीबी को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष इक्विटि धारकों अथवा किसी समूह कंपनी से जुटाया गया हो तथा इस शर्त पर कि ऋण पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के लिए है, ऐसे मामलों को छोड़कर, ट्रैक i तथा iii के लिए अतिरिक्त रूप से नकारात्मक/ प्रतिबंधित अंतिम उपयोग के तौर पर कार्यशील पूंजी प्रयोजन, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन तथा रुपया ऋणों की अदायगी भी लागू होगी।

(ङ) उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संस्थाओं को आगे उधार देना, सभी ट्रैकों पर नकारात्मक अंतिम उपयोग के तौर पर लागू होंगे।

(ख) 07 जून 2018 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29 के अनुसार:

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार की ECB–2 Return के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि ECB–2 Return के सरलीकृत फ़ारमैट के माध्यम से ईसीबी के लिए हेजेस के ब्यौरे प्राप्त किए जाएँ। तदनुसार ECB–2 Return के PART-E को इस प्रकार उपांतरित किया गया है कि उसमें केवल हेज किए गए/ हेज न किए गए ईसीबी एक्सपोजर (अनुबंध) से संबंधित मानक सूचना शामिल की जाएगी। ECB–2 Return के PART-E-1 में हेजिंग के ब्यौरे तथा ECB–2 Return के PART-E-2 में विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय के ब्यौरों को ऐड़िटिव फ़ारमैट में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा

स्वाभाविक हेज के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 7 नवंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.15 के पैराग्राफ 2 (iii) में निहित प्रावधानों का पालन किया जाए।

(ii) ECB–2 Return का संशोधित मासिक रिपोर्टिंग फ़ारमैट जून–2018 के अंत से लागू होगा। इस बात को दोहराया जाता है कि इस ECB–2 Return के माध्यम से रिपोर्ट करते समय कोई चूक तथा/अथवा उसकी प्रस्तुति की निर्धारित अवधि का पालन नहीं करने तथा / अथवा फॉर्म 83 के माध्यम से रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार की चूक करने को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

3. सरकारी प्रतिभूति में विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा निवेश – मध्यावधि फ्रेमवर्क–समीक्षा

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (स्थानांतरण या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी करना जो भारत से बाहर का निवासी है) विनियमन 2000 की अनुसूची 5 के अनुसरण में दिनांक 3 मई 2000 को अधिसूचित अधिसूचना सं. फेमा 20/2000–आरबी, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुपालन में दिनांक 06.04.2018 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं0 22 के अनुसार निवेश की सीमा निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित की गई है।

(क) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूति में एफ पी आई की निवेश सीमा में प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और यह वर्ष 2018–19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 5.5 प्रतिशत तक होगी और वर्ष 2019–20 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत हो जाएगी।

(ख) राज्य विकास ऋणों में एफपीआई निवेश की सीमा प्रतिभूतियों की बकाया स्टॉक की 2 प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) कारपोरेट बॉड में एफपीआई की निवेश की समग्र सीमा कारपोरेट बॉण्ड के बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है। कारपोरेट बॉण्ड की श्रेणी के अंतर्गत सभी वर्तमान उप श्रेणियों को बंद कर दिया गया है और सभी प्रकार के कारपोरेट बॉण्ड में एफपीआई निवेश के लिए एक ही सीमा होगी।

(घ) एसडीएल के अंतर्गत दीर्घावधि उप श्रेणी में कोई भी नया आबंटन नहीं किया गया है। इस उप श्रेणी के लिए 13,600 करोड़ रुपए की वर्तमान सीमा में से 6,500 करोड़ रुपए सरकारी प्रतिभूति श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है।

(ङ) दो उप श्रेणियों – 'सामान्य' और "दीर्घावधि" पर सरकारी प्रतिभूति की सीमा में वृद्धि का आबंटन वर्तमान अनुपात 25:75 यथावत रहेगा। तथापि, निवेश ब्याज के मूल्यांकन करने के बाद इस अनुपात को वर्ष 2018–19 के लिए पुनः 50:50 पर निर्धारित किया गया है।

(च) सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा कूपन में पुनः निवेश जो पहले से निवेश सीमा के बाहर थी, अब उसकी गणना सरकारी प्रतिभूति सीमा के अंतर्गत की जाएगी। तथापि, एफपीआई बिना किसी रोक–टोक/रुकावट के कूपन में पुनः निवेश कर सकते हैं जैसा कि वे अब करते हैं। तदनुसार, वर्ष 2018–19 के लिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कूपन निवेश का स्टॉक 4,760 करोड़ रुपए है, को सरकारी प्रतिभूति के 'सामान्य' उप श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक उपयोग में जोड़ा जाएगा।

(छ) इस कूपन पुनः निवेश की व्यवस्था को बाद में अन्य कर्ज (डेट) श्रेणियों में भी किया जाएगा।

4. ऋण में विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

(क) दिनांक 27.04.2018 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं0 24 के अनुसार, एफपीआई निवेश के परिचालन पहलू में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन उल्लिखित हैं :–

(i) न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता में संशोधन :–

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) श्रेणियों के लिए न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता इस शर्त के अध्यधीन वापस ले ली गई हैं कि इन दोनों में से किसी भी श्रेणी के तहत एफपीआई के द्वारा एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों में निवेश, किसी भी समय, उस श्रेणी में उस एफपीआई के कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ii) प्रतिभूति–वार सीमा में संशोधन

केंद्र सरकार की किसी भी प्रतिभूति में कुल एफपीआई निवेशों की अधिकतम सीमा, जो फिलहाल उस प्रतिभूति के बकाया स्टॉक का 20 प्रतिशत है, दिनांक 6 अक्तूबर, 2015 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं0 19 के अनुसार, संशोधित होकर उस प्रतिभूति के बकाया स्टॉक का 30 प्रतिशत हो गई है ।

(iii) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की सीमाओं की ऑनलाइन निगरानी

अब नीलामी तंत्र, जो पहले एफपीआई को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए सीमा उपयोग 90 प्रतिशत तक पहुँचने तक अनुमति प्रदत्त थी, को बंद कर दिया गया है तथा एफपीआई सीमाओं के उपयोग की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी ।

(iv) अन्य परिवर्तन

आंशिक रूप से भुगतान प्रदत्त लिखतों में कोई भी एफपीआई निवेश नहीं करेगा।

(ख) दिनांक 01.05.2018 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं0 26 के अनुसार, पूर्ववर्ती परिपत्रों से संबंधित कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जो निम्नलिखित है:–

(i) ऋण श्रेणियों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, यह विहित किया गया है कि एक वर्ष से कम अवधि वाले कॉरपोरेट बॉण्डों में किसी भी एफपीआई द्वारा निवेश की सीमा, किसी भी समय, उस कॉरपोरेट बॉण्डों में कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ii) एफपीआई को केंद्र सरकार द्वारा जारी राजकोष बिलों में निवेश करने की अनुमति होगी।

(iii) एक वर्ष से कम अवधि की अवशिष्ट परिपक्वता वाली किसी भी श्रेणी (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, एसडीएल, कॉरपोरेट बॉण्डों) की प्रतिभूतियों में निवेश सतत आधार पर किसी एफपीआई द्वारा किए गए कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । एफपीआई द्वारा किए जाने वाले क्रय के समय प्रतिभूति की परिपक्वता को ध्यान में रखे बिना, एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सभी प्रतिभूतियां 20 प्रतिशत सीमा के लिए किसी भी समय परिकलित की जा सकेगी।

(iv) यदि एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों में निवेश, 02 मई 2018 की स्थिति के अनुसार, किसी भी श्रेणी में कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक हो, एफपीआई इस परिपत्र की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर 20 प्रतिशत से कम ऐसे शेयर को लाएंगे, तथापि एफपीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिनांक 02 मई, 2018 (प्रारंभिक दिवस) की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से कम अवधि की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के संविभाग में कोई अतिरिक्त संवृद्धि नए क्रयों या एक वर्ष से अधिक मौजूदा समयावधि वाले निवेशों के रॉल–डाउन के माध्यम से तब तक नहीं की जाती है जब तक प्रतिभूतियों के ऐसे संविभाग का हिस्सा उस श्रेणी में कुल निवेश के 20 प्रतिशत से कम नहीं हो जाता है ।

(ग) दिनांक 15.06.2018 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं0 31 के अनुसार, एफपीआई को कुछ परिचालनात्मक छूट, दिनांक 27. 04.2018 के एपी (डीआईआरसिरीज) परिपत्र

सं0 24 तथा एडी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं0 26 में निहित आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, प्रदान की गई है । निदेशों का ब्यौरा निम्नवत है:–

(क) परिभाषाएँ :–

(i) "अल्पावधि निवेश" को एक वर्ष तक अवशिष्ट परिपक्वता वाले निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(ii) "संबंधित एफपीआई" का आशय सेबी (विदेशी संविभाग निवेशक) विनियमन, 2014 के विनियम 23(3) में यथा परिभाषित 'निवेश समूह' से है ।

(iii) "कॉरपोरेट से संबंधित निकाय" का आशय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(76) (viii) में 'संबंधित पार्टी' के लिए विहित परिभाषा से होगा । भारत सरकार या राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निग्मिकता " कॉरपोरेट से संबंधित निकायों" की परिभाषा से अलग होंगे ।

(iv) "एसआर" का आशय परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनियों के जारी प्रतिभूति प्राप्तियों से है ।

(v) "बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं" का आशय उन एफपीआई से है जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं हैं जिनमें भारत सरकार एक सदस्य है ।

एफपीआई निवेश के परिचालनात्मक पहलुओं में परिवर्तन :

(ख) न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता में संशोधन

(i) सरकारी बॉण्डों में निवेश करने हेतु तीन वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की सीमा हटा दी गई है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राजकोष बिलों सहित तथा राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता इस शर्त के अधीन हटा दी गई है कि किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी एफपीआई द्वारा किया जाने वाले अल्पावधि निवेश कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ii) एफपीआई को एक वर्ष से अधिक न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता वाले कॉरपोरेट बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति इस बात के अध्यधीन होगी कि किसी एफपीआई द्वारा कॉरपोरेट बॉण्डों में उस एफपीआई के कुल निवेश 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है । ये शर्तें एफपीआई द्वारा एसआर में किए जाने वाले निवेशों के संदर्भ में लागू नहीं होंगी।

(iii) अल्पावधि निवेश किसी भी श्रेणी में किसी एफपीआई द्वारा किए जाने वाले कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने संबंधी आवश्यकता दिवसांत आधार पर लागू होगी। किसी दिवस के अंत में, एक वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले सभी निवेश की गणना 20 प्रतिशत सीमा के लिए की जाएगी।

(iv) किसी एफपीआई द्वारा अल्पावधि निवेश कुल निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक केवल तभी हो सकता है, जब सम्पूर्ण निवेश अल्पावधि निवेश में 27 अप्रैल, 2018 या उससे पहले किया गया हो।

(ग) प्रतिभूति – वार सीमा में संशोधन

किसी भी केंद्र सरकार की प्रतिभूति में कुल एफपीआई निवेश की अधिकतम सीमा, जो फिलहाल उस प्रतिभूति के बकाया स्टॉक का 20 प्रतिशत हो, संशोधित होकर 30 प्रतिशत हो गई है ।

(घ) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा एसडीएल श्रेणियों में निवेश की ऑनलाइन निगरानी

(i) क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (सीसीआईएल) के प्रारंभ होने के बाद, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की सीमाओं के उपयोग की ऑनलाइन निगरानी आरंभ करते हुए, नीलामी तंत्र 1 जून, 2018 से बंद कर दिया गया है ।

(ii) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा एसडीएल में एफपीआई निवेश की सीमाओं के उपयोग की ऑनलाइन निगरानी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (सीसीआईएल) द्वारा की जा रही है तथा प्रत्येक श्रेणी में निवेश की सीमा का किसी प्रकार से उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(iii) प्रतिभूतियों (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा एसडीएल) की ब्रिकी/विमोचन पर, संबंधित एफपीआई बिक्री/विमोचन की तिथि से दो कार्य दिवस की अवधि के भीतर पुनर्निवेश कर सकता है ।

(iv) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा एसडीएल में निवेश हेतु सभी सीमाओं का अनुपालन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एफपीआई तथा अभिरक्षकों की होगी ।

(ङ) संकेंद्रण सीमा

कर्ज (डेट) की तीन श्रेणियों अर्थात – केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, एसडीएल तथा कॉरपोरेट ऋण (डेट) प्रतिभूतियां में से प्रत्येक में किसी एफपीआई द्वारा निवेश निम्नलिखित संकेंद्रण सीमाओं के अध्यधीन होगी ।

(i) दीर्घावधि एफपीआई : उस श्रेणी के लिए मौजूदा 15 प्रतिशत निवेश सीमा ।

(ii) अन्य एफपीआई : उस श्रेणी के लिए मौजूदा 10 प्रतिशत निवेश सीमा ।

(iii) यदि किसी प्रभावी तिथि को किसी एफपीआई का निवेश (INV0) संकेंद्रण सीमा से अधिक हो, अतिरिक्त निवेश करने की अनुमति होगी बशर्ते कि किसी भी दिन इस संविभाग आकार सहित प्रभावी तिथि (INV0) को उस श्रेणी के लिए 2.5 प्रतिशत निवेश सीमा से अधिक न हो। एक बार (INVt) उस श्रेणी के लिए मौजूदा संकेंद्रण सीमा से कम हो जाए,तो एफपीआई को लागू संकेंद्रण सीमा तक निवेश करने की छूट होगी। सभी अन्य एफपीआई को लागू संकेंद्रण–सीमा तक निवेश करने की अनुमति होगी।

(च) कॉरपोरेट बॉंड में एकल/समूहवार निवेश सीमाएंः कॉरपोरेट बॉण्डों में एफपीआई निवेश निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा :

(i) किसी एफपीआई द्वारा निवेश, सभी संबंधित एफपीआई द्वारा किए गए निवेशों सहित, कॉरपोरेट बॉण्ड के किसी पूरोधरण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यदि कोई एफपीआई, सभी संबंधित एफपीआई सहित, ने किसी एकल पूरोधरण के 50 प्रतिशत से अधिक निवेश किया है, तो यह उस पूरोधरण में आगे निवेश नहीं करेगा जब तक यह शर्त पूरी नहीं की जाती है।

(ii) किसी भी एफपीआई को, उसके कॉरपोरेट बॉण्ड पोर्टफोलियों के 20 प्रतिशत से अधिक, एकल कॉरपोरेट में निवेश की सुविधा नहीं होगी ।

(iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशों तथा एफपीआई द्वारा एसआर में निवेशों के लिए कॉरपोरेट बॉण्डों में एकल/समूह निवेशक–वार सीमाओं की आवश्यकता लागू नहीं होगी।

(छ) कॉरपोरेट बॉण्डों में प्रक्रियाधीन निवेश

(i) कॉरपोरेट बॉण्डों में एफपीआई द्वारा निवेश संबंधी लेन–देन जो प्रक्रियाधीन थे किन्तु दिनांक 27 अप्रैल, 2018 तक कार्यान्वित नहीं हो पाए थे, उन्हें शर्तों से छूट प्रदान की गई है।

(ii) उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के उनके अपने आकलन के आधार पर रिजर्व बैंक को संदर्भ के बिना, अभिरक्षक एफपीआई द्वारा प्रक्रियाधीन निवेश की अनुमति दे/नहीं दे सकते हैं।

(ज) अन्य परिवर्तन

कोई भी एफपीआई आंशिक रूप से अदा किये कर्ज लिखतों में निवेश नहीं करेगा।

के. डी. वर्मन
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2017–18)
संगठन और कार्य–कलाप :

प्रवर्तन निदेशालय मूलतः दो अधिनियमों यथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी.एम.एल.ए) का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 01.06.2018 से विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम. 1973 (फेरा) को फेमा से प्रतिस्थापित किया गया है। निदेशालय निरसित हुए फेरा 1973 के बाकी बचे कार्य भी जारी रखे हुए है । निदेशालय कोफेपोसा 1974 के प्रावधानों को भी कार्यान्वित करता है। निदेशालय सरकार के द्वारा बनाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत कार्रवाई आरंभ कर चुका है । इस कानून के तहत सरकार को देश की कानून एजेंसियों से बचने के लिए विदेश भागे आर्थिक अपराधी की संपत्ति जब्त कर उसे बेचने का अधिकार है । इस कानून के तहत 100 करोड़ रूपए से अधिक के मामले आएंगे । इस क्रम में निदेशालय द्वारा विजय माल्या, नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई है । आर्थिक अपराध रोकने में यह कानून भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत निदेशालय का प्रदर्शन सराहनीय हैं । पी. एम. एल .ए विशेष न्यायालय के द्वारा अभी तक चार व्यक्तियों के विरूद्व दोष साबित किए गए है। उसका ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रम संख्या	जोन कार्यालय का नाम	अभियुक्त का नाम	अपराध का प्रकार	जब्ती एवं दंड का निवारण
1	राँची	हरिनारायण राय	भ्रष्टाचार	3.72 करोड़, 7 साल की स्श्रम कारावास एवं 5 लाख दंड
2	कोलकाता	अलाउद्दीन एस के	एन डी पी एस	अचल संपति 3 लाख, 8 साल की सश्रम सजा एवं 2 लाख का दंड
3	बैंगलूरू	मोहम्मद कोया फहद (पाकिस्तानी नागरिक)	आतंकी वित्त पोषण	50,492 रू 7 साल सश्रम कारावास एवं 10,000/–का दंड
4	बैंगलूरू	बिलाभ अहमद कुटा उर्फ इमरान जलाल	आतंकी वित्त पोषण	34,830 /–रू 7 साल सश्रम कारावास एवं 50,000 रू का दंड

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई महत्वपूर्ण कुर्की आदेशों का विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम संख्या	मामले का नाम	अधिसूचित अपराध प्रकार	कुल जब्त/ परिसम्पत्ति (करोड़ रूपए में) कुर्की की गई	अभियुक्ति
1	नीरव मोदी एवं अन्य	धोखाधड़ी	7670	वर्ष 2017–2018
2	बाबा सिद्दिकी पूर्व मंत्री महाराष्ट्र	भ्रष्टाचार	462	वर्ष 2017–2018
3	रोज वैली समूह	पाँजी केस	2680 (बाजार मूल्य)	वर्ष 2017–2018 के दौरान 2380 करोड़ अनंतिम कुर्की आदेश
4	जीवन फूडस प्रा. लि.	पाँजी केस	308	वर्ष 2017–2018
5	आर.इ. आई. एग्रो	धोखाधड़ी	511	वर्ष 2017–2018 के दौरान 100 करोड़ अनंतिम कुर्की आदेश
6	प्रमोद मित्तल	धोखाधड़ी	245	वर्ष 2017–2018
7	पी ए सी एल लि.	पाँजी केस	472	ऑस्ट्रेलिया में कुर्की की गई सम्पत्ति
8	एम आर ग्रेनाइट	खनन	200 (बाजार मूल्य)	वर्ष 2017–2018
9	सिन्धु ग्रेनाइट	खनन	106	वर्ष 2017–2018
10	दमन शराब माफिया	शराब माफिया	30	वर्ष 2017–2018

11	कार्ति चिंदम्बरम	भ्रष्टाचार	106 करोड़	वर्ष 2017–2018
12	अशोक यादव	गैंगस्टर बिहार	10 करोड़ (बाजार मूल्य)	वर्ष 2017–2018
13	अखिलेश सिंह	रंगदारी एवं हत्या	2.95 करोड़	वर्ष 2017–2018
14	काद्धूकुथु रवि	गैंगस्टर चेन्नई	11.68 करोड	वर्ष 2017–2018
15	प्रधुम्न शर्मा	**माओवादी**	68 लाख	निदेशालय द्वारा की गई, कार्रवाई से माओवादियों के बीच दहशत हुई है।
16	संदीप यादव	**माओवादी**	86 लाख	निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई से माओवादियों के बीच दहशत हुई है।
17	जगन मोहन रेड्डी	भ्रष्टाचार	149 करोड	अभी तक कुल कुर्की 2673 करोड़ हो चुकी है ।
18	एनएसइएल	धोखाधड़ी	177 करोड	कुल कुर्की 2244 करोड़ हो चुकी है

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2017–2018 निदेशालय के दौरान की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि के आँकड़े निम्नलिखित हैं।

1	ईसीआइआर की संख्या	148
2	निपटाए गए **ईसीआइ**आर एवं अनुसंधान की संख्या	201
3	जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	196
4	अनंतिम कुर्की के अधीन संम्पत्ति	743204.06 (लाख **रुपए**)
5	पुष्ट कुर्की, आदेशों की संख्या	179
6	न्याय**निर्णयन** प्राधिकारी द्वारा **पुष्ट** किए गए **अनं**तिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का मूल्य **(लाख रु.)**	508623.31 (लाख)
7	गिरफ्तार किए गए **व्यक्तियों की संख्या**	38
8	**मामलों की सं0 जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई**	103
9	समाप्त किए गए मामले की संख्या	98

फेमा एवं फेरा के वर्ष 2017–2018 के प्रमुख सांख्यिकी – आँकड़े

विषय	न्यायनिर्णीत	लगाई गई शास्तियाँ	वसूली गई राशि
फेमा	871	178.671 (करोड़)	14.90 करोड़
फेरा	74	1301.74 (करोड़)	274.94 करोड़

नीरज वर्मा
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

गोपालदास 'नीरज' हिन्दी साहित्य जगत का अप्रतिम सितारा

गोपालदास नीरज, हिन्दी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचक एवं फ़िल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो–दो बार सम्मानित किया, पहले पद्म श्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, फ़िल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिये उन्हें लगातार तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिन्दी की "वीणा" का नाम दिया था।

गोपालदास सक्सेना 'नीरज' का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ब्लॉक महोवा के निकट पुरावली गाँव में बाबू ब्रजकिशोर सक्सेना के यहाँ हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता गुजर गये। 1942 में एटा से हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया। उसके बाद सिनेमाघर की एक दुकान पर नौकरी की। नौकरी करने के साथ प्राइवेट परीक्षाएँ देकर 1949 में इण्टरमीडिएट, 1951 में बी०ए० और 1953 में प्रथम श्रेणी में हिन्दी साहित्य से एम०ए० किया। कालांतर में वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिन्दी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हो गये और मैरिस रोड जनकपुरी अलीगढ़ में स्थायी आवास बनाकर रहने लगे। भारत सरकार के पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे अलंकरणों से अलंकृत गोपालदास 'नीरज' हिन्दी काव्य जगत् की गरिमा थे। गीतकार व कवि गोपालदास 'नीरज' का 19 जुलाई 2018 की सायं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में देहांत हो गया। 'नीरज' 93 वर्ष के थे।

कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के चलते नीरज को बम्बई के फिल्म जगत ने गीतकार के रूप में नई उमर की नई फसल के गीत लिखने का निमन्त्रण दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पहली ही फ़िल्म में उनके लिखे कुछ गीत जैसे कारवाँ गुजर गया गुबार देखते रहे और देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जायेगा बेहद लोकप्रिय हुए जिसका परिणाम यह हुआ कि वे बम्बई में रहकर फ़िल्मों के लिये गीत लिखने लगे। फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मीली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा।

किन्तु बम्बई की ज़िन्दगी से भी उनका जी बहुत जल्द उचट गया और वे फिल्म नगरी को अलविदा कहकर फिर अलीगढ़ वापस लौट आये। अपने बारे में उनका यह शेर आज भी मुशायरों में फरमाइश के साथ सुना जाता है:–

"इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियाँ हमें भुलाने में।

न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आये हैं मयखाने में।"

उनकी काव्य पुस्तकों में दर्द झलकता है, आसावरी, बादलों से सलाम लेता हूँ, गीत जो गाए नहीं, नीरज की पाती, नीरज दोहावली, गीत–अगीत, कारवां गुजर गया, पुष्प पारिजात के, काव्यांजलि, नीरज संचयन, नीरज के संग–कविता के सात रंग, बादर बरस गयो, मुक्तकी, दो गीत, नदी किनारे, लहर पुकारे,

प्राण–गीत, फिर दीप जलेगा, तुम्हारे लिये, वंशीवट सूना थे और नीरज की गीतिकाएँ शामिल हैं।

शैली

दार्शनिक शैली में वह प्रतीक प्रधान व्यंजना के द्वारा सीधे–सादे ढंग से अपनी बात कहते चलते थे। उनकी रचनाएँ संगीत, अलंकार और विशेषणों आदि विहीन सीधी–सादी होती हैं। लोकगीतात्मक शैली में प्रायः फक्कड़पन रहता है। उनकी लोकगीत–प्रधान शैली से लिखी गई रचनाओं में माधुर्य भाव की प्रचुरता देखने को मिलती है। चित्रात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं में वह शब्दों द्वारा चित्र–निर्माण करने की ही रचनाएँ हैं, जो ओज, तारुण्य और बलिदान का संदेश देने के लिए लिखी गई हैं। ओज लाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नितांत वांछनीय है। ऐसी रचनाओं में 'नीरज' ने जीवन के निटकतम प्रतीकों का प्रयोग ही बहुलता से किया है। संस्कृतनिष्ठ शैली वाली रचनाओं में 'नीरज' की अनुभूति का आधार प्राचीन भारतीय परंपरा रही है।

लोकप्रियता

'नीरज' की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह जहाँ हिन्दी के माध्यम से साधारण स्तर के पाठक के मन की गहराई में उतरे, हैं वहाँ उन्होंने गम्भीर से गम्भीर अध्येताओं के मन को भी गुदगुदा दिया है। इसीलिए उनकी अनेक कविताओं के अनुवाद गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, रूसी आदि भाषाओं में हुए हैं। यही कारण कि 'भदन्त आनन्द कौसल्यायन' यदि उन्हें हिन्दी का "अश्वघोष" घोषित करते हैं, तो 'दिनकर' जी उन्हें हिन्दी की 'वीणा' मानते हैं। अन्य भाषा–भाषी यदि उन्हें 'संत कवि' की संज्ञा देते हैं, तो कुछ आलोचक उन्हें निराश मृत्युवादी समझते हैं। हालाँकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनकी 'कारवां गुज़र गया' कविता बेहद पसंद है जिसके कुछ अंश मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगाः–

स्वप्न झरे फूल से
मीत चुभे शूल से
लुट गए श्रृंगार सभी बाग़ के बबूल से
और हम खड़े–खड़े बहार देखते रहे
कारवां गुज़र गया गुबार देखते रहे!

नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई
पाँव जब तलक उठें कि ज़िन्दगी फिसल गई
पात–पात झर गए कि शाख–शाख जल गई
चाह तो सकी निकल न पर उमर निकल गई
गीत अश्क़ बन गए
छंद हो हवन गए
साथ के सभी दिए, धुआँ पहन–पहन चले
और हम झुके–झुके
मोड़ पर रुके–रुके
उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे
कारवाँ गुज़र गया गुबार देखते रहे!

क्या शबाब था कि फूल–फूल प्यार कर उठा
क्या सुरूप था कि देख आइना सिहर उठा
इस तरफ़ ज़मीन और आसमां उधर उठा
थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नज़र उठा
एक दिन मगर यहाँ
ऐसी कुछ हवा चली
लुट गयी कली–कली कि घुट गयी गली–गली
और हम दबी नज़र
देह की दुकान पर,
साँस की शराब का खुमार देखते रहे
कारवाँ गुज़र गया गुबार देखते रहे!

प्रमुख कविता संग्रह

हिन्दी साहित्यकार सन्दर्भ कोश के अनुसार नीरज की कालक्रमानुसार प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार हैं:

संघर्ष (1944), अन्तर्ध्वनि (1946), विभावरी (1948), प्राणगीत (1951), दर्द दिया थे(1956), बादर बरस गयो (1957), मुक्तकी (1958), दो गीत (1958), नीरज की पाती (1958), गीत भी अगीत भी (1959), आसावरी

(1963), नदी किनारे (1963), लहर पुकारे (1963), कारवाँ गुजर गया (1964), फिर दीप जलेगा (1970), तुम्हारे लिये (1972), नीरज की गीतिकाएँ (1987)

पुरस्कार एवं सम्मान

नीरज जी को अब तक कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:
विश्व उर्दू परिषद् पुरस्कार
पद्म श्री सम्मान (1991), भारत सरकार
यश भारती एवं एक लाख रुपये का पुरस्कार (1994), उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
पद्म भूषण सम्मान (2007), भारत सरकार

फिल्म फेयर पुरस्कार

नीरज जी को फ़िल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिये उन्नीस सौ सत्तर के दशक में लगातार तीन बार यह पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा लिखे गये पुरस्कृत गीत हैं–

1970: काल का पहिया घूमे रे भइया! (फ़िल्म: चन्दा और बिजली)

1971: बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ (फ़िल्म: पहचान)

1972: ए भाई! ज़रा देख के चलो (फ़िल्म: मेरा नाम जोकर)

मेरा ये संक्षिप्त लेख गोपालदास 'नीरज' को मेरी और से श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। हिन्दी साहित्य जगत में गोपालदास 'नीरज' के अतुलनीय योगदान के लिए आने वाली पीढियां सदैव उनकी आभारी रहेंगी और उनकी काव्य रचनाएँ हमेशा उनको हम सबके बीच जीवित रखेंगी।

उमेश वि. नाईक
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय गोवा

असम एक परिचय

पौराणिक काल का प्रागज्योतिषपुर आज का असम प्रदेश है । विशाल भारतवर्ष के प्रांगण में उत्तर पूर्वी छोर पर 'पूर्व की ज्योति' के नाम से विख्यात यह प्रदेश वन प्रदेशों, नदियों, झरनों और सुन्दर पर्वतमालाओं से भरा है । इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और भूटान, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश और पूरब में मणिपुर, नागालैंड तथा म्यांमार (बर्मा) स्थित हैं । इसकी राजधानी गुवाहाटी (दिसपुर) है। असम पौराणिक काल से विचित्रताओं और जादू–टोने का देश कहा जाता रहा है। अंग्रेजी शासन के दौरान आजादी की लड़ाई में मणिराम देवान, पियालि फुकन, तरुणराम फुकन, गोपीनाथ बरदलै, कनकलता आदि देशभक्तों ने असम की भूमि पर आजादी और आपसी प्रेम का बीज बोने का प्रयत्न किया ।

असम निचले असम और ऊपरी असम नाम से दो मुख्य भागों में विभक्त है। इस राजनैतिक विभाजन के बावजूद अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य वाला सम्पूर्ण असम सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से एक समान है। असम का सांस्कृतिक जीवन विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों एवं धार्मिक केंद्रों से जुड़ा हुआ है। असमी लोग हिन्दू धर्म के सभी त्योहारों को मानते हैं, लेकिन उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पर्व बिहू है, जो वर्ष में तीन बार मनाया जाता है। मूलतः ये कृषि पर्व हैं, जिन्हें लोग धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं । पहला और मुख्य बिहू पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला बोहाग बिहू है, जो नए वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इसे रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य और संगीत का उत्सव है। इस दिन स्त्रियाँ अपने परिवार के सदस्यों को हाथ से बुना हुआ गमछा भेंट में देती हैं। दूसरा माघ बिहू फ़सल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू के नाम से प्रसिद्ध यह प्रीतिभोज एवं आग जलाकर खुशियाँ मनाने का पर्व है। तीसरे और अंतिम कटि बिहू को कंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वर्ष के इस भाग में आम आदमी का घर अगली फ़सल कटाई से पहले भंडारण के खत्म हो जाने के कारण खाद्यान्न रहित हो जाता है।

असमिया और बोडो असम की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं। बंगाली राज्य की दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। असमिया भाषा को नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर में स्थानीकृत करके इस्तेमाल किया जाता रहा है। असमिया उच्चारण और कोमलता की अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ अपने संकर प्रकृति की वजह से एक समृद्ध भाषा है। असमिया साहित्य सबसे अमीर साहित्यों में से एक है।

असम में शिल्प की एक समृद्ध परम्परा रही है। वर्तमान में केन और बाँस शिल्प, घंटी धातु और पीतल शिल्प रेशम और कपास बुनाई, खिलौने और मुखौटा बनाने, मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी काम, काष्ठ शिल्प, गहने बनाने, संगीत उपकरणों, आदि शिल्प का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है। असम रेशम के कई प्रकार के लिए जाना जाता है, सबसे प्रतिष्ठित हैं: मूगा – प्राकृतिक सुनहरे रेशम, पाट – एक मलाईदार उज्ज्वल चांदी के रंग का रेशम और इरी – एक सर्दियों के लिए गर्म कपड़े के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल में आने वाली किस्म। सुआल्कुची पारंपरिक रेशम उद्योग के लिए केंद्र के अलावा, ब्रह्मपुत्र घाटी के लगभग हर हिस्से में ग्रामीण परिवार उत्कृष्ट कढ़ाई डिजाइन के साथ रेशम और रेशम के वस्त्र उत्पादन

करते हैं। इसके अलावा, असम में विभिन्न सांस्कृतिक समूह अद्वितीय कढ़ाई डिजाइन और अद्भुत रंग संयोजन के साथ सूती वस्त्रों के विभिन्न प्रकार बनाते हैं। बुनाई असम के लोगों, विशेषकर महिलाओं के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक असमी घर में, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समाज का हो, कम से कम एक हथकरघा अवश्य देखने को मिल जाएगा। हर स्त्री का महीन रेशम एवं सूती वस्त्रों के उत्पादन की कला में पारंगत होना अनिवार्य है।

असम को अपने वन्यजीव पर्यटन के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्य, असम के प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह सभी राष्ट्रीय उद्यान, कई प्रकार के दुर्लभ जीवों व अन्य प्रजातियों का घरौंदा है। यहां आकर कई प्रकार की साहसिक गतिविधियां भी की जा सकती हैं।

काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, असम पर्यटन की विशेष पेशकश है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है । यहां कई प्रकार के दुर्लभ जीव और जन्तु जैसे – गोल्डन लंगूर, बंगाल फ्लोरिकॉन, पायम हॉग, व्हाइट– विंग्ड वुड डक आदि पाए जाते हैं। यहां आकर कई प्रकार की चिड़ियों जैसे – प्रवासी पक्षी, शिकारियों, जल पक्षियों और गेम वर्ड्स को भी देखा जा सकता है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के रूप में प्रसिद्ध है।

काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य के अलावा, मानस राष्ट्रीय पार्क भी यहां का प्रमुख पार्क है जो कि यूनेस्को धरातल में अपनी जैव–विविधता के कारण जगह बना चुका है। मानस, देश की पहली बाघ अभयारण्य परियोजना है और इसे भी अन्य वन्य प्रजातियों के लिए घर माना जाता है । असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पबीतरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख हैं।

बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा, असम पर्यटन, मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से कामाख्या मंदिर, उमानंदा मंदिर, नवग्रह मंदिर और सतरस प्रमुख हैं।

असम केवल अपने नाम से ही असमान है किन्तु वास्तव में इस सुन्दर प्रदेश में, कामाख्या, भुवनेश्वरी आदि जैसी देवियों की गोद में जितनी समानता है, उतनी अन्य स्थानों पर होना अभी शेष है।

चन्द्रमनीषि कुमार
सहायक निदेशक
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

इंसानियत की मौत

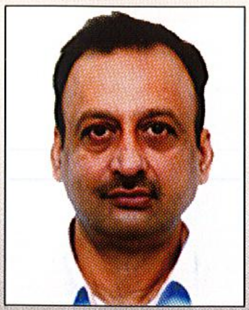

रामदयाल जी एक नामी हॉस्पिटल में आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के बाहर चिंतामग्न बैठे थे, रात उनकी पत्नी सुशीला को अचानक सीने में दर्द होने पर वह उसे हॉस्पिटल में लाए थे, डॉक्टर्स ने दिल का दौरा पड़ना बता कर तुरंत बाई पास की आवश्यकता बताई थी, ऑपरेशन करने के बाद सुशीला को आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में भेज दिया गया था। बाहर रामदयाल जी बारम्बार भगवान को याद करके सुशीला के स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे थे, मरीज से मिलने की इजाजत होने पर वह तुरंत अपनी आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के बाहर पहुँचे। आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के दरवाजे में लगे शीशे में से झाँकने पर उन्होंने देखा की सुशीला आँख बंद कर निश्चल सी पलंग पर लेटी हुई है, उसके मुँह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। रामदयाल जी एकटक सुशीला को देखते रहे पर उसके शरीर में उन्हें किसी प्रकार की हलचल महसूस नहीं हुई। उनका मन आशंकाओं से भर गया पर उन्होंने अपने विचारों को झटकते हुए भगवान को याद करना शुरू कर दिया। मिलने का समय खत्म होने पर वह बाहर आ गए।

अगले दिन भी यही क्रम सुबह और शाम दोहराया गया। तीसरे दिन रामदयाल जी ने कुछ सोचते हुए अपने मित्र के रिश्तेदार अनिल जी, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, को आग्रह करके सुशीला को एक बार देखने के लिए बुलाया, अनिल जी डॉक्टर होने के नाते आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में अन्दर चले गए और उन्होंने वहाँ सुशीला को चेक किया। बाहर आकर उन्होंने रामदयाल जी से बात की तो रामदयाल जी का शक सच्चाई में बदल गया, क्योंकि सुशीला का तो स्वर्गवास हो चुका था। पर वह इस बात को नहीं समझ पाए कि हॉस्पिटल वाले क्यूँ उनसे इस बात को छिपा रहे है। उन्होंने सर को झटका देते हुए कुछ इन्तजार करना यह सोचकर मुनासिब समझा कि शायद सुशीला का स्वर्गवास अभी–अभी हुआ हो और हॉस्पिटल वाले थोड़ी देर में ही उन्हें इस बारे में बता देंगे। पर शाम तक भी उन्हें यही जवाब मिलता रहा की इलाज चल रहा है, ठीक हो जायेंगी।

शाम होते–होते वह समझ गए की सुशीला के मरने से कहीं पहले ही इंसान मर चुका है और आज के इस भौतिक युग में मृत देह को जिंदा बता के रखने से बहुत लोगों की इच्छाएं जिंदा रह पा रही थीं। अब उनका धैर्य समाप्त हो चुका था और उन्होंने कांपते हाथों से 100 नंबर डायल करना शुरू किया।

रवि मलिक
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

जम्मू–कश्मीर : धरती का स्वर्ग

अनेक इतिहासकार और जम्मू के लोग भी मानते हैं कि इस शहर की स्थापना 14वी सदी में राजा जंबूलोचन ने की थी । कश्मीर का प्रवेश द्वार माना जाने वाला जम्मू शहर तवी नदी के तट पर बसा है । समुद्रतल से 305 मीटर की ऊँचाई पर बसे इस शहर का क्षेत्रफल 20.36 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर बने अनेक मंदिरों के कारण इसे 'मंदिरों का शहर' भी कहा जाता है।

दर्शनीय स्थल :–

बहु किला : यह किला जम्मू बस अड्डे से पाँच किलोमीटर की दूरी पर तवी नदी के बाई तरफ एक पहाड़ी पर बना है । इसे शहर का सबसे पुराना किला माना जाता है । इस किले का निर्माण बासुलोचन ने तीन हजार साल पहले करवाया था।

मानसर झील : जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यह खूबसूरत झील आस–पास जंगलों से घिरी हुई है । झील में नौकायन करते हुए इसके किनारे पर बने पुराने महल के खंडहर दिखते हैं।

सुरूनीसर झील : यह झील जम्मू से 42 किलोमीटर दूर है। इस झील की लंबाई–चौड़ाई मानसर झील से कम है ।

शिवखोड़ी : जम्मू से लगभग 65 किलोमीटर दूर जम्मू–कश्मीर राज्य के रिहायसी कस्बे में शिवखोड़ी की गुफा लगभग 150 किलोमीटर लंबी है । इस गुफा का दाहिना हिस्सा बहुत संकरा है। गुफा के अंदर जाते ही एक चौड़ा मैदान दिखाई देने लगता है जिसमें सैकड़ों लोग खड़े हो सकते है ।

अमर महल पैलेस संग्रहालय : अतीत का शाही महल पैलेस आज अमर पैलेस संग्रहालय के नाम से जाना जाता है । तवी नदी के किनारे बने इस महल में वास्तुशिल्प बेहतरीन है, जिसका डिजाइन एक फ्रेंच वास्तुकार ने तैयार किया था। इसमें पुराने समय की अनेक नायाब वस्तुएं संग्रहीत हैं।

पटनीटाप : जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुद और बटोर कस्बों के बीच जम्मू से 112 किलोमीटर दूर स्थित है। यह क्षेत्र खूबसूरती का पर्याय माना जाता है। देवदार के घने जंगल और हरी–हरी घास के सुंदर ढलान यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। इसके आस–पास शुद्ध महादेव, मानतलाई, चिनौती, सनासर आदि स्थानों का विकास हुआ है।

यहाँ पर पूरे साल पर्यटकों का तांता लगा रहता है। स्केटिंग के शौकीनों के लिए यह जगह काफी रोमांचक है। सनासर घाटी को खासतौर पर पैराग्लाइडिंग के लिए विकसित किया गया है। यहाँ एक खूबसूरत झील भी है। झील के किनारे बैठकर सैलानी प्रकृति के सुंदर नजारों का लुत्फ उठाते हैं।

झेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर जम्मू–कश्मीर प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, जहाँ हर तरफ बिखरी हरियाली, हरी–भरी घाटियाँ, पहाड़ों को चूमती झीलों का प्राकृतिक सौंदर्य और उस पर खुला नीला आसमान बहुत ही सुंदर दिखता है । जी हाँ, धरती का स्वर्ग यानी श्रीनगर की ये विशेषताएं ही तो हैं जो इसे अन्य पहाड़ी पर्यटन स्थलों से अलग करती हैं ।

समुद्रतल से 1730 मीटर की ऊँचाई पर स्थित श्रीनगर का जर्रा–जर्रा दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है ।

श्रीनगर के दर्शनीय स्थल :

डल झील : डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है, यह चारों तरफ पर्वत की चोटियों से घिरी है। 6 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी झील के किनारों पर हरी–भरी हरियाली और बगीचे अपनी रौनक बिखेर रहे हैं। रात में हाउस बोट्स से निकलने वाली सुनहरी रोशनी झील के पानी व आसपास के नजारें को और ज्यादा मोहक बना देती है।

वूलर झील : भारत में स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी वूलर झील श्रीनगर के उत्तर पूर्व में लगभग 32 किलोमीटर दूर है। वूलर झील ऊँचे–ऊँचे पहाड़ों से घिरी है। झील में बहता कलकल करता साफ पानी मानो अपनी कहानी खुद बयां कर रहा हो।

मुगलकालीन बगीचे : सैलानियों के लिए श्रीनगर के बाग–बगीचे आकर्षण का मुख्य केंद्र है । मुगलकाल के बादशाहों ने इस शहर की खूबसूरती में चार चाँद लगाने के लिए इसे बगीचों से सजाया, जो आज भी मुगल गार्डन के नाम से जाने जाते है । श्रीनगर के कुछ प्रमुख बगीचों में निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मेशाही बगीचा काफी प्रसिद्ध हैं । इन बागों में लगे वृक्षों पर लगने वाले फूलों की खूबसूरती बयां करना काफी कठिन है।

गुलमर्ग : गुलमर्ग शहर से 52 किलोमीटर दूर स्थित है। गुलमर्ग का पूरा रास्ता देवदार के वृझों से ढका हुआ है, सर्दी के मौसम में सैलानी यहां बर्फ के खेलों का मजा लेते हैं। गुलमर्ग में रोपवे एक और आकर्षण है। इसे स्थानीय भाषा में गंडोला कहा जाता है । इसमें बैठकर सैलानी चारों तरफ के मनमोहक दृश्यों का नज़ारा देखते हैं।

पहलगाम : श्रीनगर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अनंतनाग जिले में आता है। यहाँ सैलानी गोल्फ, हौर्स राइडिंग, स्केटिंग, टैरकिंग के अलावा अन्य कई रोमांचक खेलों का आनंद उठा सकते हैं।

अतः श्रीनगर में बहने वाली डल झील, वूलर झील, मुगलकालीन बगीचे, हजरतबल दरगाह, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, खीरभवानी मंदिर आदि यहाँ के मुख्य आकर्षणों में शुमार हैं।

ललित कुमार
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय,जम्मू

आदि से अनंत तक

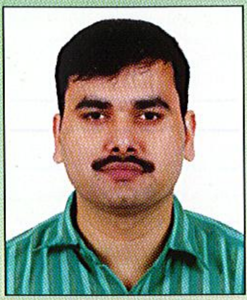

क्या हम सरल से जटिल होकर ही मनुष्य बन सकते हैं ? नभ , जल और धरती पर मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वे निरंतर प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। उनका जीवन नाना प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है किन्तु उनकी जीवनशैली की प्रकृति सरल है। सोना , भोजन की व्यवस्था करना , खेलकूद , अपने – अपने परिवार / समाज की सहज रूप से प्राप्त जिम्मेदारियों का पूरी तन्मयता से निर्वहन करना इत्यादि क्रियाओं में उनका पूरा जीवन सरलता से व्यतीत हो जाता है।

इसके विपरीत मनुष्य ने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने के स्थान पर अपने विकास के क्रम में प्रकृति से संघर्ष की रणनीति विकसित कर ली। उसने अपनी समस्याओं के समाधानों की प्राप्ति प्रकृति के नियमों की परिधि में न करके उन नियमों पर विजय प्राप्त करके की जिनके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। पहले हम किसी भी नदी में अंजलि भरके जल पी लेते थे , आज जल चाहे किसी भी स्रोंत से प्राप्त हो , उसे शुद्ध करके पीना हमारी विवशता है। सामान्य प्रसव से शिशु पैदा होने दुर्लभ हो गए हैं। सामान्य प्रसव में प्रसव पीड़ा एक बार होके समाप्त हो जाती थी किन्तु सिज़ेरियन में प्रसूता को हफ्तों पीड़ा सहन करनी पड़ती है। पहले लोगों की जीवन प्रत्याशा न्यून थी , फिर भी लोग जब तक जीवित रहते थे – स्वस्थ रहते थे। अधिकांशतः, कभी कोई रोग हुआ तो उपचार होकर ठीक हो जाता था या व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। आज वैश्विक जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में अधिक है , किन्तु आज विश्व भर में असंख्य लोग ऐसा अस्वस्थ जीवन जी रहे हैं जो अनेक अवसरों पर इतना कष्टप्रद होता है कि उसकी तुलना में उनको मृत्यु बेहतर प्रतीत होती है। अवसादग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

प्रकृति से संघर्ष के क्रम में मनुष्य की भिन्न – भिन्न सभ्यताओं ने अपने – अपने नियम बना लिए जो कालांतर में उनके लिए सर्वोपरि हो गए, भले ही कुछ नियम प्रकृति के नियमों के विपरीत क्यों ना हों। रही सही कसर वर्तमान में व्याप्त उपभोक्ता संस्कृति व भौतिकवाद ने निकाल दी। दीमकों के समाज में राजा, रानियां , श्रमिक एवं सैनिक होते हैं। वे जीवनपर्यन्त अपना – अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते रहते हैं एवं सभी के मध्य अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध होता है। हमारा सामाजिक ढांचा , जिसकी मूल इकाई परिवार है , में भी यही अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध विद्यमान था। परिवार में पति – पत्नी का सम्बन्ध भी अन्योन्याश्रय का था, जिसमे पति आजीविका का उपार्जन करता था और पत्नी घर–गृहस्थी को संभालती थी। कालांतर में , पितृ सत्तात्मक समाज में महिलाओं की निरंतर गौण होती स्थिति ने स्त्री को पुरुष की दासी के रूप में परिवर्तित कर दिया। पुरुषों की कुशिक्षा एवं उनकी सामंती मानसिकता ने उन्हें यह भ्रान्ति दे दी कि स्त्रियां , पुरुषों के ऊपर हर प्रकार से निर्भर हैं तथा वे, उनके स्वामी हैं।

बहरहाल, समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसने स्त्रियों के साथ भी अन्याय नहीं किया। महिला सशक्तिकरण का युग आरम्भ हुआ। किन्तु इस युग की विडम्बना यह रही कि यह उपभोक्ता संस्कृति व भौतिकवाद का समकालीन रहा। यह ऐसे परिवर्तन का साक्षी बना जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को एक दूसरे के पूरक के रूप में ना देखकर उन्हें परस्पर प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा गया।

स्त्री और पुरुष के मध्य अन्योन्याश्रय सम्बन्ध

पुनः विकसित करने के स्थान पर स्त्रीत्व का क्रमिक क्षरण आरम्भ हुआ। स्त्री सशक्तिकरण के लिए स्त्रियों के लिंग आधारित स्वरुप को क्रमशः नकारने की शुरुआत हुई। उन्हें सशक्त बनाने के लिए उन्हें पुरुषत्व धारण करने के लिए निरंतर प्रेरित किया गया पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करो , उनकी तरह आजीविका उपार्जन करो, समाज में वो सारे अधिकार हासिल करो जो पुरुषों को प्राप्त हैं , उनका पालन – पोषण पुरुषों की तरह करो, इत्यादि।

क्रमशः स्त्रियों के लिए कर्म का निर्धारण उसके गुण – अवगुण के आधार पर ना होकर इस आधार पर होना तय हो गया कि अमुक कार्य को पुरुष करते हैं अथवा नहीं। यथा पुरुष सिगरेट – शराब पीते हैं इसलिए स्त्रियों का भी सिगरेट – शराब पीना अधिकार हो गया। इस कवायद में यह बात भुला दी गई कि मूल मुद्दा सिगरेट – शराब के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने का है। सामंती मानसिकता से ग्रस्त पुरुषों के लिए स्त्री आज भी एक गुलाम है और सदैव रहेगी। शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर हम इस दूषित मानसिकता पर कुठाराघात कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ निरंतर पैर पसारते भौतिकवाद और उपभोक्ता संस्कृति से भी मुकाबला करना होगा। स्पष्ट है – समस्या पुरुष नहीं, उनकी भ्रमित और दूषित मानसिकता वाली विचारधारा है जिससे विचारधारा के स्तर पर ही युद्ध करना होगा।

सशक्तिकरण के लिए कदाचित यह मान लिया गया कि स्त्री , स्त्री बनकर नहीं अपितु पुरुष बनकर ही सशक्त हो सकती है क्योंकि स्त्री तो बेचारी जन्म की अबला और असहाय है। इस प्रकार पूरे जोर शोर से स्त्रियों के स्त्रीत्व का पुरुषत्व में रूपांतरण आरम्भ हुआ। शनैः शनैः स्त्रियों का ऐसा कुनबा तैयार हुआ जिसमे सम्मिलित महिलाएं जैविक रूप से तो स्त्री हैं परन्तु मानसिक रूप से / व्यवहार से पुरुष। ठीक उसी तरह से जैसे लार्ड मैकाले की नीतियों के फलस्वरूप 1947 के पश्चात भारत में पैदा हुए व्यक्तियों का एक कुनबा जन्म से तो भारतीय है किन्तु मानसिकता / व्यवहार से अंग्रेज़। उन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है , किसी को धोती / लुंगी / पाजामा पहने देखकर उनका भद्दा मज़ाक उड़ाते हैं , बड़ों के पैर छूने में झुकने में शर्म आती है इसलिए घुटने को छूकर ही आशीर्वाद ले लेते हैं। अस्तु।

मुद्दे बहुत गहरे हैं और विस्तृत पड़ताल और चर्चा की मांग करते हैं। समाज में वैयक्तिक समूहों की कई परतें हैं और यदि कोई एक बात किसी एक परत के लिए सही है तो वही बात दूसरी परत के लिए गलत भी हो सकती है। जब तक हम वस्तुओं का अवलोकन सही और गलत के नज़रिये से नहीं करेंगे तब तक हम वस्तुओं को सतही दृष्टिकोण से ही देखते रहेंगे।

सही और गलत का निर्धारण कार्य के गुण – दोषों एवं देशकाल के आधार पर होता है। कोई कार्य मात्र इसलिए सही नहीं हो जाता कि उसे 100 में से 99 व्यक्ति कर रहे हैं और कोई कार्य मात्र इसलिए गलत नहीं हो जाता कि उसे 100 में से मात्र 1 व्यक्ति ही कर रहा है। ..... और अंत में बस यही चाहूंगा कि हम सब प्रकृति के साथ उसके नियमों से तालमेल बनाकर रहें क्योंकि उसके नियम ही सत्य हैं, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुन्दर है। सत्यम् शिवम् सुंदरम्।

आदित्य कुमार
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए जांच एजेंसियों की भूमिका"

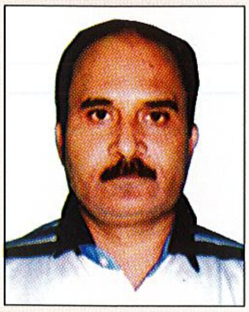

भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए जांच एजेंसियों की भूमिका पर प्रकाश डालने से पहले यह समझना आवश्यक है कि 'भ्रष्टाचार' है क्या, भ्रष्टाचार का अर्थ है–भ्रष्ट आचरण। यह देखने में आता है कि विगत दो दशकों में हमारे आचरण में बहुत गिरावट है। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार के रूप में ज्यादा जाना जाता है, परंतु इसके अन्य रूप भी हैं जैसे सामाजिक भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार इत्यादि। हमारे राजनेताओं का यह कर्तव्य है कि वे समाज में अपने आचरण एवं व्यवहार से मिसाल पेश करें।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को रोकने में यह पर्याप्त नहीं है। मौजूदा कानूनों को लागू करने का उत्तरदायित्व विभिन्न जांच एजेंसियों पर है। राज्य स्तर पर पुलिस, आर्थिक अपराध संगठन तथा सतर्कता अधिष्ठान जैसी एजेंसियां हैं। केंद्र में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय एवं अन्य एजेंसियां हैं। जब हमारे देश का नाम विश्व के भ्रष्टाचार करने वाले देशों के साथ लिया जाता है तो हमारी जांच एजेंसियों की भूमिका पर एक प्रश्न चिह्न लग जाता है। क्या ये एजेंसियां अपने दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा कर रही हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ जांच एजेंसियों के बल पर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं ? यह बात बिल्कुल सत्य है कि कानून चाहे कितना भी सख्त हो वह प्रभावी तभी होगा जब इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। कानून ऐसा होना चाहिए कि आम लोगों में इसके प्रति खौफ हो। वह कोई भी गलत काम करने से पहले सोचे कि अगर पकड़े गए तो सजा अवश्य मिलेगी। विगत वर्षों में भ्रष्टाचार रूपी दीमक से लड़ने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

बात फिर वहीं रुक जाती है कि कितना भी सख्त या बढ़िया कानून क्यों ना हो, वह प्रभावशाली तभी होगा जब इसको लागू करने वाले अपना काम पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करें। अगर कानून की रक्षा करने वाले लोग ही कानून तोड़ने लगे तो अंजाम का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा देखने में आता है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम का जिम्मा जिन एजेंसियों और अधिकारियों के ऊपर है वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। यहां पर एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार एक कुल्फी वाला एक विद्यालय के सामने कुल्फियां बेच रहा था। कुछ लड़कों से किसी बात पर उसकी कहा–सुनी और मारपीट हो गई। इसके बाद लड़के उसकी कुल्फी लूटने लगे। कुछ देर तक कुल्फी वाला अपनी कुल्फियों को बचाने की चेष्टा करता रहा। जब उसे लगा कि अब कुल्फियों को लूटने से बचाना मुश्किल है तो वह स्वयं भी कुल्फियों को लूटने लगा। यही बात जांच एजेंसियों पर भी चरितार्थ होती है।

अब सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है। इसके लिए यह जरूरी है कि जांच एजेंसियों में निष्ठावान तथा कर्तव्यनिष्ठ लोग भर्ती किए

जाएं। उनके आचरण एवं व्यवहार तथा जीवन–यापन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा उन्हें ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी एवं कर्मचारी को दंडित किए जाने के साथ ही ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा ले सकें।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में जांच एजेंसियों की महती भूमिका है। यदि किसी कानून का प्रभावी रूप से अनुपालन नहीं होगा, तो उसका दोष जांच एजेंसियों पर ही जाएगा। परंतु हम आम नागरिक तथा राजनेता अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे राजनेताओं तथा रोल मॉडल को अपने स्तर से प्रयास करके उदाहरण पेश करना होगा। भ्रष्टाचार से उन्मूलन के लिए हमें समग्र रूप से प्रयास करना होगा तभी जाकर हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं।

हेमंत कुमार पाण्डेय
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

कल्कि अवतार

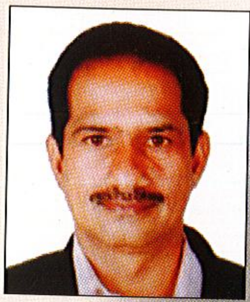

जयपुर नगर जिसका नाम जयनगर एवं सवाई जयपुर से बदल कर केवल जयपुर रह गया है, पूर्णतरू भारतीय शिल्प शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र पर आधारित है। जयपुर अपरा काशी अर्थात छोटी काशी कहलाती है। जयपुर नगर में नौ दिन तेरह त्योहार रहते आये हैं इसलिये जयपुर फेस्टिवल सिटी भी कहलाती है। जयपुर में श्रीविद्या की स्थापना की गई है। बावन भैरव चौंसठ योगनियों की स्थापना की गई है। नगर को यन्त्रात्मक बनाया गया है। नगर वर्गाकार खण्डों में बंटा हुआ है। इस कार्य में श्री विधाधर चक्रवर्ती का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ था। श्री विधाधर दीवान थे। नगर को नवग्रहों के आधार पर नौ चौकड़ियों में बांटा गया। चौकड़ी सरहद में महल है और शेष आठ चौकड़ियों में जनता के आवास हैं। नगर तीन और पहाड़ियों से और उन पर बने गिरि–दुर्गो से और दक्षिण की ओर परकोटे से सुरक्षित हैं।

यूरोपियन विद्वान द्वारा जयपुर नगर का पहला वर्णन फादर जोंस टिफेनथेलर का उपलब्ध होता है जो जयपुर में फादर ऐन्डें स्टोब्ल से मिलने आया करता था और यहाँ कई वर्ष तक रहा । उसने जयपुर नगर के बारे में तो लिखा ही है साथ ही लिखा है कि **नगर में प्रमुख मन्दिर विष्णु के अवतार का है। यह वर्णन जयपुर के बसकर तैयार होने के समय का है। जयपुर का पहला सटीक वर्णन** जैक्वीमोन्त का माना जाता है जो कि भारत के गर्वनर जनरल का मित्र और बहुश्रुत फ्रांसीसी विद्वान था। उपरोक्त वर्णन डॉ श्रीमती चन्द्रमणि सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक से है। श्रीमती सिंह जयपुर सिटी पैलेस में निदेशक थी। मेरा जब भी उनसे मिलना होता था वे हमेशा जयपुर के बारे में पुरानी बातें बताती थीं। जयपुर में ज्योतिष, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र पर बहुत कार्य हुआ है। जयपुर की मोद मन्दिर नाम की धर्म सभा के निर्णय पूरे भारत सहित काशी तक में मान्य थे। धर्म के विषय में कोई भी विवाद होने पर मोद मन्दिर सभा के निर्णय माने जाते थे। ज्योतिष व तंत्र, धर्म शास्त्र पर प्रमाणिक पुस्तकें जयपुर में लिखी गई हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण तथा धर्म के अन्वेषण की पराकाष्ठा ही है कि भगवान विष्णु का अवतार जो कि होना है का भव्य मन्दिर जयपुर में बनवाया गया है।

जयपुर में बडी चौपड से नीचे जाने वाला रास्ता सिरेहड्योडी बाजार कहलाता है। इसी बाजार में सिटी पैलेस के गेट के सामने की तरफ भगवान विष्णु के दसवें अवतार श्री कल्कि जी का विश्व का सबसे प्राचीन व पहला भव्य मंदिर है। मंदिर के बारे में विवरण निम्न प्रकार है यह मन्दिर सवाई जयसिंह जी ने पुराणों में वर्णित विवरण के अनुसार 1739 ईस्वी में बनवाया था। भगवान के मन्दिर में जाने के लिये 40 अति छोटी सीढियाँ बनी हुई हैं, यह कल्पना करके सीढियों का निर्माण किया गया है कि भगवान के अश्व को मंदिर से नीचे उतरने में दिक्कत ना हो इसलिये सीढियाँ चार इंच ऊंचाई के लगभग हैं। मन्दिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। मन्दिर में चार जगमोहन बने हुये हैं। पहला छोटा जगमोहन खाली है दूसरे में भगवान विष्णु व लक्ष्मीजी विराजमान हैं। तीसरे वाला जगमोहन बैठक है। सबसे पीछे की तरफ भगवान का शयन कक्ष भव्य गुम्बुद से सुशोभित है। मन्दिर पत्थरों की कैंचियों से बना हुआ है। पत्थर को

जोडने के लिये लोहे की पत्तियों का उपयोग किया गया है। चूने का बहुत ही कम प्रयोग किया गया है। मन्दिर में विशेष बात यह है कि मन्दिर के प्रवेश द्वारा पर माता लक्ष्मी पहले विराजमान है। गणपति बाद में विराजमान हैं। मन्दिर प्रवेश से पहले कीर्ति मुख स्थापित करने का विधान है। इस मन्दिर में बहुत अद्‌भुत कीर्ति मुख स्थापित हैं। मन्दिर के प्रवेश द्वार पर बाई ओर भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा है। दाई ओर भगवान ब्रहम देव हैं। मन्दिर के जगमोहन में जो गुम्बुद बने हुये हैं। वे यन्त्रमय हैं तीनों गुम्बुद बहुत ही भव्य व कलात्मक हैं। मुख्य जगमोहन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की भव्य व दर्शनीय प्रतिमा स्थापित है। मन्दिर जिस जगह स्थित है वहाँ से राजा प्रातःकाल में भगवान के मन्दिर के दर्शन करता था । समय के साथ साथ नये निर्माण होने से सारा स्वरूप बदल गया है।

भगवान के मन्दिर में एक सफेद संगमरमर पत्थर का भव्य अश्व बना हुआ है। इस अश्व का सम्बन्ध अश्वमेघ यज्ञ से जोडा जाता है लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। अश्व भगवान कल्कि जी की सवारी ही है। अश्व की एक टांग मे घाव बना हुआ है किंवदंति है कि जब यह घाव पूरा भर जाएगा तब भगवान कल्कि जी का अवतरण होगा और वे अपने अश्व पर सवार होकर नगर भ्रमण पर जाएंगे।

मन्दिर के गर्भ गृह में भगवान का भव्य रथ रखा हुआ था। रथ बहुत ही भव्य व बडा है। वर्ष में एक बार भगवान रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर जाते थे।

विजय आचार्य
अधीक्षक,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

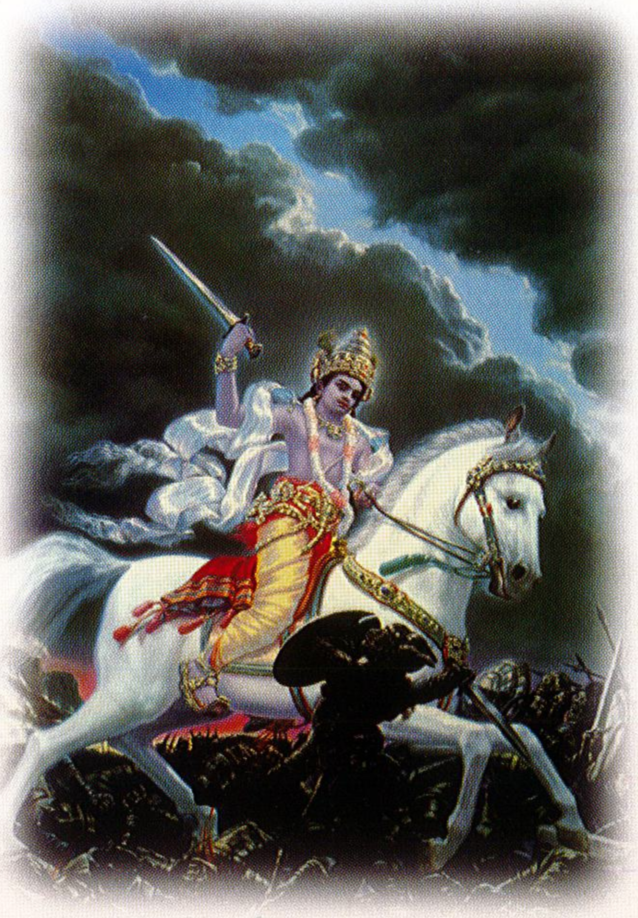

मेक इन इंडिया

नई सुबह की भोर, नव निर्माण की ओर

देश– देश में शोर है, भारत निर्माण की ओर है

चलो मिलकर करे मेक इन इंडिया का आगाज़

विकास का दौर, निर्माण की ओर।

नई दिल्ली में 25 सितंबर 2014 को भारत में 'मेक इन इंडिया' नाम से एक पहल की शुरुआत भारत में की गयी। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत को आर्थिक वैश्विक पहचान दिलाना है। सेवा–चालित वृद्धि मॉडल से श्रम वृद्धिकर उत्पादन चालित वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था को नया रुप देना इस अभियान का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करना भारत में एक करोड़ से ज्यादा लोगों के लिये रोजगार का कारण बन रहा है। यह एक असरदार योजना है जो यहाँ भारत में अपने व्यवसाय को लगाने के लिये प्रमुख विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रही है।

एक वैश्विक व्यापारिक केन्द्र में देश को बदलने के लिये इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसके पास स्थानीय और विदेशी कंपनियों के लिये आकर्षक प्रस्ताव है। देश के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिये लगभग 25 क्षेत्रकों में कौशल को बढ़ाने के साथ ही इस अभियान का ध्यान बड़ी संख्या में मूल्यवान और सम्मानित नौकरी उत्पन्न करना है।

विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये, रक्षा उत्पादन और बीमा क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, हालाँकि विश्लेषकों के अनुसार इसे और असरदार तरीके से करने की जरुरत है। देश में ज्यादा रोजगार आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अलग तरह की जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और माँग है जो निवेशकों को फायदा पहुँचा सकता है।

नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता और संसाधनों की कमी के कारण, अन्य विदेशी व्यापारी भारत को छोड़ने और अपना व्यापार कहीं और स्थापित करने की योजना बना रहे थे। अगर ऐसा होता तो ये और अस्वस्थ अर्थव्यवस्था का कारण बनता। विभिन्न असरदार संसाधनों के साथ मेक इन इडिया अभियान किसी भी व्यापार के लिये भारत में निवेश के लिये विश्व के प्रमुख उद्योगपतियों का ध्यान खींचेगा। दूसरे देशों से भारतीय कारोबार की अनिवार्यता से बचने के लिये माननीय प्रधानमंत्री ने इस आकषक योजना की शुरुआत की। अपने असरदार शासन के द्वारा वृद्धि केन्द्रित रोजगार और विकास लाने के द्वारा इस देश को बेरोज़गारी मुक्त बनाने का है। युवाओं के लिये बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के द्वारा भारत में बड़े स्तर पर गरीबी को घटाया जा सकता है जिसकी वजह से कई सामाजिक मुद्दे सुलझ सकते हैं।

हनित जसवाल
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता प्रणाली

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक महत्वपूर्ण वित्तीय एवं आपराधिक जांच एजेंसी है जो दो मुख्य विधियां, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी. एम.एल.ए.) प्रवर्तित करता है। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय, नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख प्रर्वतन निदेशक है। इसके अलावा, इस निदेशालय में प्रधान विशेष निदेशक, विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधिक सलाहाकर, उप निदेशक, सहायक विधि सलाहाकर, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारियों एवं सहायक प्रवर्तन अधिकारी के अलावा लिपिकवर्गीय कर्मचारियों हैं। इन वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियां की एकजुटता, सत्यनिष्ठा एवं कार्य के प्रति लगन अपने आप में अप्रतिम उदाहरण है।

निदेशालय ने अपनी एक–तिहायी कार्मिक क्षमता से कार्यरत होने के बावजूद देश की प्रमुख जाँच एजेंसियों में अपना अग्रतम स्थान बनाए रखा है। यह इस निदेशालय के कार्मिकों की अथक मेहनत और अचूक प्रयासों से ही संभव हुआ है।

इसी संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में निदेशालय की सतर्कता प्रणाली को भी रूपांतरित किया गया है। सतर्कता तंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया है जिसके तहत सतर्कता निगरानी की जिम्मेवारी अलग–अलग क्षेत्रीय विशेष निदेशकों व संयुक्त निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्यालय का सतर्कता अनुभाग निदेशालय के समुह 'क' अधिकारियों एवं मुख्यालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति सतर्कता संबंधी शिकायतों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट व अचल संपत्ति रिर्टन संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। मुख्यालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, पी. जी. पोर्टल का कार्य भी सतर्कता अनुभाग के द्वारा किया जाता है।

निदेशालय में प्रत्येक वर्ष सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाती है।

मुख्यालय सतर्कता अनुभाग समय–समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र एवं आदेशों को निदेशालय के सभी क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय कार्यालायों एवं मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए परिचालित करता है। निदेशालय की सतर्कता प्रणाली पूरी मुस्तैदी, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं गोपनीयता के साथ कार्यरत है।

केशर कुमार
मुख्यालय कार्यालय

विशाखापट्टनम – प्रकृति का नायाब तोहफा

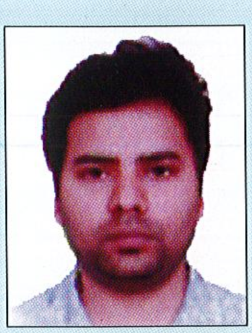

बात तब की है जब मेरा दाखिला कॉलेज में हुआ। कॉलेज में देश के हर भाग से आये हुए छात्र थे, उनमें से कुछ मेरे सहपाठी आंध्र–प्रदेश से भी थे। एक सुहानी शाम को जब मैं अपने आंध्र–प्रदेश के सहपाठियों के साथ चाय व पकौड़े का आनंद ले रहा था तभी एक मित्र जो विशाखापट्टनम से था उसने शहर के दिलकश सागर तटों, बौद्ध–स्मारक, कैलाशगिरी पर्वत, भारतीय नौसेना की कुरसुरा पनडुब्बी संग्रहालय और अरकू घाटी का बड़ी खुबसूरती के साथ वर्णन किया। इस मनोरम विशाखापट्टनम से मैं अनभिज्ञ था क्योंकि विशाखापट्टनम के बारे में यही सुना था कि यहाँ देश का जलपोत निर्माण केंद्र, व्यस्त बंदरगाह तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। मेरे दिल में विशाखापट्टनम के सौंदर्य को निहारने की इच्छा जाग उठी । लेकिन शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

लेकिन किसी ने सही कहा है "किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता" और हुआ भी कुछ यूँ ही। क्योंकि मेरी पहली नियुक्ति विशाखापट्टनम में हुई और ये खबर सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गयी। मैने तत्काल विशाखापट्टनम के लिए टिकट बुक कर ली।

अंततः 5 मार्च को मैं विशाखापट्टनम पहुँच गया। अगले दिन सुबह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध इडली का आनंद लिया। जब जलपान ग्रहण करके होटल से बाहर निकला तब वातावरण में मौजूद समुद्री हवाओं से आभास हो गया कि समुद्र तट निकट ही है। फिर मैं अपनी मंजिल प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय की तरफ चल पड़ा।

कार्यालय में सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया। नियुक्ति संबंधी प्रकियाएं पूरी करने में सहायता की । उप–निदेशक महोदया ने प्रवर्तन निदेशालय परिवार में जुडने के लिए मुझे बधाई दी ।

सायंकाल को मैं मंजुल सागर तट का लुत्फ़ उठाने के लिए रामकृष्ण तट निकल गया, यह शहर का प्रमुख समुद्र तट है । इस सागर तट के समांतर बहुत ही खूबसूरत बीच रोड है । इस सड़क पर आप कहीं भी रूक ठहर जाये, वहीं से सागर की मचलती लहरों का सौंदर्य और दूर तक फैली अथाह जल राशि नजर आती है । इसी तट के किनारे कुरसुरा पनडुब्बी की अंदरूनी दुनिया को दर्शाता है। यह मेरे लिए बहुत रोमांचित करने वाला एहसास था । सच कहूँ, तो यह अनुभव जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता ।

रामकृष्ण तट के बाद मैं कैलाशगिरी पर्वत की ओर चल दिया । कैलाशगिरी एक छोटी सी सुंदर पहाड़ी है। यहाँ भगवान शिव पार्वती की बेहद भव्य प्रतिमा स्थापित है । प्रथम दृष्टया तो यह मुझे बिल्कुल कैलाश पर्वत की भाँति प्रतीत हो रहा था। इस पर्वत से विशाखापट्टनम को निहारना एक अलग ही अनुभूति है। तीन तरफ से पहाड़ों से घिरे शहर के एक तरफ विस्तृत सागर तट है जो शहर की खूबसूरती में चार चाँद लगाता है । अब रात ढलनी शुरू हो चुकी थी इसलिए मैं अपने निवास स्थान चला गया ।

अगले सप्ताह मैं आंध्र–प्रदेश के एकमात्र हिल–स्टेशन अरकू घाटी घूमने निकल गया इसकी शहर से दूरी 112 किलोमीटर है । इसे दक्षिण भारत का "शिमला" कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । यदि आप विशाखापट्टनम आये और अरकू घाटी नहीं गये तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी रह गई । अरकू जाने वाले रेलमार्ग में बहुत सारी सुरंगे एवं ऊँचे–ऊँचे पुल मिलते हैं जो बहुत खूबसूरत है। साथ ही, हरे वन, गहरी घाटियां और सुंदर झरने अरकू की पहचान है । वोटा केव, अरकू घाटी के नजदीक है जो दर्शनीय है ।

शहर के निकट स्थित सिंहाचलम मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है। ये विष्णु जी वराह एवं नरसिंह अवतारों के लिए प्रसिद्ध है । इस मंदिर की निर्माण – शैली देखने योग्य है ।

विशाखापट्टनम का लघु नाम वाईजेग है। इसे पूर्वी तट का मोती भी कहा जाता है। यह दिन–प्रतिदिन आधुनिक रंगों में रंगता जा रहा है और भारत का एक महानगर बनने की ओर अग्रसर है । पर्यटन की दृष्टि से यह शहर काफी विकसित है। पर्यटकों के लिए यह दूसरा "गोवा" साबित हो सकता है ।

अंकित आर्या
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम

दहेज प्रथा

दहेज एक सामाजिक अपराध है, जब भी किसी लड़की को इस कारण जान गंवानी पड़ती हैं तो तरस आता है उस नौजवान पर कि अपने आपको मर्द कहने वाला असल में कायर है। उसके कंधों में इतना बल नहीं है कि एक परिवार बना सके। बेटी के माता–पिता को उसे पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए ना कि कुछ चंद रुपये देकर उसे किसी के हवाले कर देना चाहिए।

एक लड़की अपने पिता से अनुरोध इस प्रकार करती है–

"तेरी ही बगिया में खिली हूँ,
तितली बन आसमां में उड़ रही हूँ।
मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर,
ए बाबुल मुझे दहेज देकर बिदा ना कर"

दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों ने आज के समाज में अपनी जड़ें इस कदर फैला ली हैं कि इसका निवारण करना अहम हो गया है । इस संबंध में, मैं कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ–

"काली घटाएं कुछ इस कदर छाई,
रुपए पैसों के मोल गूंजी शहनाई।
व्यापारी ने मनचाही बोली लगाई।
देनदार ने खुशी से गर्दन झुकाई।।
मोल भाव था यह किसी के सपनों का,
दांव खेला जा रहा था उसके जीवन का।
अरमानों का हुआ कुछ ऐसा व्यापार।
वस्तु का कोई नहीं था उसमें विचार।।

दहेज देना भी अपराध है। जो देते हैं वो चाहते भी हैं। अतः सब लोगों को विचार करके ऐसी कुरीतियों को फैलने से रोकना चाहिए।

"पैसों के मोल खुशियाँ ना खरीदो,
जीते जी बेटी को ना खरीदो ना बेचो।।

दहेज का नाम आते ही मेरे अंदर का गुस्सा फूट निकलता है जो मुझे आए दिन बढ़ने वाली खबरों से आता है जिनमें दहेज के कारण जला दिया या दहेज के कारण आत्महत्या जैसी घटनाएँ होती हैं। मैं भी एक लड़की हूँ जब अपनी माँ को अपनी शादी के लिए परेशान देखती हूँ तो इस समाज पर गुस्सा आता है ऐसे रीति–रिवाज बनाए ही क्यूँ ? जिसमें लालच जन्म ले।

मैं अपने सभी प्रवर्तन अधिकारियों से नम्र निवेदन करती हूँ कि दहेज प्रथा के विरूद्ध अपनी तरफ से भी कदम उठायें। ना दहेज लें ना ही दहेज दें। अपने आस–पास के लोगों को भी जागरूक बनायें। अपनी ये छोटी–सी पहल किसी की जिन्दगी बचा सकती है तो किसी माँ–बाप का भार कम कर सकती है।

सुमन
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

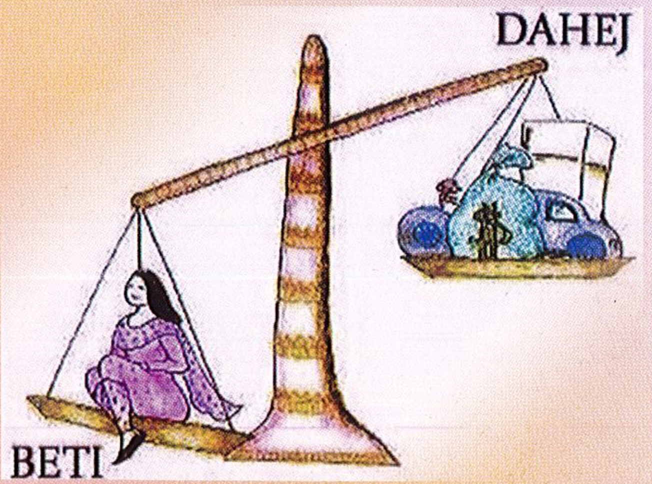

सच्चा ज्ञान

"पोथी पढ़–पढ़ जग मुआ,
पंडित भया ना कोय।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो
पंडित होय "

कबीर दास जी के इस दोहे को पढ़ते ही स्मरण हो जाता है कि मानव चाहे कितना ही पढ़ लिख क्यों न ले लेकिन जब तक वह अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान अर्जित नहीं कर लेता तब तक उसका जीवन अपूर्ण ही है।

ईश्वर ने अनेक कृतियां निर्मित की हैं। उनमें मानव भी ईश्वर द्वारा निर्मित एक श्रेष्ठ कृति है और अपनी बुद्धि विवेक के कारण ही उसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी बुद्धि के बल पर मानव ने ज्ञान जैसे सशक्त स्रोत को अपने जीवन रूपी सुरसरी में प्रवाहित किया है।

ज्ञान का गूढ़ अर्थ है 'किसी भी विषय को उसके मूल व सात्विक रूप में स्वीकार करना'। जन मानव को अपने जीवन में अनेक बाधाओं व विपदाओं का सामना करना पड़ता है तो वह ज्ञान से अपनी बुद्धि को प्रखर कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है।

वास्तविक रूप में हमें ज्ञान का सात्विक पक्ष अपनाकर उसे अपने जीवन में स्वीकृत करना चाहिए। कई व्यक्ति ज्ञान को तामसिक रूप में प्रयोग कर उसका दुरूपयोग करते है। तांत्रिक अपनी बुद्धि रूप में इसका इस्तेमाल कर सृष्टिकर्ता के कार्य में विघ्न उपस्थित कर अपना वर्चस्व स्थापित करते है। अतः ज्ञान के सात्विक रूप को अपनाकर अपना जीवन यापन करना चाहिए तभी मानव अपने जीवन की वास्तविकता तक पहुँच सकता है और अपने जीवन की यथार्थता को प्राप्त कर सकता है।

सच्चा ज्ञान वही है जो मानव को मानसिक रूप से सबलता दे या इतना सशक्त बना सके जो अपनी समस्या से जूझकर मानव को उच्चासन पर आसीन कर सके। तभी मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

अतः मानव जीवन में सच्चे ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। सच्चे ज्ञान के आधार पर ही मानव अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकता है तभी जीवन में सफलता उसके कदमों को चूमेगी और वह भविष्य में महान बनकर अपनी प्रसिद्धि स्थापित कर सकता है।

प्राची सिंह
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

कठिनाइयों में छिपा होता है आगे बढ़ने का अवसर

पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपने जीवन काल में कठिनाइयों का सामना ना किया हो। जब तक जीवन चलता है सुख और दुःख दोनों साथ–साथ चलते रहते हैं। लेकिन हर कठिनाई के साथ एक अच्छा सबक छिपा रहता है। यूँ तो कठिनाई आने पर सबल से सबल व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, लेकिन हमें कठिनाइयों से लड़ना सीखना चाहिए। जब आप किसी कठिनाई या परेशानियों में घिर जाते हैं तो एकदम से विचलित हो जाते हैं लेकिन जब आप किसी कठिनाई में फँसे हो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप मुसीबत में हो और अपनी सारी परेशानियाँ ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे इस कठिनाई से निकलने का उपाय क्या है? फिर देखिए आप खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे।

समस्या मेरे साथ ही क्यों?

अकसर लोग मन ही मन खुद को कोसते हैं कि सारी समस्याएँ मेरे साथ ही क्यों होती हैं? लेकिन यह सच नहीं है– पूरे विश्व में हर इंसान को अपनी समस्या ही सबसे बड़ी लगती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे की परेशानियों को नहीं जानता है।

कठिनाइयों से उबरने का उपाय–

अगर प्रत्येक इंसान कठिनाइयों को आसान मान ले तो वास्तव में वे आसान लगने लगती हैं लेकिन अगर मुश्किल मान ले तो छोटी से छोटी परेशानियाँ बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए प्रत्येक इंसान को कभी भी किसी परेशानी को बड़ा नहीं समझना चाहिए और धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए।

संघर्ष ही जिंदगी है–

इंसान अपने जीवन काल में अगर समस्याओं से संघर्ष करना सीख ले तो कोई भी परेशानी उसको डिगा नहीं सकती है। इतिहास गवाह है कि भगवान श्री राम जब मानव रूप में इस संसार में आए तो उनको भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और फिर सारी कठिनाइयों से उबर कर विजय प्राप्त की। उन्होंने सभी इंसान को एक प्रेरणा दी कि कभी भी किसी प्राणी को समस्याओं से जूझकर नहीं बैठना चाहिए। संघर्ष करो और कठिनाइयों से आगे निकलो।

समस्याओं में छिपे होते हैं आगे बढ़ने के अवसर

आसान काम तो हर कोई कर लेता है, आनंद तो तब आता है जब आप किसी कठिन काम को सफलतापूर्वक आसानी से पूरा कर लेते हैं। जब कठिनाई आए तो यही सोचिए कि जिस समय अंग्रेजों का दमन हमारे देश पर चल रहा था उस समय हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अनेक महापुरूषों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, सुभाचन्द्र बोस, भगत सिंह, खुदी राम बोस एवं अन्य, या फिर हमारे समाज में चली आ रही अनेक कुरीतियों को खत्म करने के लिए अनेक समाज सुधारकों को सामना करना पड़ा था जैसे कि राजाराम मोहन राय हो, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हो एवं अन्य समाज सुधारक। सभी ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गये और अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन्हीं लोगों को आज हम महापुरूष के नाम से जानते हैं। अतः जिस व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया, उसने उस पर विजय प्राप्त की और आगे जाकर वही व्यक्ति सफल हुआ है।

राजेश कुमार
आशुलिपिक–II
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

हमारी राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। अर्थात् ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सकें, बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें एवं समझ सकें। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, उसी प्रकार हमारे देश की भी अपनी राष्ट्रभाषा है, जो कि हिंदी है । अतः दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी देश की प्रगति में उस देश की राष्ट्रभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आजादी के पहले अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सारा काम चलाया और आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा होना आवश्यक है, ऐसी भाषा जो अपने देश की हो। वह भाषा केवल हिंदी ही है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, जिसे संसार के किसी भी देश का व्यक्ति कुछ ही समय के प्रयत्न से हिंदी बोलना और लिखना आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा, हिंदी ने देश में एकता लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, भारत के अधिकतर विद्वानों ने भारत की एकता और अखण्डता के लिए हिंदी भाषा का समर्थन किया है। इतने अधिक गुणों से भरपूर होकर भी हिंदी आज भी अंग्रेजी के पीछे क्यों चल रही है ? अतः हिंदी भाषा को वह महत्व नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए था । इसका सबसे बड़ा कारण ऊँचे पदों पर बैठे अधिकारी हैं जो सोचते हैं कि अंग्रेजी न रही तो देश पिछड़ जाएगा। अंग्रेजी देश की अधिकतर जनता के लिए कठिन है, इसलिए वे जनता पर इसके माध्यम से रोब जमा सकते हैं। दूसरा कारण है क्षेत्रीय भाषाओं के मन में बैठा भय। उन्हें लगता है कि यदि हिंदी अधिक बढ़ी तो क्षेत्रीय भाषाएँ पीछे रह जाएँगी। जबकि यह दोनों विचार गलत हैं। ऊँचे पदों पर बैठे अधिकारी हिंदी के माध्यम से देश की अधिक सेवा कर सकते हैं और जनता का प्रेम पा सकते हैं। आज अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं को पीछे धकेल रही है जबकि हिंदी की प्रवृति किसी को पीछे करने की नहीं, बल्कि मेलजोल की है। यदि हिंदी का विकास होता है तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होगा।

भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार करें, हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दें एवं अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। तभी हिंदी समुचित राष्ट्रभाषा बन पाएगी।

मो. असलम
आशुलिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

उत्तर प्रदेश – एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रदेश

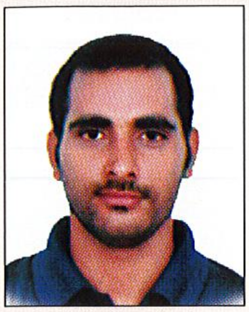

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा (जनसंख्या के आधार पर) राज्य है । लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिंदी की जन्मस्थली है । शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए हैं। साहित्यिक हिंदी ने 19 वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप (हिन्दुस्तानी) धारण नहीं किया था । वाराणसी के भारतेन्दु हरिश्चंद्र (1850–1855) उन अग्रणी लेखकों में से थे, जिन्होने हिंदी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया था ।

सांस्कृतिक जीवन :–

उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्‌गम स्थल है। 18 वीं सदी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन व मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली "कथक" भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध लोकगीत मौसम पर आधारित है। वास्तुकला, चित्रकारी, संगीत, नृत्यकला और दो भाषाएँ (हिंदी व उर्दू) मुगल काल के दौरान यहाँ पर विकसित हुईं। संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान (गुप्त काल) उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ ।

त्योहार :–

उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं जिनमें दीपावली, होली व चित्रकुट में दीपदान करने की विशेष मान्यता है । उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुम्भ मेले का आयोजन भी होता है जहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्र के श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाना अत्यन्त पवित्र माना जाता है । चित्रकूट उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में एक माना जाता है इसके अतिरिक्त मुस्लिमों के त्योहार को भी पूरे राज्य में हर्षोल्लास से मनाया जाता है ।

पर्यटन स्थल :–

उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले है जहाँ देश–विदेश के लोग आते हैं और यहाँ के आकर्षक चीजों का आनन्द लेते हैं। पर्यटन स्थल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और बनारस में सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था और उनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई जहाँ उनका समाधि स्थल है । प्रसिद्ध स्थानों में विध्यांचल हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिल्प संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने से भरा है। प्रसिद्ध स्थानों में आगरा का लालकिला भी है। प्राचीन स्थलों में इलाहाबाद चित्रकूट, अयोध्या, वृन्दावन आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है।

हस्त शिल्प :–

यहाँ सूती कपड़े जैसे साड़ियाँ, चादर आदि बनाए जाते हैं। यहाँ पर कपड़ों पर चिकन कढ़ाई का काम भी होता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में साड़ियाँ काफी प्रसिद्ध हैं और विभिन्न प्रकार की चूड़ियों का काम फिरोजाबाद में देखने को मिलता है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन व औरंगाबाद में तेराकोटा काफी

प्रसिद्ध है । यहाँ पर मिट्टी से भी हस्तशिल्प बनाएं जाते हैं जिनमें मटके, बर्तन एवं अन्य प्रकार के आकर्षक वस्तुएं शामिल हैं।

भोजन या खान–पान :–

यहाँ की अपनी एक अलग खास नवाबी खान–पान शैली है। विभिन्न प्रकार की रोटियाँ, बिरयानियाँ, कबाब, शीरमाल, जर्दा आदि प्रमुख हैं। इसके आलावा अन्य नवाब पकवान जैसे दमपुख, लच्छेदार प्याज और हरी चटनी के साथ सीख–कबाब और रूमाली रोटी का भी जवाब नहीं। लखनऊ की चाट देश की बेहतरीन चाट में से एक है। इसके अलावा चावल का भी काफी उपयोग है। चावल से पापड़ विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ लोग चावल के साथ दही मिलाकर भी खाते हैं। प्रसिद्ध व्यंजन में दूध और चावल की बनी खीर काफी प्रसिद्ध है ।

सुजीत कुमार
आशुलिपिक ग्रेड –।।
क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरू

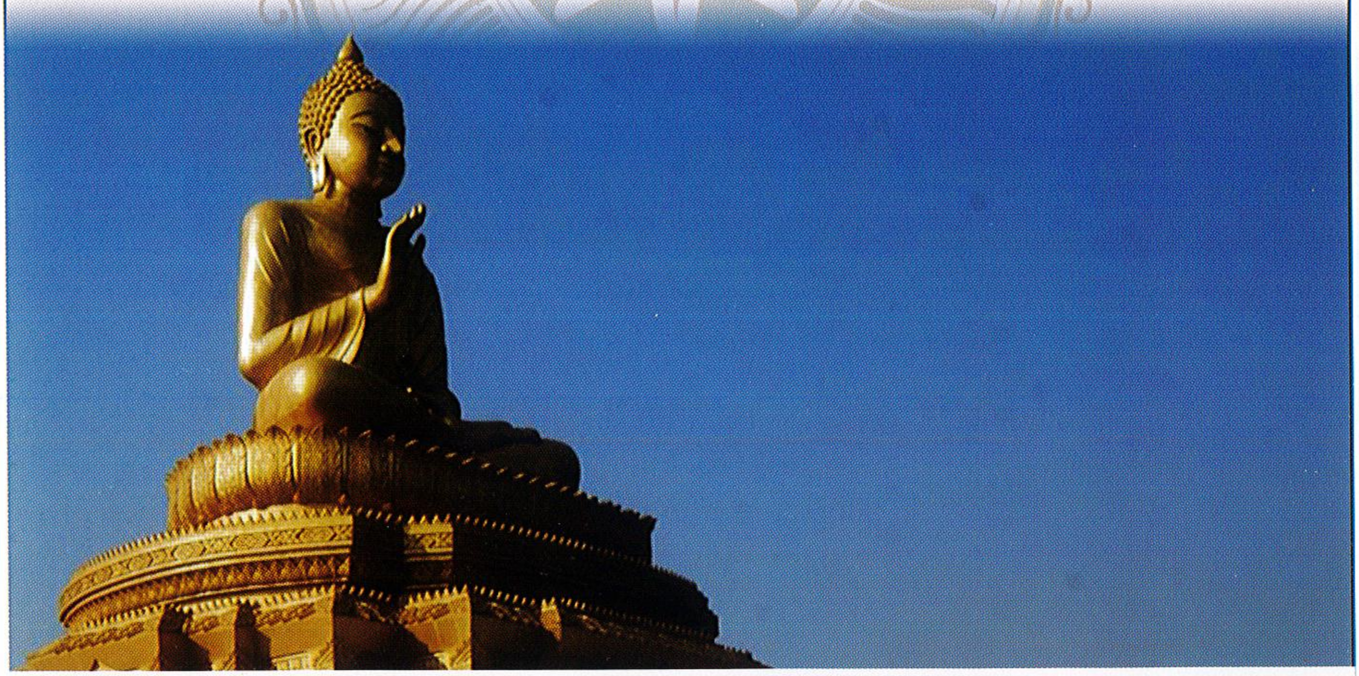

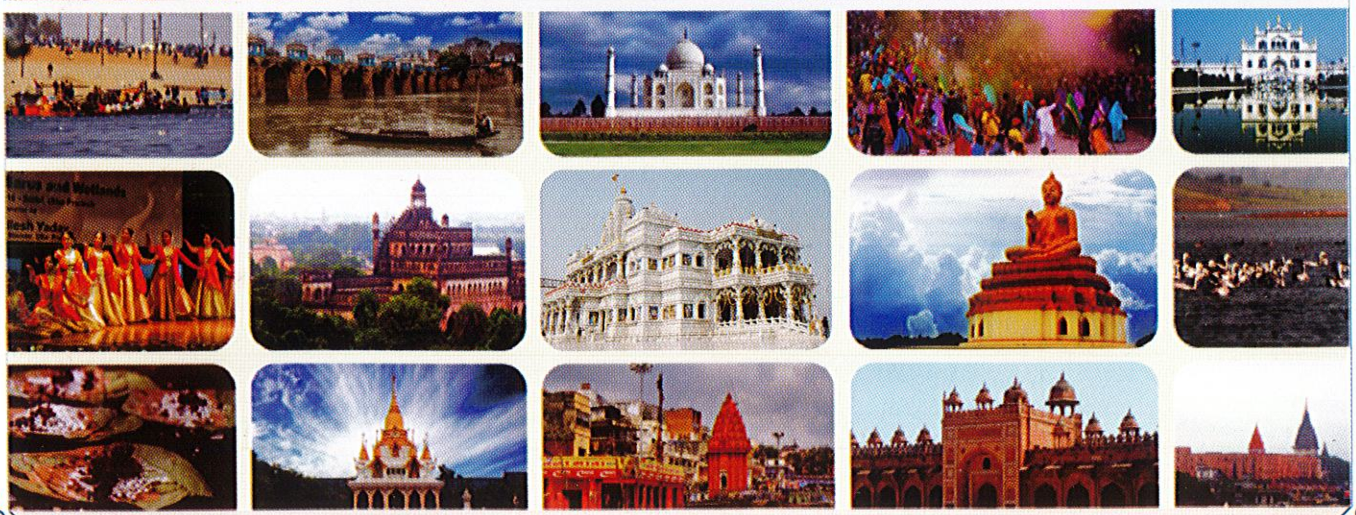

खुद के चौकीदार कैसे बनें

प्रकृति के नियम के अनुसार धरती पर सभी जीवों में से कुछ गिने–चुने जीव, जिसमें इंसान और थोड़े बहुत पालतू जानवर ऐसे जीव हैं जो प्रकृति के दूसरे जीवों से कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। पर इंसानों के पास इतना समय ही कहां है कि वे प्रकृति को देखें और उससे कुछ सीखकर अपने जीवन में उतारें।

इंसान, लगभग अपनी आधी जिंदगी तो किसी न किसी की निगरानी करने में ही बिता देता है जैसे कि एक पति अपनी पत्नी की निगरानी करता रहता है और एक पत्नी अपने पति की, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की निगरानी करता रहता है और विद्यार्थी अपने शिक्षक की, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की और प्रेमिका अपने प्रेमी की।

अब आप अपने आसपास एक नजर दौड़ाएं, ऐसे हजारों उदाहरण नजर आएंगे जिनमें आपको कोई न कोई किसी न किसी की निगरानी करता हुआ नजर आएगा। पर इससे उस इंसान का क्या हाल होता है जैसा इस पेड़ का हुआ था।

कोलोराड़ों की समुद्री ढलान पर एक विशाल पेड़ था, जिसकी सुखी हुई लकड़ियां उसी जगह पर पड़ी थी जो काफी भारी मात्रा में थी। प्रकृति वादी का कहना है कि यह पेड़ कुछ 400 साल तक वहीं खड़ा था। क्योंकि जब कोलंबस सान साल्वाडोर में उतरा था तब भी यह पेड़ था जो उस वक्त छोटा–सा था।

अपनी इस लंबी जिंदगी में उस पेड़ के ऊपर अनेक बार बिजली गिरी थी, अनगिनत हिमस्खलन उस पर पडे, और लगातार चार सदियों के तूफानों और धुंआधार बारिश पर इस पेड़ को कुछ नहीं हुआ वह अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा रहा। पर आखिर में बड़ी तादाद में कीड़ों की सेना इस पेड़ पर आ पहुंची । पेड़ के नीचे की जमीन और पेड़ की छाल में उन्होंने अपने घर बनाये। पर धीरे–धीरे कीड़ों ने पेड़ की छाल को कुतरना शुरू किया, सिलसिला लगातार चलता रहा और कीड़ों के अनगिनत हमलों से एक समय ऐसा आया कि उस विशाल पेड़ की आंतरिक शक्ति नष्ट हो गई।

जिस पेड़ को बिजली, तूफान, हिमस्खलन भी हिला नहीं पाए उस पेड़ को उन छोटे छोटे कीड़े जिन्हें हमारी दो अंगुलियों के बीच आसानी से कुचला जा सकता है, कीड़ों ने मिलकर उस विशाल पेड़ को ध्वस्त कर दिया।

अब अगर आप इस कहानी को ठीक से समझ पाए हैं तो यह पेड़ इंसानों को एक चेतावनी दे रहा है। जैसे कि हम सब अपने बुरे समय में कैसे भी करके जी लेते है। विश्वास नाम की एक शक्ति है जो बुरे समय में इंसानों को जिन्दा रखती है और एक दूसरी शक्ति है निगरानी या चौकीदारी, जिसके अलग–अलग तरह के कीड़े हमारे अंदर भरे पड़े हैं।

इन कीड़ों में ईर्ष्या, आक्रोश, लालच, नकारात्मकता, क्रोध, संकीर्णता जैसे कई कीड़े हमारे अंदर हैं जो हमें धीरे–धीरे अंदर से कुतर रहे हैं जिसकी हमें भनक तक नहीं है और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भी आंतरिक शक्ति नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल उस पेड़ की तरह और हमारा भी पतन हो जायेगा। अभी भी आपके पास समय है, "उठे तभी सवेरा" समझकर आज से ही आप अपने आप की निगरानी करना शुरू कीजिए कि आप के अंदर कौन–से कौन से कीड़े हैं, उसका पता लगाइए और उन कीड़ों को अपने अंदर से निकालना शुरू कीजिए और खुद को एक सकारात्मक इंसान बनाइए । पर यह सब करने के लिए आपको खुद की ही चौकीदारी करनी पड़ेगी।

सारिक खान
अवर श्रेणी लिपिक
जोनल कार्यालय, हैदराबाद

मेरी भाषा हिंदी

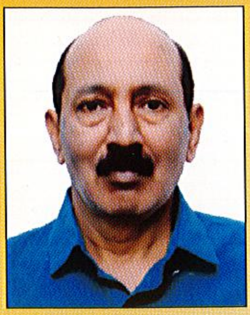

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी
मेरी पहचान है ।
हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा
प्यारा हिंदुस्तान है।

हिंदुस्तानी है हम गर्व
करो हिंदी भाषा पर,
सम्मान देना और
दिलाना दायित्व है हम पर,

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है।

होंठ खामोश थे सिसकियाँ कह गईं,
द्वार बंद थे, खिड़कियाँ कह गईं,
कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई,
जो न कह पाए वो हिचकियाँ कह गईं।

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है ।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है ।

वक्ताओं की ताकत भाषा,
लेखक का अभिमान है भाषा,
भाषाओं के शीर्ष पर बैठी,
मेरी प्यारी हिंदी भाषा,

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है।

आज स्याही से लिख दो तुम अपनी पहचान,
हिंदी हो तुम हिंदी से सीखो करना प्यार,

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है।

हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है,
और हम इसकी शान है,
दिल हमारा एक है और एक हमारी जान है ।

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है ।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है ।

हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं ।
एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है ।

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है ।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है ।

हिंदी पूरे विश्व का हो गान,
हिंदी को बनाए भारत की शान,

हिंदी हिंदी हिंदी,
भारत माँ की ये बिंदी,

हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है ।
हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है।

जे. पी. सिंह
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

स्वप्न और यथार्थ

सोचा था एक सुन्दर उद्यान–गृह होता
लगे होते जिसमें हरे–भरे वृक्ष,
इतराते नव–पल्लव–दल–व्यूह
लदे होते भाँति–भाँति के जिसमें
कच्चे–पक्के फल–समूह
लता–पुष्प–वल्लरी–युक्त हरीतिमा–संयुक्त होती पूरी धरती
एक गोशाला, द्वार पे चटाई,
बरामदे में सींक और बेंत की कृतियाँ
मित्र–वित्र अपने–सपने सब साथ आते–जाते मधुर आवास बनाते
गर्मियों में अलसाते, अमियों के भीने गंध–स्वाद से तर जाते
बारिश में हुलसते, नाचते मोर संग,
पपीहे को एक नया राग बताते
फैले–फैले रहते, जाड़े में धान की सूखी पुआल में लिपट–सिमट सिकुड़ते
अपनी गाजर, अपनी मूली, शाक–सब्जी, जल–फल, दूध–अमरुद सब अपने गृह के होते
पर तभी सिकुड़ती धरती ने धिक्कारा,
मैंने सीमा से ज्यादा चाहा
कहाँ लोगों को एक इंच धरती नहीं मयस्सर, तुमने सारी धरा पर लगायी नज़र
अच्छे–खासे लोगों को भी ख़ालिस वस्तुएँ प्राप्य नहीं, और तुमने कैसे चाहा
पर ये लोग तो वो हैं जो केवल चाहते हैं,
ग्राम–प्रांतर मूल से सदा दूरी रखते हैं
मैं तो मन से ग्राम्य और वन्य आत्मा हूँ,
नगर मुझे दीमक की तरह चाटता है भीतर
पर अब तो ग्राम्यता भी नहीं बची,
उसे लग गयी एक नागर नजर
पर फिर भी मैंने बहुत ही ज्यादा चाह लिया
अब ये बातें केवल स्वप्न हैं,
यथार्थ–शिला से टकराकर हो रही चूर्ण हैं
नहीं, ये खुला गगन तो अपना है,
सारे भाव पूरा सपना अपना है
सूखी धरा, कंक्रीट का जंगल,
मोटर में मंगल, मन की आग और आह,
सब अपना ही तो है।

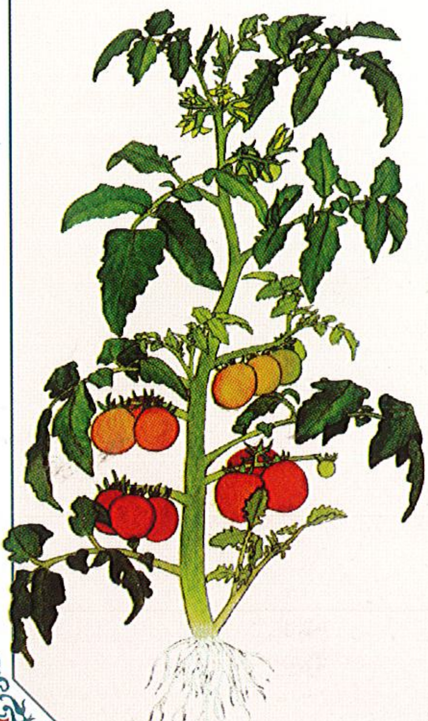

सुबोध कुमार
उप निदेशक
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

गुरु

स्वागत है, पुष्पकुंज में,
अनुपम कुसुम कलियों में।

स्वागत है, ज्ञानकुंज में,
भोले–भाले बचपन का।

ज्ञानकुंज के प्रांगण में,
गुरु शिक्षा की ज्योति जली है।

ज्ञान ज्योति दीपक की बाती,
गुरु महिमा से प्रज्वलित हुई है।

गुरु बिन ज्ञान खाली गागर,
गुरु ज्ञान से सजल भरी है।

नीति, धर्म और शास्त्र अधूरे,
गुरु ज्ञान से पूर्ण हुए हैं।

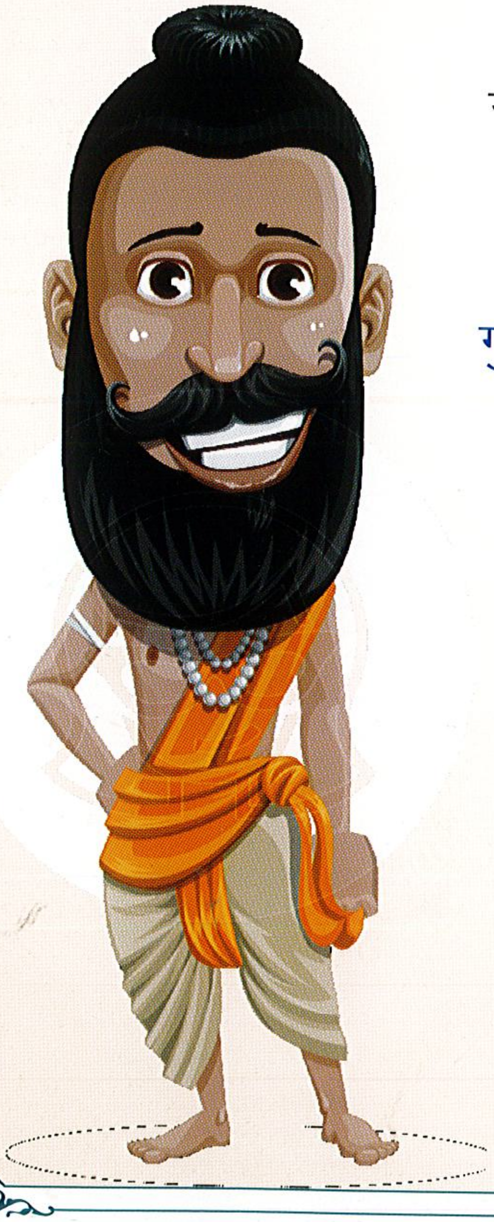

अनिल चन्द्र वर्मा
सहायक निदेशक
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

पिता का अंश

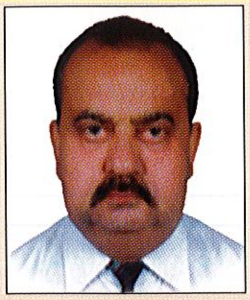

संतान जन्म का दर्द सिर्फ माँ
ही सहती है, सभी बताते हैं।

पिता की घबराहट और दुःख
लोग कम ही देख पाते हैं।

बच्चे की चोट पर कलप के रोती माँ,दिल ही
दिल में रोते पिता को कम ही देख पाते हैं।

बच्चे को पालने का श्रेय हर पल माँ को ही जाता है।

अँगुली पकड़कर चलना सिखाता पिता,
किसी–किसी को ही नज़र आता है।

माँ का समर्पण एक साफ दर्पण की तरह होता है।

परिवार की पूर्ति, पिता की इच्छाओं का हनन
कभी–कभी विस्मरण होता है।

माँ का जलता चूल्हा, धुआं पकती रोटी और
बच्चे का निवाला,

पिता की मेहनत, माथे का पसीना और हाथों का
छाला कौन देख पाया है।

गलतियों पर पड़ने वाली डांट, पिता का गुस्सा
किसी को नहीं भाता है।

वात्सल्य की इसी डांट में छुपी माली जैसी
कान्त छटा कौन देख पाता है।

पिता की फटकार बस करो बहुत हुआ कह, बीच
आने वाली माँ पर प्यार आता है।

अपनी फटकार पर दुखी पिता का मन, क्या
कोई समझ पाता है?

बच्चे का रोते–रोते माँ से लिपटता और गोद में
चढ़ना जाना जाता है।

पिता के हाथों आसमान की तरफ उछालते
खिलखिलाना किसी–किसी को याद आता है।

बच्चे को प्यार से घर में क ख ग सिखाती
माँ की आवाज सब सुन पाते हैं।

स्कूल फीस के लिए उधार, दाखिला के लिए
पिता की भाग दौड़ कौन देख पाते हैं?

ए.के. श्रीवास्तव
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

चलो, चलो, एक दीप जलाएँ

चलो, चलो, एक दीप जलाएँ
सकल जगत से तमस भगाएँ
शिक्षा का उजियारा घर–घर पहुँचाकर
अज्ञान का अँधेरा दूर हटाएँ
चलो, चलो, एक दीप जलाएँ।

क ख ग को सुने–सुनाएँ
ए बी सी को भी अपनाएँ
मिलकर लिखते–पढ़ते जाएँ
ज्ञान का प्रकाश फैलाते जाएँ
चलो, चलो, एक दीप जलाएँ।

नए युग और नए परिवेश में
उन्नत तकनीक को भी अपनाएँ
रंग–रूप का भेद मिटाकर
इस धरा को सबल बनाएँ
चलो, चलो, एक दीप जलाएँ।

बेटा–बेटी का भेद मिटाकर
ज्ञान का फल बाँटते जाएँ
गाँव–गाँव और घर–घर जाकर
साक्षरता की अलख जगाएँ
चलो, चलो, एक दीप जलाएँ।

अशिक्षा की अमावस्या को
ज्ञान के दीपों से सजाएँ
शहर–शहर और गाँव–गाँव में
ज्ञान की लौ जलाते जाएँ
चलो, चलो, एक दीप जलाएँ।

क्या गरीब को, क्या अमीर को
शिक्षा का महत्व समझाते जाएँ
कोशिश मिलकर करते जाएँ।
साक्षरता को खूब बढ़ाएँ
चलो, चलो, एक दीप जलाएँ।।

राजेश गोयल
प्रवर्तन अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय

कोई सदा कहाँ टिकता है

सदा कहां संबंध किसी से, व्यर्थ मोह पाश में बंधता है
फल पकने के बाद स्वयं ही, तरूवर सारे फल तजता है
कोई सदा कहां टिकता है ?
तुम्हें प्यार का भ्रम है केवल, प्यार के नाम सदा छलता है
बिछा मोह का ताना बाना, जग उपयोग किया करता है
कोई सदा कहां टिकता है ?
माटी के तन रहने के हित, पाथर महल व्यर्थ चुनता है
देह, गेह और नेह का बंधन, बहु जन्मों तक ना चुकता है
कोई सदा कहां टिकता है ?
इधर गिने बहु कंचन केंकर, उधर सांस कोई गिनता है
मूरख सोचे माया पाई, उधर सांस का धन घटता है
कोई सदा कहां टिकता है ?
उदय संग ही अस्त उपजता, अस्त के साथ उदय चलता है
इधर सृजन और उधर विसर्जन, फिर भी भजन नहीं करता है
जीवन व्यर्थ किया करता है ?
कर्म विधान अटल और निश्चित, टाले नहीं टला करता है
योग वियोग जगत के नियम, व्यर्थ प्रलाप किया करता है
कोई सदा कहां टिकता है ?
कर्म विधान यही कहता है, पल–पल ही जीवन चलता है
धीरे–धीरे ही फल पकता है।
कोई सदा कहां टिकता है ?

सन्तोष कुमारी
आशुलिपिक
मुख्यालय कार्यालय

इसकी मत कुछ पूछो यारों

इसकी मत कुछ पूछो यारों, वो तो यूं ही मुस्कुराएं जाता।
घनी अमावस में भी वह प्रेयसी की छवि निहारे जाता।

घाट वही पुराना होता, सब कुछ विराना होता,
ठांव वो तो पुराना छेके–छेके, नाव हर राज बांधे जाता।

सीढ़ियां जर्जर होतीं, लहरें उछल–उछल कर आतीं,
वो तो पैरों को छपछपाते–छपछपाते, न जाने क्या गुनगुनाए जाता?

शाम का ढलता प्रहर होता, कॉलेज का वही खंडहर होता,
वो तो अधर से बांसुरी चिपकाए, पुरानी राग सुनाए जाता।

बारिश घनघोर होती, चारों ओर घुप अंधेरा होता,
वो तो थरथराती आँखों से, इन्द्रधनुष की आस लगाए जाता।

सूखे फूलों का ढेर होता, पुराने खेत का वही मेड़ होता,
वो तो बिखरे पत्तों से लिपट–2, प्रियतमा की चुन्नी लहराए जाता।

मंजिल आगे दिखती नही, पैर अब टिकते नहीं,
वो तो डगमगाते पैरों से, नई–नई थाप सुनाए जाता

इसकी मत कुछ पूछो यारों, वो तो यूं ही मुस्कुराएं जाता।
घनी अमावस में भी वह प्रेयसी की छवि निहारे जाता।

समीर कुमार वर्मा
वरिष्ठ अनुवाद,
मुख्यालय कार्यालय

सैनिक

ए भारत माँ, ए भारत माँ,
जंग पर चला बेटा तेरा
आज अगर मैं तेरे खातिर
मिट्टी में मिल जाऊँगा
ना होकर गुमनाम कोई मैं
नाम अमर कर जाऊँगा,
सर जो कटेगा तेरे खातिर
हँसके मैं कटवाऊँगा
तेरे खातिर मौत जो आये
हँस कर गले लगाऊँगा
मेरा मरण होगा ऐसा
हर एक व्यक्ति को भाएगा
अमर शहीदों में एक दिन
एक मेरा नाम भी आएगा
मेरा नाम भी आएगा ।।

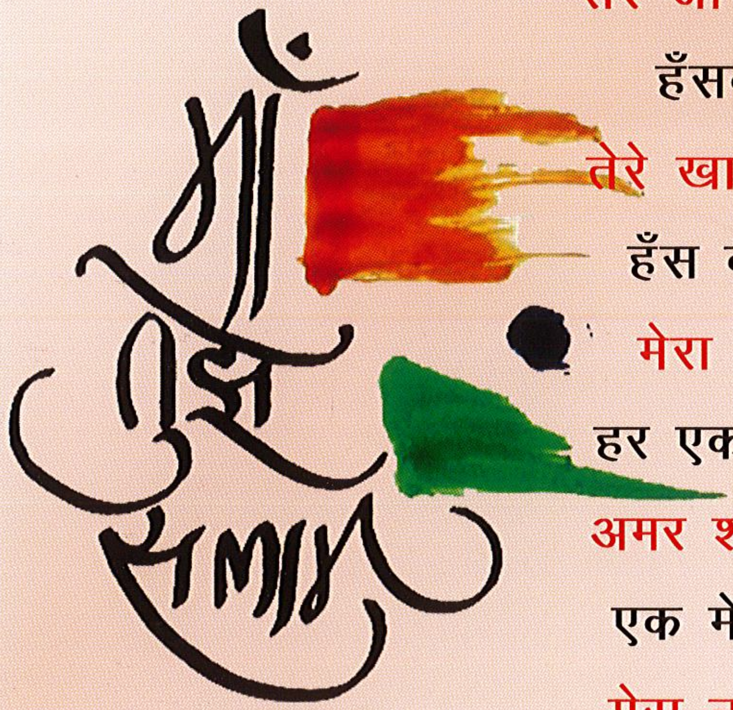

विपिन
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय

वजूद

"कुछ तुमको खबर है कि नहीं
मेरी आँहो का असर है कि नहीं,
ऐ सबा इतना बता
इस जहां में मेरा गुजर है कि नहीं
देखता हूँ जहां तक
खामोश जुल्मत के साये हैं,
जो उजाला मिल सके
ऐसा कोई शहर है कि नहीं
ये शोरगुल ये बद हालात
फिक्र से गुजरता हुआ दौरे हयात
जहाँ कुछ लम्हें पुर–सुकूत गुजरे
ऐसा कोई शहर है कि नहीं
चंद सिक्कों और
शहवतों की खातिर
अपना ज़मीर बेचने वालों
इस बस्ती में कोई बशर है कि नहीं
सब्र कुछ और सही
हाँ ये दर्द कुछ और सही
लेकिन कोई इतना बताओ
ये सितम मुख्तसर है कि नहीं
गिराकर दस्तार को
जो तुम सुकून तलाशते हो
देख लेना कभी आईने में
तेरे बदन पर सर है कि नहीं।"

मनीष कुमार झा
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

माता-पिता

हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है
हम अब तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है!
अभी जिन्दा है माँ बाप मेरे मुझे कुछ भी नहीं होगा
मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है!!

किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता!
शायद अब घर से कोई माँ बाप के पैर छूकर नहीं निकलता!!

ना जरुरत उसे पूजा और पाठ की!
जिसने पूजा की है माँ और बाप की!!

बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती
सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती!
जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में
उसकी झोली कभी खाली नहीं होती!!

अजय कुमार मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कालीकट

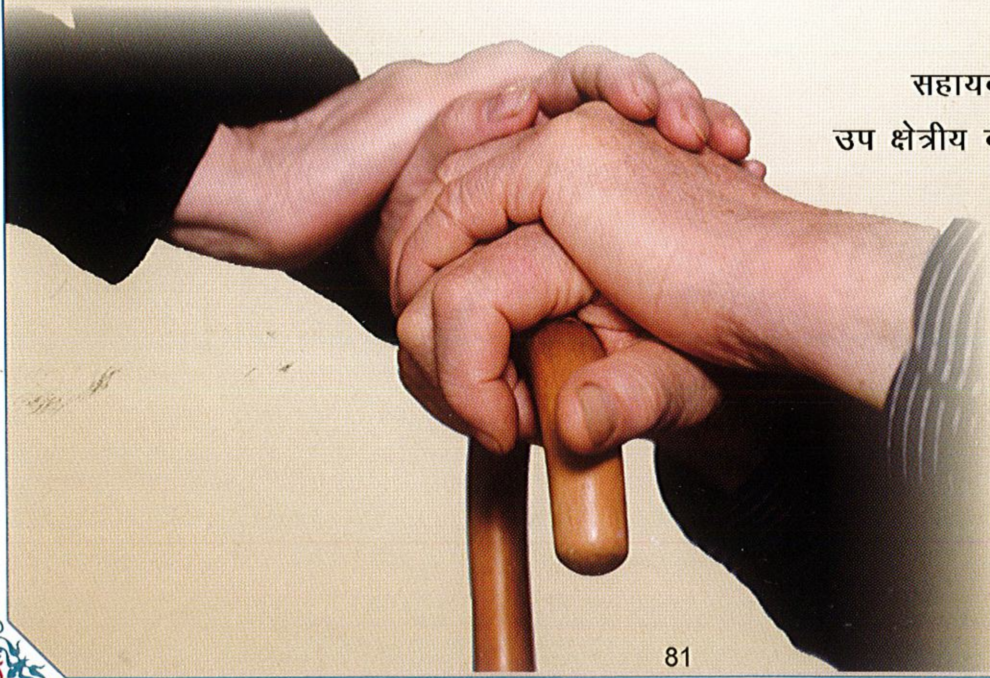

क्षितिज के उस पार

क्या है क्षितिज के उस पार?
शायद सुख की संभावनाएं अपार
नित यही उलझन मेरी की
नित नया है संसार
क्या है क्षितिज के उस पार?

कृषक जो तन और मन से
और लगन व जीवन धन से
पूजता अपनी भूमि को है
देकर अमृत सार
फिर भी एक बूंद भी मधु की
मिलती नहीं है उम्र भर
बाट जोहे वो निरंतर
लिए आंखों में फुहार।
शायद उसके लिए संवेदना है हर जन में
क्षितिज के उस पार ....

दीपिका त्रिपाठी
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

अपनी-अपनी पहचान

पानी की एक छोटी सी बूँद
जब आसमां से बरसती है,
कभी सागर में गिरती है,
तो कभी ज़मीं में समा जाती है,
कभी फूल–पत्तियों पर बरसती है,
तो कभी सीप में गिर जाती है,

जब ये बूँद सागर में गिरती है
तो आती–जाती लहरों में मिलकर
अपना अस्तित्व ही खो देती है ।

जब ज़मीं पर गिरती है
तो मिट्टी में कहीं धूमिल हो जाती है ।

कभी–कभी यही बूँद
जब फूल और पत्तियों पर बरसती है,
तो शबनम बनकर मन को लुभाती है ।

लेकिन कभी–कभी जब यह बूँद
इत्तिफाक से किसी सीप में गिरती है,
तो एक नए वजूद को अपनाकर
मोती बन जाती है,
और अंलकारों की शोभा बढ़ाती है।

बूँद तो वही है
और बरसने वाला पानी भी वही है,
लेकिन जीवन के हर पहलू पर
अपनी अलग पहचान बनाती है ।

एक छोटा-सा आशियाना

चाहते हैं हम
एक छोटा–सा अपना संसार हो
फूलों से खिलते हुए चेहरे
ठंडी बहती बयार हो ।
शांत कोमल नदी का किनारा
और हल्की–सी फुहार हो।
हर लहर संग साहिल पर आता
हल्का–सा एक इंतज़ार हो ।
ऐसे ही भीगे आलम में
अपना भी एक आशियाना बना हो
खिड़की खुले तो नदियां दिखती हो
छत पर झिलमिल तारों का साथ हो ।
एक छोटा सा आँगन हो घर में
जहाँ चाँदनी का प्रसार हो ।
बहती हुई हवा के झोंके
हर पल मन को छूकर जाएं
हर फूल की खुशबू लाकर
हर कोने को महकाएं ।
एक और अभिलाषा है दिल की
पास ही एक उपवन बन जाए
जहाँ तरूवर की ठंडी छाया हो
और पंछी एक स्वर में गाएं ।
कुछ तितली हों, कुछ भँवरे हों,
और कुछ मोर भी आएं
ये सब मिलकर इस उपवन में
अपने भी सुंदर आशियाने बनाएं ।
ऐसा अगर हर आशियां बन जाए
तो मन पंछी बन उड़ जाए
और तरूवर की सबसे ऊँची डाली पर
बैठ मधुर संगीत सुनाए ।

डॉली गर्ग
आशुलिपिक
मुख्यालय कार्यालय

जीवन की राहों में

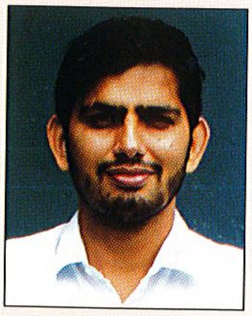

थमे–थमे पैर अब चलने लगे हैं,
तुतलाती जुबान अब कहने लगी है,
सुस्त दिमाग अब सोचने लगा है,
कि जीवन की राहों में, हम बड़े होने लगे हैं।

थोड़ी कठिनाइयां सामने आने लगी हैं
दिल अब तेजी से धड़कने लगा है,
सीने में अब उत्साह भरने लगा है,
कि जीवन की राहों में, हम कुछ करने लगे हैं।

आँखें अब अलग अंदाज से देखने लगी हैं,
जुबान अब नये गीत गाने लगी है,
दिल भी अब कुछ कहने लगा है,
कि जीवन की राहों में, प्यार जैसा कुछ होने लगा है।

दिल टूटकर संभलने लगा है,
हौसले अब फिर से नये बुनने लगा है,
सांसें, सांसों से कुछ कहने लगी हैं,
कि जीवन की राहों में, देश के लिए कुछ करने लगे हैं।

सुशील छरंग
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

एक पर्वत की कहानी उसी की जुबानी

तू क्या जाने, ऐ इन्सान
मैंने देखा है कैसा–कैसा ये जहान
जल में जीवन से तेरे जीवन तक की सुनादूँ मैं दास्तान।

अगर हो तेरा फरमान
तू सोचता है की तूने दुनिया देखी है
पर, मैं बताऊँगा कि दुनिया कितनी अनदेखी है।

तू सोचता है की तूझसा कोई ज्ञानी नहीं
पर मैं जानता हूँ, उन ज्ञानियों को जिनकी कोई सानी नहीं।

जितना गहरा तू आज है
मैंने देखा है वो विद्वान जो जन्म से इतने गहरे थे
तू सोचता है की धरती को सुन्दर बनाया है तूने
मैं मानता हूँ कि इसकी सुन्दरता पर दाग लगाया है तूने।

मैंने उन समुद्रों को भी हँसते देखा है
जो रो रहे आज तेरे कारण
मैंने उन नदियों को जिन्दा देखा है
जो मर रही है आज तेरे कारण।

भगवान तक को बाँटने वाले ऐ इन्सान
तू क्या जोड़ेगा मानव को ?
ऐसे कर्म तू रोज कर रहा है
जो पैदा कर रहे है दानव को।

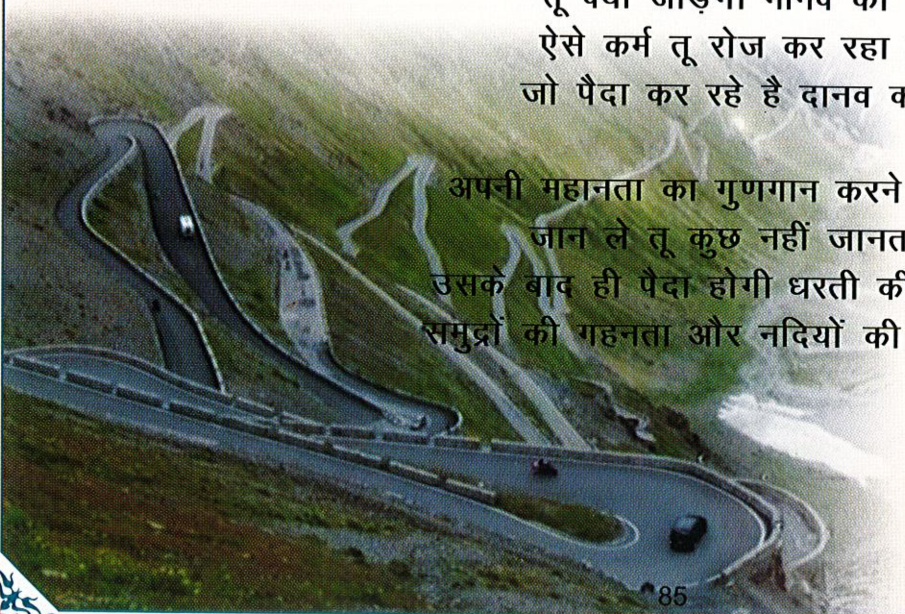

अपनी महानता का गुणगान करने वाले तू
जान ले तू कुछ नहीं जानता।
उसके बाद ही पैदा होगी धरती की महानता
समुद्रों की गहनता और नदियों की चंचलता।

विकास वशिष्ठ
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

भ्रष्टाचार

मानव को मानव पर से उठ गया हो विश्वास जैसे
आपस के रिश्तों में मिट गया हो प्रेम जैसे
चारों तरफ फ़ैल गया है वैचारिक अन्धकार
हर कोई कर रहा है इस पर विचार
क्योंकि मानव ने सीखा है एक नया उपाय, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार..... भ्रष्टाचार.... चारों तरफ है भ्रष्टाचार
सच्चाई का आधार लुप्त हो गया हो जैसे
झूठे और फ़रेबियों का जाल फ़ैल गया हो जैसे
मेहनत करने वाले कर रहे हैं हाहाकार
सच्चे लोगों का तो जैसे हुआ है बुरा हाल
क्योंकि मानव ने सीखा है एक नया उपाय, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार..... भ्रष्टाचार.... चारों तरफ है भ्रष्टाचार
चकाचौंध की दुनिया आडम्बर भरा हो जैसे
शिष्टाचार की हमने तिलांजलि दे दी हो जैसे
सुनता था हमेशा वो अपने दिल की आवाज
परन्तु छेड़ा है उसने आजकल एक नया साज
क्योंकि मानव ने सीखा है एक नया उपाय, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार..... भ्रष्टाचार.... चारों तरफ है भ्रष्टाचार
पर मेरे मित्र बताना चाहता हूँ मैं एक बात
क्षणभंगुर है भ्रष्टाचार का साथ
दामन थामो उसका जो जिंदगी भर निभाए साथ
अंतर–आत्मा की सुनो आवाज जो दिखाए सच्ची राह
छोड़ो भ्रष्टाचार, निभाओ शिष्टाचार
सच्ची राह पर चलकर जीवन बनाओ सुखमय और साकार ।

सुरज कुमार
आशुलिपिक – II
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

माँ

माँ एक बात तुझे बताती हूँ
तेरी बेटी हूँ इसलिए समझाती हूँ
गलत न तू मुझको समझना
मेरी बातों को गौर से सुनना ।
एक दिन मैं भी किसी के घर जाऊँगी
पर मैं तुझे याद बड़ी ही आऊँगी
तू मेरे जाने से कभी दुखी ना होना माँ
मैं तेरे घर फिर से एक नये रूप में आऊँगी
हो, जन्म तेरी कोख से ना होगा
तू उसे अपने घर ले के आएगी ।
बेटी होगी किसी और की पर घर तेरा महकाएगी
रोशन करेगी घर तेरा वो बहू तेरी बन जाएगी
पर तू देना उसे मुझ जैसा प्यार
फिर तू भी उससे प्यार पायेगी ।
कभी न करना फर्क उसमें और मुझमें
वो तुझे मुझसे भी ज्यादा भायेगी
तू प्यार देगी जितना उसे, उतनी वो तेरी कहलायेगी
माँ बेटी हूँ मैं तेरी, तुझे कभी ना गलत सिखाऊँगी ।
आयी मैं भी किसी और के घर शायद मेरी सास कभी माँ न बन पायेगी
मैं भी रहूँगी बेटी माँ तेरी पर वो तेरी जान बन जायेगी ।

प्रतिमा कुमारी
आशुलिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

ऐसा ना बन जाना मानव, तुमको मानव कहते मानवता शर्माये

पशुओं से भी हिंसक हो गये मानवता का नाम नहीं,
भौतिकता का चढ़ा है पर्दा दया तो केवल नाम रही
भौतिकता में अंधे होकर तुमने जंगल–बाग उजाड़े,
तोड़े धड़ तुमने गिरि के मोड़ दिए नदियों के धारे
दिन रात का तुमने भेद मिटाया, प्रकृति का तुमने क्रोध जगाया,
देखो क्रुद्ध हुई हैं लहरें देखो लुप्त अम्बु धर के साये,
नदियों का रौद्र रूप देखो सूखे से मरते लोग हैं देखो,
ढहते पर्वत धसती धरती, देखो अर्श पर राख के साये
ऐसा ना बन जाना मानव, तुमको मानव कहते मानवता शर्माये
प्रकृति ने जिसको जीवन सौंपा, जीविका का भी ध्यान दिया है,
तुमने ऐश्वर्य के खातिर दाती का अपमान किया है
अर्थ का ऐसा पाठ पढ़ा है, जगत तंत्र सब भूल गये,
चलते फिरते मानव देखो सर्वकुशल सब यंत्र भए
आपस में ही लड़े मरे हो, देखो विकसित बन कहां खड़े हो,
ऐसे विकास से पाषाण था अच्छा बस युद्ध का था तरीका कच्चा
विकास की अंधी दौड़ लगी है, बैठे हैं उन्नत अस्त्र बनाए,
नैतिकता पड़ी कराह रही है, कौन व्यर्थ में समय गवाएं
ऐसा ना बन जाना मानव, तुमको मानव कहते मानवता शर्माये
बढ़ते जग के अंधियारे में, आशा का ऐसा दीप जलाएं,
जीवन मिल जीवन बनता मानवता को ये सिखलाएं
दूर करो भय जग का जग से तुम्हें अभयदान मिले,
मीत मिले मानव सुधरे जग में ऐसे कुछ काम करें
मानव के अलावा जग में, जीवों में शब्द–विवेक नहीं,
मिलो प्रेम से जीव जगत में मानवता का है काम यही
सहज रूप है देना प्रकृति का, शुभाशीष लो शीश झुकाए,
ऐसा ना बन जाना मानव, तुमको मानव कहते मानवता शर्माये।

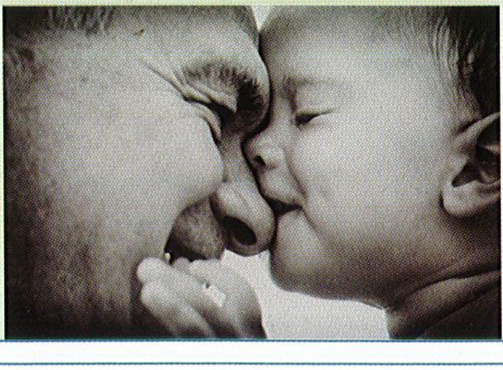

अमित कुमार सैनी
आशुलिपिक–।।
प्रवर्तन निदेशालय,
उपक्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजों के जवाब में

खुली छूट अब चाहिए सेना के वीर जांबाजों को, अच्छा सबक सिखाना है,
दुस्साहसी पत्थरबाजों को, इनके घर में छुपके बैठे,
आतंकी जो इनके उनको, पैलेट गन से छलनी कर दो,
देश पे डाले जो डाका, हिंदुस्तान में रह कर भी,
ये पाक परस्ती करते आए हुरियत नेताओं के दम पर,
अब तक मस्ती करते आए, पाकिस्तानी झंडा,
इनके लिए जान से प्यारा है, भूल गए नर भेड़िये,
विपदा में कौन सहारा है, चंद पैसों की खातिर ये पत्थर गोले बरसाते हैं,
कश्मीर स्वर्ग धरा को, ये असामाजिक तत्व आज लजाते हैं,
दहशतगर्दी फैलाना, जिनका असली धंधा है अफजल वानी जैसे असामाजिकता,
जिनके दिल में जिंदा है, नापाक दरिंदों पत्थरबाजों,
कब तक खैर मनाओगे? बहुत हो लिया बहुत सह लिया,
अब नहीं बच पाओगे, कुछ बिके हुए खबरी दलाल,
इनको मासूम बताते हैं, गद्दारों की होली
पर, हमदर्दी खूब जताते हैं, औकात खत्म है इनकी,
अब सियासी गलियारों में, भटके हुए शान्तिदूतों,
अब गिनती तुम्हारी गद्दारों में, इन आस्तीन के साँपों को,
अब दूध पिलाना बंद करो, फन कुचलन कर दो इनका,
सेना को मत पाबंद करो, घर–घर से अफजल निकलेगा,
इनका जेहादी नारा है, जब–जब अफजल निकला है,
तब–तब हमने मारा है खिदमत में इनकी कुछ नेता,
राग इन्ही का नित गाएँ, पाक प्रेम दर्शाने वाले,
सीधे पाकिस्तान चले जाए, सेना की अपनी राह में,
जो भी रोड़ा अटकाएगा, कान खोल के सुन लो,
कोई नहीं बख्शा जाएगा, मत रोको वीर जवानों को,
पैलेट गन तैयार करो, भूल जाएंगे पत्थरबाजी,
इनका अब संहार करो, भूल जाएंगे पत्थरबाजी,
इनका अब संहार करो ।

सचिन्द्रनाथ पांजा
वाहन चालक स्पेशलग्रेड
मुख्यालय कार्यालय

जीवन क्या है, कैसे जाने ?

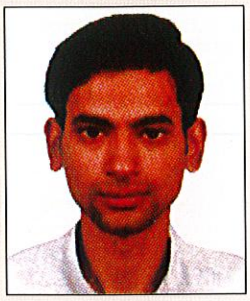

जीवित रहना ही जीवन है, या मरना जीवन कहलाता?
जीवित को जीवित कहकर क्यों, मानव है जग को कहलाता?
मरकर भी जो जीवित हैं, क्यों न उसी को जीवित माने?
जीवन क्या है, कैसे जानें ?

इन रूखे धनपतियों को है, मानवता क्या जीवित कहती?
मार–मारकर जो जीते हैं, उनकी कहीं निशानी रहती?
जभी, आखिरी हिचकी आई– काल आ गया नाम मिटाने।
जीवन क्या है, कैसे जानें ?

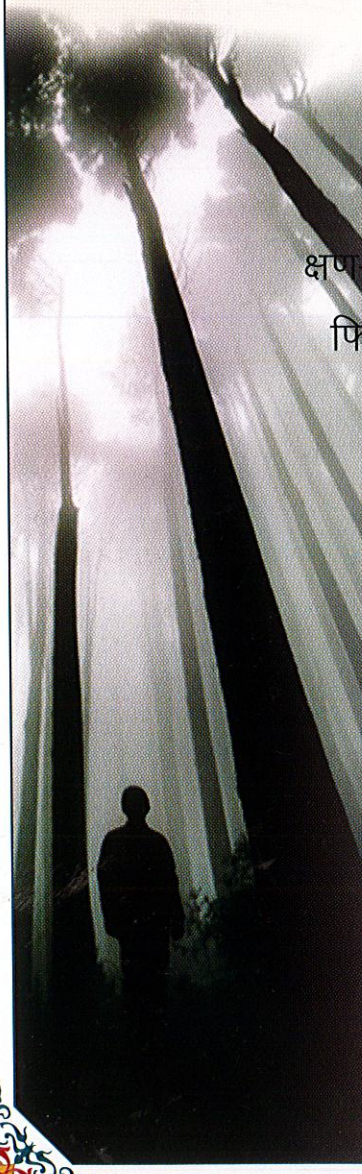

मानव ने सुंदरता पायी, वह उस पर फूला–फिरता है।
क्षण–क्षण वह मिटती जाती है, नहीं जरा उसमें स्थिरता आती है.
फिर भी उसको देख–देख क्यों उसके रोम–रोम लगे थहराने,
जीवन क्या है, कैसे जानें ?

गैरों के सुख के खातिर ही, जिसने अपना जीवन त्यागा,
बचा वही, पर मरा वही, जिसने सोचा है पीछा–आगा।
अपना मरना ही जीवन है, आया हमको शलभ दिखाने,
जीवन क्या है, कैसे जानें ?

कौशल कुमार
आशुलिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

समय का बदलाव

यहां बात उन दिनों की है जब मंगल बाज़ार
में छोले भठूरे पाँच रूपए के दो होते थे ।
मकान छोटे मगर दिल बड़े होते थे ।

यह स्पेस/प्राइवेसी जैसे शब्दों
के माने भी नहीं पता थे क्योंकि
छतें पड़ोसियों से जुड़ी होती थीं
और टायलेट तक सांझा होते थे ।
दूर के रिश्तेदारों के नाम तक
पड़ोसियों को रटे होते थे ।

डेढ़ दर्जन के परिवार का तीन कमरों में
ठाठ से बसर होता था ।
छुट्टियों में रिश्तेदारों का परिवार भी साथ
होता था। काली दाल को घी में सूखे
धनिए का छौक लगा छक कर खाते थे,
फिर आम और ठंडे दूध पीते,
छत पर बिस्तर बच्चे मिनटों में लगाते थे ।

सूर्य उदय से पहले उठ भी जाते थे ।
पैसे कम पर खुशियाँ बहुत थी ।
देवानंद के डायलॉग से शामें कटती थी ।
घमंड, अहंकार या नखरे कहाँ किसी में होते थे ।

वीसीआर किरायें पर लेकर रात भर पड़ोसियों
के साथ मिल कर फिल्में देखते थे, तेरा मेरा
नहीं, सब कुछ हमारा कहलाता था ।

भाई की शादी में आया सामान, ननद की शादी
में ही जाता था। शादी ब्याह अपने आप
में त्योहार होते थे, बाहर से आए
संबंधी पड़ोसियों के घर ही सोते थे ।
माँगे हुए गद्दे, मटर छीलते परिवार,
कढ़ाई में पकती सब्ज़ियों, पनीर
और आइसक्रीम पर नज़र रखे फूफाजी,
वाह क्या नज़ारे होते थे ।

घंटे भर की कुट्टी और मिनटों में अब्बा होते थे । बूआ, मामा, चाचा और मॉसी के बच्चे सब भाई बहन कहलाते थे, उनके आगे की रिश्तेदार भी पूरी डिटेल से गिनवाते थे । सब बड़े भाई बहनों के कपड़े बिना शर्म के पहनते थे, बताया था ना कि घमंड और अहंकार, पास भी ना मंडराते थे ।

आज दौर बदल गया, छोले भठूरे खाने मंगल बाज़ार नहीं, हल्दीराम जाने लगे हैं, पाँच सौ का नोट बेफ्रिक थमाने लगे हैं। मकान आलीशान मन परेशान हो रहे हैं, कमरों से जुड़े टॉयलेट हैं फिर भी प्राइवेसी को रो रहे हैं, बच्चों से बड़ों तक को स्पेस चाहिए, बगल वाले घर पर कौन रहता हैं, नाम तो बताइए?

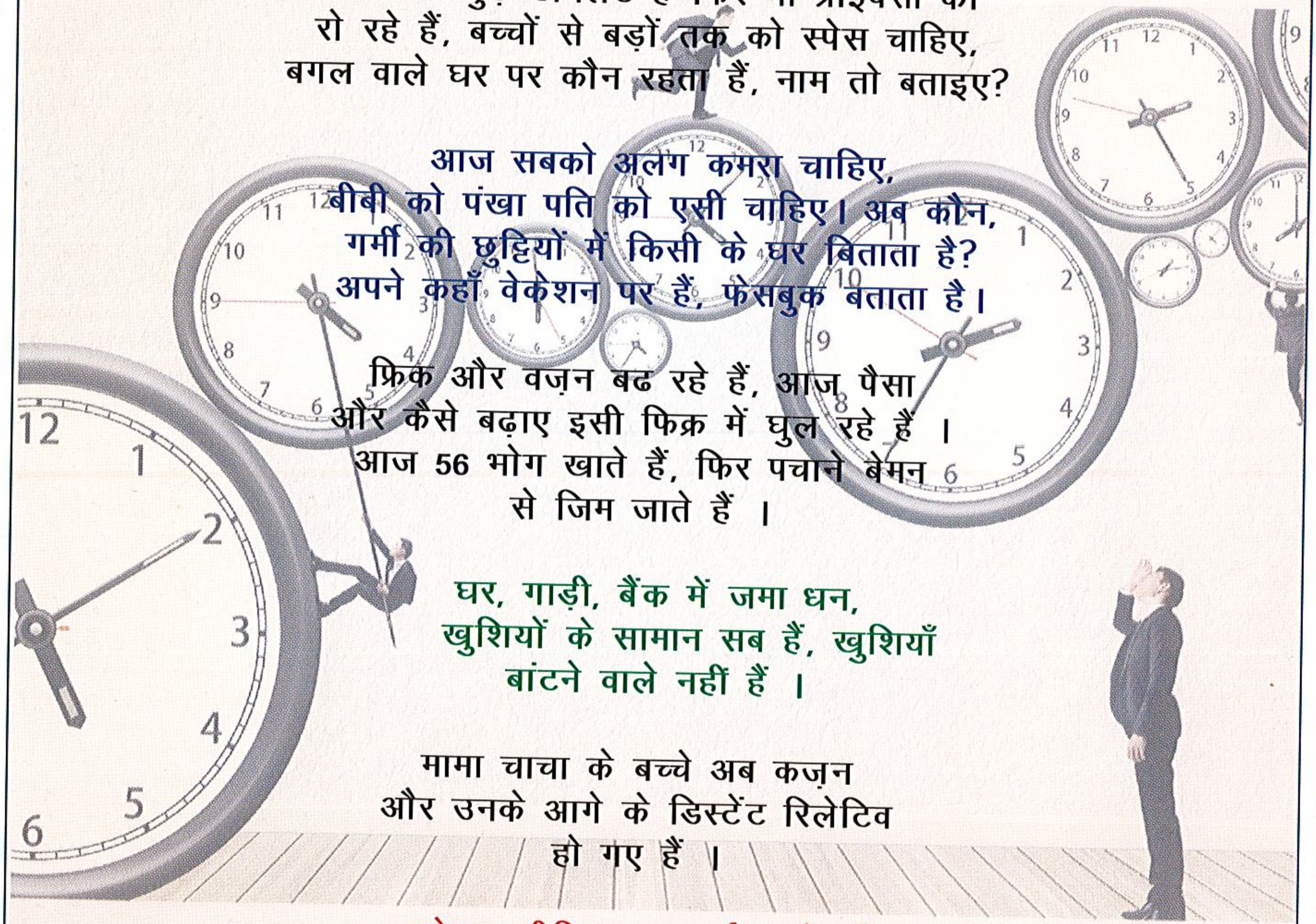

आज सबको अलग कमरा चाहिए, बीबी को पंखा पति को एसी चाहिए। अब कौन, गर्मी की छुट्टियों में किसी के घर बिताता है? अपने कहाँ वेकेशन पर हैं, फेसबुक बताता है।

फ्रिक और वज़न बढ रहे हैं, आज पैसा और कैसे बढ़ाए इसी फिक्र में घुल रहे हैं । आज 56 भोग खाते हैं, फिर पचाने बेमन से जिम जाते हैं ।

घर, गाड़ी, बैंक में जमा धन, खुशियों के सामान सब हैं, खुशियाँ बांटने वाले नहीं हैं ।

मामा चाचा के बच्चे अब कज़न और उनके आगे के डिस्टेंट रिलेटिव हो गए हैं ।

सोशल मीड़िया पर कई बहने और ब्रो जरूर हो गए है, अब लोग समय बिताने के लिए मॉल जाते हैं, और मॉल से शॉपिंग करने के लिए कपड़े खरीदते हैं ।

अब बच्चों को कोई कज़न कपड़े नहीं देता क्योंकि
लेने वाले का घमंड और अहंकार, पीछा नहीं छोड़ता ।

एक बार पहन कर मेड को जारा के टॉप
देते है फिर उसी को बड़ी "हैपनिंग" कहकर
ताना भी देते हैं ।
अब शादियों में भी रिश्तेदार बस मुँह दिखाने
आते है, घर पर नहीं उन्हें अब होटल में ठहराते हैं ।

अब फूफा जी नहीं, खाने का जिम्मा केटर उठाते हैं ।
दिखावे की दुनियां में रिश्ते नाते छूट गए,
मेरे बचपन के साथी कहाँ गुम गए ।

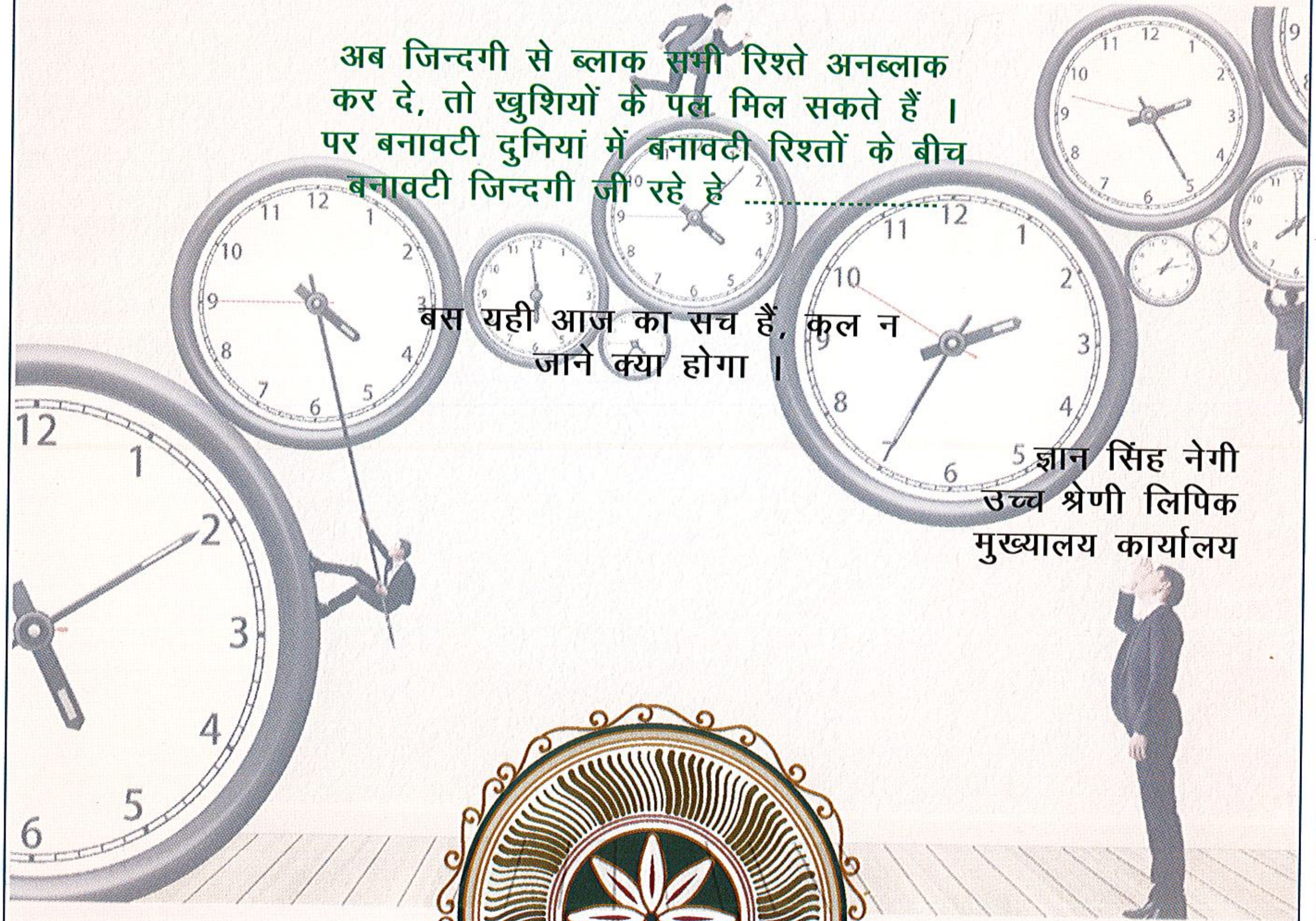

अब जिन्दगी से ब्लाक सभी रिश्ते अनब्लाक
कर दे, तो खुशियों के पल मिल सकते हैं ।
पर बनावटी दुनियां में बनावटी रिश्तों के बीच
बनावटी जिन्दगी जी रहे हे ....

बस यही आज का सच हैं, कल न
जाने क्या होगा ।

ज्ञान सिंह नेगी
उच्च श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

जिंदगी की दौड़ में खो गया बचपन

जिंदगी की दौड़–भाग में, खो–सा गया मेरा बचपन ,
बेफिक्र मौज मस्ती वाला, मेरा राज दुलारा बचपन ।

माँ के आँचल में छुप जाना, नजर उतारने वाला बचपन,
भले ही माँ भूखी हो मगर, मुझे तृप्ति कराने वाला बचपन।

आज क्यों खो–सा गया, मै बचपन को पीछे छोड़ आया,
याद आते बचपन के दोस्त, उनके संग खेलना बतियाना ।

न जाने मेरे दोस्त कहां होंगे? बस एलबम के पेज उलट कर,
बचपन की यादों को ताजा कर लेता, दूर जाने से उन्हें याद कर लेता ।

और उन्हें आने लगती हिचकियाँ, कौन याद कर रहा होगा सोचकर,
उम्र उनकी और मेरी उम्र ढल जाती, सोचता गांव जाऊँ उनसे मिलूं ।

बीते बचपन को फिर से पाऊँ, किसी से पूछा तो उनका एक ही जवाब,
उनको गुजरे तो कई साल हो गए, आँखों में रुलाने वाला बचपन आ गया ।

व्यस्तम जिंदगी के दो पल तो निकालना, अपने बचपन के यादों के मनन लिए,
जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज होती, बचपन का सुकून छीन ले जाती हमसे ।

और हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता, हमारा प्यारा सा बचपन और हमारे साथी।

सन्दीप कुमार छिकारा
उच्च श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

तुम बेटी हो

तुम मेरी बेटी जैसी हो, ये कहना बहुत आसान है
इन शब्दों का लेकिन अब यहां, कौन रखता मान है!
इसी एक झूठे भ्रम में खुश हो लेती है वो नादान है
कहने में क्या, कहते तो सभी बेटी को वरदान है।

कहने और करने में, फर्क बहुत बड़ा होता है
बेटियों को भार न समझना मुश्किल जरा होता है।
इस दुनिया में लोगों का, दिल कहां बड़ा होता है!
भेड़िया इंसान के रूप में, हर मोड़ पर खड़ा होता है।

नन्हीं सी जान के दुश्मन को, कौन कहेगा इंसान है!
गर्भ से लेकर जवानी तक, उस पर लटक रही तलवार है।
प्यार बांटने वाली बेटी को, क्यों नहीं मिलता प्यार है!
उसकी हर एक बात पर उठते, हर रोज यहां सवाल है।
ना जाने कब जागेगी दुनिया सुनके, उसकी चीख पुकार है।

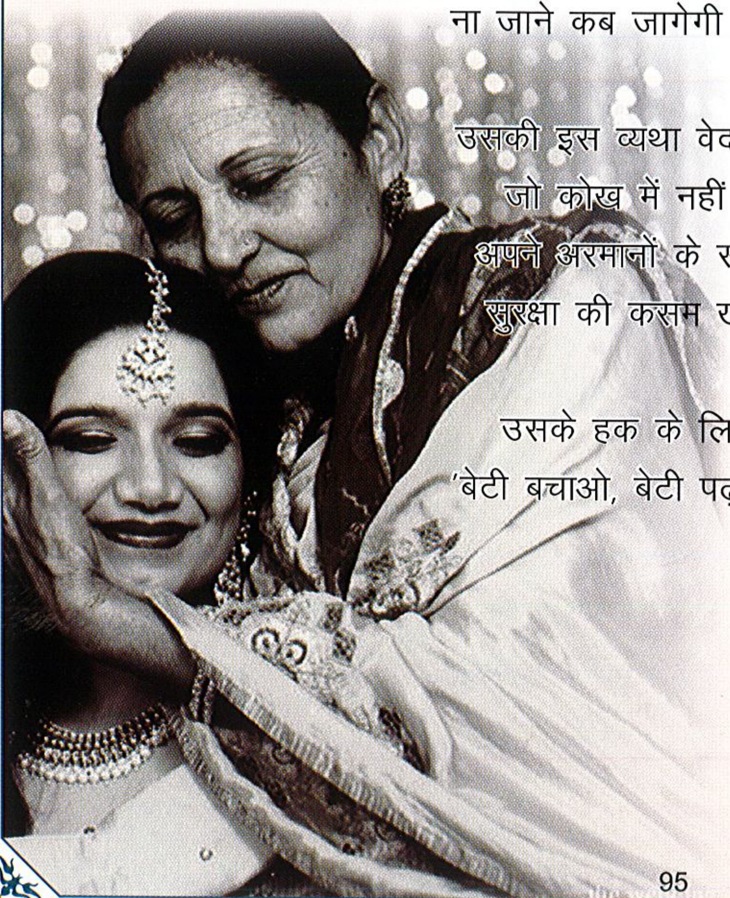

उसकी इस व्यथा वेदना का, कब होगा स्थायी समाधान है!
जो कोख में नहीं मरती वो, हर रोज यहां मरती है।
अपने अरमानों के संग, हरपल थोड़ा–थोड़ा बिखरती है।
सुरक्षा की कसम खाके भी हम, रक्षा नहीं कर पाते हैं।

उसके हक के लिए बस, खोखले नारे ही लगाते हैं।
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का चलता हर रोज अभियान है।

पुलकित गोदारा
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

कहाँ से लाऊँ वो माँ?

मेरे पहले कदम पर जो खुशी से मुस्कुराती,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

मेरे असफल होने पर जो हौसला बढ़ाती,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

रातों में नींद से जागने पर जो लोरी सुनाती,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

रोने पर जो मुझे अपने आँचल में छुपा कर आँसू पोछती,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

जो मुझे डांटने के बाद खुद रोती,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

जो बिन कहे मेरी हर बात समझ जाती,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

भगवान का रूप है, ममता की मूरत है जो,
कहाँ से लाऊँ वो माँ?

रिश्ते तो बहुत है जिंदगी में पर, वो रिश्ता कहाँ से लाऊँ,
जिसे कहते है माँ?

राहुल गुप्ता
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर

खुशियों का जहां

दूर, इस दुनिया से बहुत दूर
है इक मैदान खुशियों का
श्वेत सी है धरती जिसकी
सुनहरा–सा है आकाश उसका
बसती है खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ
जाना है मुझको वहां ।
सही और गलत की सोच से परे
जहाँ सब बस मिल कर रहें
तन्हा नहीं है कोई वहाँ
जाना है मुझको वहां ।
जहाँ मेरे गुनाहों की कोई सज़ा नहीं
जहाँ है कोई अफ़सोस नहीं
जहाँ गलतियों से कोई सीख नहीं
हर पल ही हैं खुशियाँ जहाँ
जाना है मुझको वहां ।
खुशियों से भरा है हर रास्ता
दुखों से नहीं है कोई वास्ता
जो चाहो सब मिल है जाता जहाँ
जाना है मुझको वहां
अब बस जाना है मुझको वहां ।

जूही कुमारी
अवर श्रेणी लिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

माँ की यादें।

घुटनों से रेंगते–रेंगते,
कब पैरों पर खड़ा हुआ।
तेरी ममता की छाँव में,
जाने कब मैं बड़ा हुआ।।

अंगुली पकड़कर चलाती थी,
सुबह–शाम घुमाती थी।
अपने ममता भरे हाथों से,
खाना रोज खिलाती थी।।

लोरी रोज सुनाती थी,
थपकी देकर सुलाती थी।
जब उतरे आँगन में धूप,
प्यार से मुझे जगाती थी।।

माँ जब तू मुझे डाँटती थी,
मैं मन ही मन मुस्कुराता था।
माँ तुझे सताने के लिए,
नई–नई शरारतें करता था।।

जब मैं होता था तुझसे दूर,
तेरी याद बहुत आया करती थी।
पर माँ तो माँ होती है,
अगले ही पल खुद दौड़ी चली आया करती थी।।

पापा से झूठ बोलकर,
पैसे तू बचाया करती थी।
खुद के लिए चूड़ी–कंगन साड़ी न लेकर,
मुझे खिलौने व कपड़े दिलाया करती थी।।

तू कहाँ चली गई माँ,
तुझसे मिलने को मन करता है।
जब होता हूँ अकेला तो तेरे,
आँचल में सोने का मन करता है।।

जब याद आती है तेरी,
तो तेरी तस्वीर को देखा करता हूँ।
कैसे तुझे हँसाऊँ फिर से,
बस यही सोचा करता हूँ।।

खुद दर्द सहती है,
सुख हमें देती है।
ऐसी होती है इसकी ममता,
क्योंकि माँ तो माँ होती है।।

"माँ" तेरी याद बहुत आती है..............

जितेन्द्र सिंह
अवर श्रेणी लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन

गौरैया की पुकार

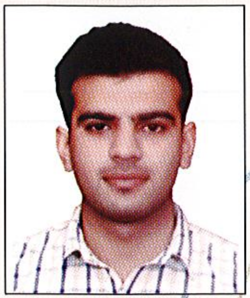

न कोई आवाज़,
न कोई पटाखा,
बिल्कुल शान्ति से इस बार
दीपावली को मनाओ...
मैं भी इस बार शान्ति से
सोना चाहती हूँ...
हे ! मनुष्य,
जब भी तुम्हारा त्योहार होता है
हमारी शान्ति भटक जाती है कहीं.....
हर बार मेरी मौन संवेदना
विनती करती है तुमसे
इस बार भी मैं प्रस्तुत हूँ....
मैं सांस नहीं ले पाती हूँ
इस जहरीली हवा में,
मेरा अस्तित्व खतरे में है
मानव.....
एक बार देखो मेरी तरफ,
मेरा ये रंग, रूप
सब समाप्त हो रहा है
धीरे–धीरे.......
मैं विवश हूँ
तेरी जिद के आगे,
इसलिए,
आज स्वयं
उपस्थित हूँ......
हे ! सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी,
जीना चाहती हूँ मैं भी....
बिल्कुल तुम्हारी तरह ही...
जीने दो मुझे,
स्वच्छ हवा में,
प्रकृति की गोद में
विधाता की सृष्टि में.........

मोहित
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

माँ-बाप और बहू की कहानी

माँ–बाप के लिए
आफत हो रही है
माँ–बाप काम करते
औलाद सो रही है
वो बच्चा क्या सुधरेगा
नौ बजे तक सो रहा है
बिस्तर से उठा नहीं
चाय को रो रहा है
कर्महीन से कुल की सब
मर्यादा बिगड़ जाती है
ज्यादा लाड़ प्यार से भी
औलाद बिगड़ जाती है
बिगड़ी औलाद सुधारने की
मशीन हजारों में आएगी।

औलाद को सुधार कर मशीन
को बेचोगे रेट में बिक जाएगी
ज्यादा दिन कुंवारा
रहना खोटा नहीं है
शादी के बाद उलझनों
का टोटा नहीं है
पुराने शादी–शुदा से पूछो
कितनी आफत हो रही है
कहने में नहीं आती
आत्मा ही रो रही है
जमाना खराब महंगाई
बहुत हो रही है
दो औरत वालो की तो
आजकल मौत हो रही है ।

कोई घर जमाई तो नहीं है
घर का भेदी किसको
कहलाना चाहिए
मर्द को ससुराल में
रहना ना चाहिए
ससुराल का सारा
काम करना पड़ेगा
बहनोई हो के साले से
भी डरना पड़ेगा
लाचार बन रहना पड़े
ऐसे कोई दम नहीं
घर जमाई की इज्जत
होती कार्तिक की धूप से कम नहीं
कुछ खबर रहती नहीं
नींद आ जाने के बाद
माँ–बाप लगते है बूढ़े
शादी हो जाने के बाद
ससुराल वालों को रबड़ी खिला
रहा है
घर वालों को लकड़ी दिखा रहा।

जमाना यहाँ तक खराब है
बच्चा बाप को पूछता नहीं ससुराल
जा रहा है, सासू की सेवा करना बहू
के लिए अच्छी बात है
बहू भी एक दिन सास
बनेगी सच्ची बात है
पानी क्या धान, घी, आटा
छानती नहीं है।
खुद में अक्ल नहीं सास
को मानती नहीं है
शादी कर के लाए तभी से
आफत हो रही है
सासू काम कर रही हैं
बहू सो रही है
सासू भी खराब है
सासू भी बहू को बेटी की तरह
समझना जानती नहीं है।

राजेंद्र कुमार राणा
एमटीएस
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

21 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समूह फोटो।

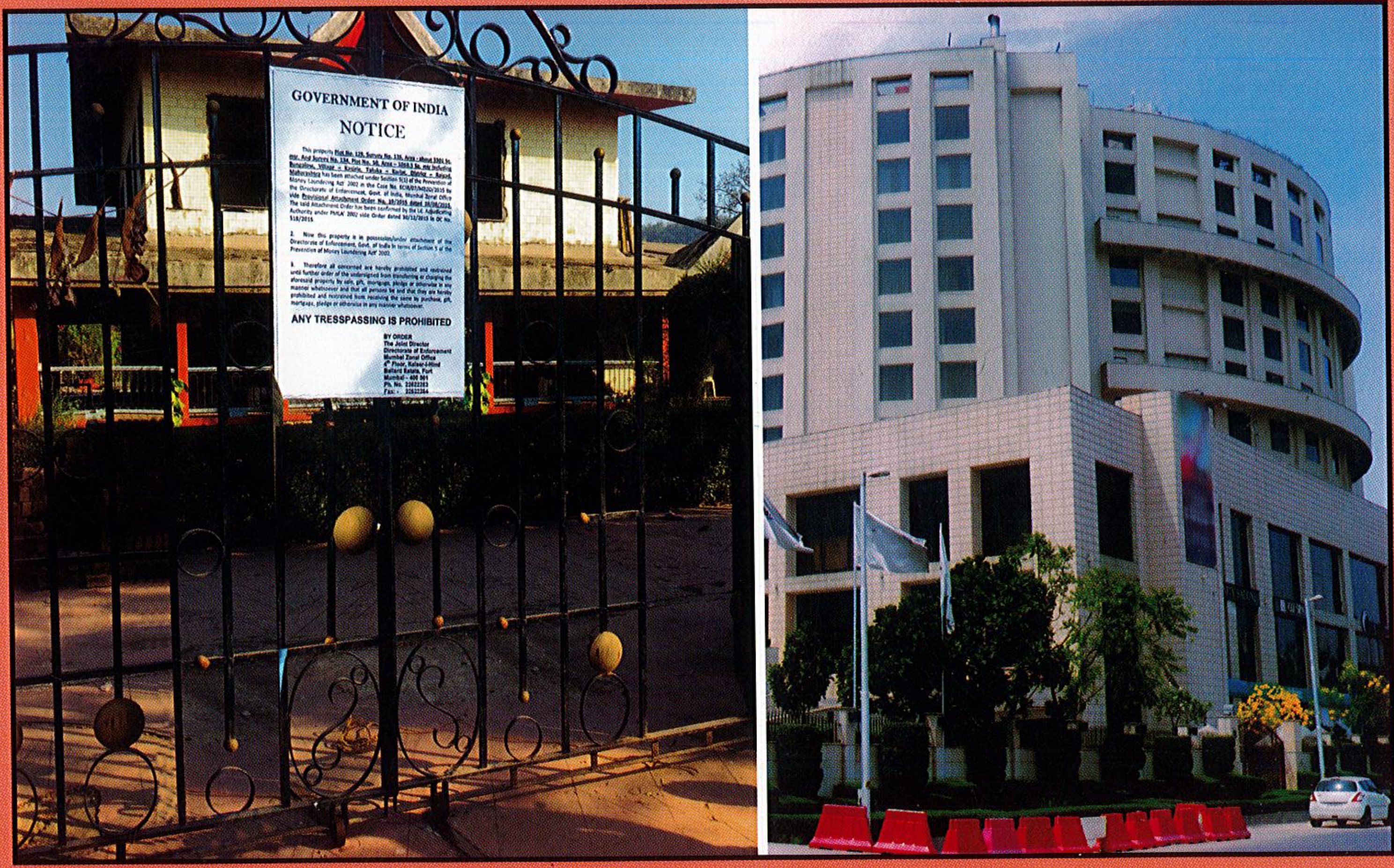

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्तियां

प्रवर्तन निदेशालय

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003